छत्तीसगढ़ विधान सभा

की

अशोधित कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

पंचम विधान सभा **द्वादश सत्र**

बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021

(अग्रहायण 24, शक सम्वत् 1943)

[अंक 03]

Web Copy

छत्तीसगढ़ विधान सभा

बुधवार, दिनांक 15 दिसम्बर, 2021

(अग्रहायण 24, शक संवत् 1943)

विधान सभा पूर्वाह्न 11:00 बजे समवेत हुई.

(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, आप इसको उतार लीजिए, आपको कुछ नहीं होगा । आप बिल्कुल शतायु रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरे आने से पहले आप लोगों ने प्रश्नकाल शुरू कर दिया ।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपकी मनोकामना भी पूर्ण होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- कौन सी वाली ? (हंसी)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष जी, कल रात में छत्तीसगढ़ गीत हो रहा था, उसमें अमितेश जी खड़े-खड़े सो रहे थे ।

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष जी, जब अजय जी खानदानी परिवार की बात कर रहे थे, उसमें एक परिवार जिसका छत्तीसगढ़ में बड़ा नाम है, उसको भूल गए थे, यह तो जागते-जागते सोते हैं ।

प्रदेश में संचालित चिटफण्ड कंपनियों पर जमा राशि के भुगतान की कार्यवाही

1. (*क्र. 217) डॉ. रेणु अजीत जोगी : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) वर्ष 2018 से छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवेशक के रूप में कितनी चिटफंड कंपनियां संचालित थी ? कंपनियों के नाम सहित जानकारी देवें ? (ख) सहारा इंडिया की विभिन्न शाखाओं में निवेशकों द्वारा जमा कराई गई राशि के भुगतान के लिये 17-11-2021 तक क्या-क्या कार्यवाही हुई है ? (ग) प्रदेश के कितने निवेशकों द्वारा उक्त कंपनी में कितनी राशि का निवेश किया गया है ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) वित्त विभाग की जानकारी अनुसार प्रदेश में चिटफंड अधिनियम, 1982 प्रभावशील है. इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में कोई भी चिटफंड कंपनी अधिकृत रूप से पंजीकृत अथवा संचालित नहीं है. (ख) सहारा इंडिया कंपनी के वित्तीय व्यवसाय एवं प्रबंधन पर राज्य शासन का नियंत्रण नहीं है,जिस कारण निवेशकों के द्वारा जमा राशि एवं भुगतान की

जानकारी दिया जाना संभव नहीं है. जो मामले संज्ञान में आए हैं/आ रहे हैं उन पर समुचित कार्यवाही की जा रही है. (ग) उपरोक्त कंपनी में निवेशित राशि की जानकारी राज्य शासन को उपलब्ध नहीं है.

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय गृहमंत्री जी से पूछना चाहूंगी कि आपकी कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा-पत्र में यह वादा किया था कि हमारी पार्टी की सरकार बनने पर चिटफंड कम्पनियों में किया गया लोगों का निवेश वापस होगा । कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने भी चिटफंड कम्पनियों में लोगों द्वारा लगाए हुए उनके पैसे वापस करने का दावा किया था । हालांकि वापस की गई राशि ऊंट के मुंह में जीरा जैसी है । मैं आपसे पूछना चाहती हूं कि क्या आप चिटफंड कम्पनियों में लोगों के द्वारा लगाए गए पैसों का निवेश वापस करेंगे, जैसा आपने अपने जन घोषणा-पत्र में वादा किया था ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय सदस्य का प्रश्न कुछ अलग है और जानकारी कुछ अलग है । हम लोगों ने घोषणा-पत्र में वायदा किया था, उसके अनुसार प्रक्रिया चालू है और उस प्रक्रिया के तहत राशि वापस भी की जा रही है, राजसात भी कर रहे हैं, मामला कोर्ट में पेश भी किया है तो प्रक्रिया चालू है और हम लोग राशि वापस करते जा रहे हैं ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके जवाब के अनुसार प्रदेश में कोई भी चिटफंड कम्पनियों संचालित नहीं है तो किस आधार पर आपने जन घोषणा-पत्र में पैसा लौटाने की बात की थी या वायदा किया था और किस आधार पर आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पैसा वापस करने का दावा किया है । क्या यह एक मात्र पब्लिसिटी स्टंट तो नहीं है, जो छत्तीसगढ़ की जनता के साथ छलावा या उन्हें दिग्भ्रमित किया जा रहा है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, न ही छलावा है, न ही कुछ है, बल्कि पूरे भारतवर्ष में ऐसा नहीं हुआ है । हम लोग छत्तीसगढ़ में इसको संज्ञान में लेकर छत्तीसगढ़ के एजेंट, छत्तीसगढ़ की जनता की राशि वापस कर रहे हैं । रही सवाल कि घोषणा-पत्र में एक शब्द चलता है- चिटफंड कम्पनी, चिटफंड कम्पनी में पैसा लगा रहे हैं, वह शब्द एक है, लेकिन कानूनन् जो चिटफंड कम्पनी है, उसके बारे में आपने जो प्रश्न किया है, वह अलग प्रश्न है । आपने यह कहा है कि वर्ष 2018 से छत्तीसगढ़ प्रदेश में निवेशक के रूप में कितनी चिटफंड कम्पनियां संचालित थीं, कम्पनियों के नाम सहित जानकारी देवें, यह आपका प्रश्न था । उसके उत्तर में मैंने कहा है कि वित्त विभाग की जानकारी के अनुसार प्रदेश में चिटफंड अधिनियम, 1982 प्रभावशील है । इस अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदेश में कोई भी चिटफंड कम्पनियों अधिकृत रूप से पंजीकृत अथवा संचालित नहीं है । यह आपके प्रश्न का उत्तर है, पर अभी आप जो पूछ रही हैं, वह अलग चीज है । वह इससे उद्भूत भी नहीं होता ।

डॉ. (श्रीमती) रेणु अजीत जोगी :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है । सहारा इंडिया के खिलाफ आई.पी.सी. की धारा 420 अर्थात् धोखाधड़ी, 467/71 कुटरचित दस्तावेज, 120 (बी) आपराधिक षड़यंत्र के तहत राज्य पुलिस द्वारा क्यों अपराध दर्ज नहीं किया जा रहा है ? क्योंकि SEBI (**Securities and Exchange Board of India**) ने सहारा को 20 हजार करोड़ रूपया उधार दिया था। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख को सजा भी सुनाई थी और सहारा प्रमुख काफी समय जेल में भी रहें। तो हमारी पुलिस इसके बारे में क्यों इतनी निष्क्रिय है ? क्या सहारा कम्पनी को सहारा देकर सरकार छत्तीसगढ़ के लोगों को बेसहारा करना चाहती है ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं एक अंतिम प्रश्न माननीय गृहमंत्री जी से पूछना चाहती हूं कि मुख्यमंत्री और गृहमंत्री और सहारा तथा अन्य चिटफण्ड कम्पनियों का "यह रिश्ता क्या कहलाता है" कृपया सदन को बतायें ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, "यह रिश्ता क्या कहलाता है" यह तो सन् 2018 के पहले वाले बतलायेंगे। लेकिन मेरे पास जितनी बातें हैं, जैसे आपने सहारा इण्डिया की बात पूछी है, मैंने अपने उत्तर में स्पष्ट तौर पर कहा है कि सहारा इण्डिया कम्पनी के वित्तीय, व्यवसाय और प्रबंधन पर राज्य शासन का कोई नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण निवेशकों के द्वारा जमा कराई गई राशि और भुगतान की जानकारी दिया जाना सम्भव नहीं है। यदि कोई शिकायतकर्ता रिपोर्ट कर रहा है तो हम उस पर एफ.आई.आर. कर रहे हैं। आप भी जानती हैं, सभी जानते हैं कि अलग-अलग कम्पनियां अलग-अलग प्रकार से अलग-अलग व्यवसाय करती हैं। आप ही ने SEBI के बारे में कहा। तो SEBI उस पर कार्रवाई करेगी, क्योंकि वह उस संस्था के अन्तर्गत पंजीकृत है। वह हमारे छत्तीसगढ़ शासन के अन्तर्गत पंजीकृत नहीं है। हमारी जानकारी में जो तथ्य आ रहे हैं, हम लोग उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। हम किसी गलत चीज को प्रश्रय नहीं दे रहे हैं। ना ही माननीय मुख्यमंत्री जी और ना ही गृहमंत्री जी और ना ही छत्तीसगढ़ की सरकार किसी गलत करने वाले को प्रश्रय दे रही है।

<u>अध्यक्षीय दीर्घा में अतिथि</u>

<u>श्री कमलेश्वर पटेल, सदस्य, मध्य प्रदेश विधान सभा</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय कमलेश्वर पटेल जी, जो मध्यप्रदेश के विधायक हैं, मंत्री रहे हैं, वे आज यहां उपस्थित हैं। हम लोग उनका स्वागत करते हैं। (मेजों की थपथपाहट)

तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय गृहमंत्री जी ने जो उत्तर दिया, घोषणा-पत्र एक दस्तावेज होता है। यह पहली सरकार है, जिसने राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में कहलवाया कि हमने इसको आत्मसात किया है। जब यह राज्यपाल महोदया के अभिभाषण में आ गया तो वह शासकीय दस्तावेज हो गया। प्रश्न उद्भुत होता है या नहीं होता है, यह अलग विषय है। माननीय गृहमंत्री जी ने जो कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रदेश में जो बड़े-बड़े बोर्ड लगे हैं कि यह देश का पहला राज्य है, जो चिटफण्ड निवेशकों के पैसे लौटा रही है। उन्होंने एक भी आकड़े नहीं बताये हैं। उसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई, कितने लोगों ने शिकायत की ? शिकायतकर्ताओं के आवेदन लेने के लिए विशेष कैम्प लगे, उस कैम्प में कितने आवेदन जमा हुए, उस पर कितने में कार्रवाई कर कितने पैसे वापस करवाये ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इस प्रश्न से उद्भुत नहीं है। वह जानकारी अलग से दे देंगे।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी बात रिकार्ड में आ गया है कि हम कार्रवाई कर रहे हैं, इसलिए यह प्रश्न उद्भुत होता है। या तो उसको कार्यवाही से निकाला जाये, जो आपने पहले उत्तर दिया। सरकार ने कैम्प लगवाया। जब आपने कार्रवाई कर रहे हैं कहा है, रिकार्ड में आया है तो अभी तक कितने एफ.आई.आर. हुए ? कितने एफ.आई.आर. में कितनी सम्पत्तियों की नीलामी हुई ? कितनी गिरफ्तारी हुई और कितने पैसे वापस हुए और सरकार को कितने लोगों के आवेदन प्राप्त हुए ? जब ये कार्रवाई कर रहे हैं और सरकार विज्ञापित भी कर चुकी है कि हम इतने लोगों के ऊपर कार्रवाई कर चुके हैं, उसमें मुख्यमंत्री जी भाषण दे चुके हैं कि यह एक मात्र राज्य है तो बतानें में क्या है ? प्रश्न उद्भुत नहीं होता है, यह नहीं। आपके उत्तर के पहले लाईन में आ चुका है या तो माफी मांगकर उसको विलोपित करवाईये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री, हम लोग माफी मांगने वाला काम नहीं करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- पहले जो उत्तर दिया है, उसको विलोपित करवाईये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- क्यों विलोपित करवायेंगे ?

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बोले हैं। कितना आवेदन आया है ? आप बोले हैं कि चिटफण्ड में कार्रवाई कर रहे हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, सदस्य जी ने जो प्रश्न किया, मैंने उसके उत्तर में

कहा कि कार्रवाई कर रहे हैं, उस पर इनको जानकारी लेना है तो अलग चर्चा मांग लें । मैं पूरी जानकारी दे दूंगा ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने पहले प्रश्न के उत्तर में यह कहा है, उसे निकलवाकर देख लीजिए । हम कार्यवाही कर रहे हैं, नीलामी कर रहे हैं, सब कर रहे हैं । यह एकमात्र सरकार है । मैंने छोटा सा प्रश्न पूछा कि आपने आवेदन शिविर लगाये, आवेदन शिविर में कितने आवेदन मिले, कितनी एफ.आई.आर. हुई, कितनी नीलामी हुई, कितनी गिरफ्तारी हुई, कितने को वापस हुआ ?

अध्यक्ष महोदय :- चन्द्राकर जी, इसमें मेरे ख्याल से पूर्व सूचना की जरूरत है। शिवरतन शर्मा जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि सहारा इंडिया पर राज्य शासन का नियंत्रण नहीं है, जिसके कारण निवेशकों द्वारा जमा राशि एवं भुगतान की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि सहारा इंडिया के हजारों लोगों ने नवम्बर के महीने में राजधानी में अपनी जमा राशि की वापसी के लिए प्रदर्शन किया है । उन्होंने राज्य शासन को समय-समय पर लेटर भी लिखा है । यह प्रदर्शन कब हुआ था और कितने आवेदन सहारा इंडिया वालों ने आपको दिया है, उसकी जानकारी आप उपलब्ध करा दें ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय शर्मा जी ने कहा, मैंने पहले ही कहा है कि सहारा इंडिया कंपनी के वित्तीय व्यवसाय और प्रबन्धन पर राज्य सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है ।

श्री शिवरतन शर्मा :- अध्यक्ष महोदय, राज्य शासन का पैसा डूब रहा है, राज्य के लोगों का पैसा डूब रहा है और उसमें कोई नियंत्रण नहीं है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं बोल रहा हूँ ना ।

अध्यक्ष महोदय:- शर्मा जी, जवाब आने दीजिए ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सुनन भी सीखो ना, मैं बोल रहा हूँ ।

श्री शिवरतन शर्मा :- मैं सुन रहा हूँ । आप यह कह रहे हो कि राज्य शासन का नियंत्रण नहीं है । राज्य के लोगों का पैसा डूब रहा है तो आपका नियंत्रण कैसे नहीं होगा ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं उत्तर दे दूँ, फिर चिल्लाना ।

श्री शिवतरन शर्मा :- चलिये, बोलिए । सुन रहे हैं ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- उस कारण से जो जमा राशि है, उसके भुगतान की जानकारी दिया जाना संभव नहीं है । माननीय अध्यक्ष महोदय, आवेदकों ने हमारे पुलिस विभाग में जो आवेदन दिया, उसमें 137 शिकायत अभी तक आई है और उस पर जांच चल रहा है । हमने चार में अपराध पंजीबद्ध किया है । राजनांदगांव में जांच चल रहा है । उसके बाद कार्यवाही होगी ।

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर इनका सहारा इंडिया पर वित्तीय नियंत्रण नहीं है तो चार में आपने एफ.आई.आर. कैसे कर दिया ? आप इस बात का जवाब दीजिए ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- बोल तो रहा हूँ ना । वित्तीय नियंत्रण नहीं है, यह भी कटु सत्य है, मैं बार-बार दोहरा के कह रहा हूँ कि राज्य शासन का इस पर वित्तीय नियंत्रण नहीं है । जानकारी के अनुसार जो बातें आपने कही है कि सहारा इंडिया का जो अलग-अलग बिजनेस होता है, जैसे सहारा इंडिया रियल स्टेट, यह आर.ओ.सी.कानपुर से है, सहारा हाऊसिंग इन्वेस्टमेंट, यह आर.ओ.सी. मुंबई से है । सहारा क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटी, मल्टी स्टेट को-आपरेटिव सोसायटी, सेंट्रल रजिस्ट्रार नई दिल्ली से है । हमारे यहां से एक भी नहीं है । रहा सवाल, आपने जो कहा कि किस आधार पर आपने एफ.आई.आर. किया तो एफ.आई.आर. करने के लिए जो आवेदन देता है, उसमें उनका जो वाक्य होता है, अपराध की श्रेणी या कौन सी श्रेणी, उस आधार पर हम एफ.आई.आर.लेते हैं, फिर जांच प्रक्रिया में उसमें और जुड़ना, नहीं जुड़ना, फिर अधिकार किसको है, सेबी को है, सेबी को भेजेंगे, जो होगा, आगे कार्यवाही होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- सौरभ सिंह जी ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बाकी जो आवेदन है, उसमें कब तक कार्यवाही कर देंगे ? 127 आवेदन आये हैं, चार में एफ.आई.आर. हुये हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- 137 आवेदन।

श्री शिवरतन शर्मा :- 4 पर आपने कार्यवाही किया, 133 पेंडिंग है । इसमें कार्यवाही कब तक कर देंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- जांच चल रहा है । जांच होगी ।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, सौरभ सिंह जी ।

श्री सौरभ सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऐसी पांजिव कंपनी होती है, वह पांजिव कंपनी के नाम से जाना जाता है । इन कंपनियों के ऊपर राजनांदगांव के कुछ कंपनियों के जमीनों को नीलाम करके कार्यवाही की है। सभी को विदित है कि रायपुर में सहारा इंडिया की 500 एकड़ जमीन है । क्या उस जमीन को नीलामी करके प्रदेश की जनता का पैसा दिलाने की प्रक्रिया करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- अध्यक्ष महोदय, इसे नियमानुसार ही किया जायेगा । हमारे अधिकार में है उसको हम करेंगे, यदि नहीं है तो जिसके अधिकार में है, उसे भेजेंगे ।

श्री सौरभ सिंह :- राजनांदगांव में हो रहा है तो रायपुर में क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय :- डॉ.रमन सिंह ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- राजनांदगांव में कहां हो रहा है ?

श्री सौरभ सिंह :- मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि कौन-कौन सी कंपनी की जमीन है, उसको नीलामी करा रहे हैं ? नीलामी करके निवेशकों को पैसा दे रहे हैं ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- जो राज्य शासन के अंडर में है, उसका कर रहे हैं ।

श्री सौरभ सिंह :- क्यों राज्य सरकार के अंडर में नहीं है ?

श्री शिवरतन शर्मा :- कोई नागरिकों का पैसा खा जाये, चिटफंड कंपनी ...(व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- शर्मा जी, आपने लीपा-पोती की कि नहीं की ?

डॉ.(श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- यह बिगाड़ने का काम किसने किया बताइये। चिटफंड कंपनियों को प्रोत्साहन रमन सिंह जी ने दिया है। (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आप लोगों ने संरक्षण दिया है। उसको आप लोग करवाये हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यह बिगाड़ने का काम तो आप ही की सरकार ने किया है। हमारी सरकार ने तो बनाने का काम किया है।

श्री सौरभ सिंह :- मंत्री जी चिटफंड कंपनी को संरक्षण देना चाहते हैं। प्रदेश की जनका के पैसे को..। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आपके शासन काल में जनता त्रस्त थी। अभी तो राहत दिलाने का काम हमारी सरकार ने किया है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- बैठिये आप लोग। चंद्राकर जी, नेता प्रतिपक्ष बोल रहे है। आप लोग बैठिये। (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो यह बात हो गयी कि करें कोई और भरे कोई। आपने जो लीपा-पोती की है, उसको हम लोग भरेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये।

श्री अरूण वोरा :- आप लोगों ने जो किया है, 2018 के पहले। पहले उसका हिसाब दो और डॉ. साहब वहां बैठे हुये हैं, बहुत जगह आपने फीता काटे हैं। माफी आपको मांगनी चाहिये। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- आप लोगों ने तो फीता काटा है, खुशियां मनाई है। उसको हम लोग सुधारने का काम कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- लखनऊ में मिटिंग हो गयी है क्या सहारा इंडिया से। सदन से माफी मांग लो कि मैंने घोषणा पत्र में गलत लिख दिया कि चिटफंड का पैसा वापस करूंगा करके।

श्री मोहन मरकाम :- (व्यवधान) कर रही है इन्हें वापस। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, चंद्राकर जी।

श्री अजय चंद्राकर :- संयोजन, जनता से माफी मांग लो। (व्यवधान)

अप्रमाणित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री टी.एस. सिंहदेव :- अजय जी, जर्सी गाय का क्या होगा ?

श्री अजय चंद्राकर :- हम माफी मांग लेते हैं, हमको तो जनता ने यहां बिठा दिया न हमने भी किया तो, हम स्वीकार कर लिये। अब आप चिटफंड के पैसे के लिये माफी मांग लो।

श्री अमरजीत भगत :- गलती से हो गया कह दीजिये।

अध्यक्ष महोदय :- नेता प्रतिपक्ष को सुनिये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- हां, सुन रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, लगातार लोग परेशान है, कंपनी के अंदर काम करने वाले कर्मचारी भी परेशान है, अधकारी भी परेशान है, जिनका पैसा उसमें लगा है वह भी परेशान है और लगातार सबसे संपर्क कर रहे हैं। जब मंत्री जी राजनांदगांव में जमीन की नीलामी करके पैसा वापस कर सकते हैं तो रायपुर में 500 एकड़ जमीन है, उसकी नीलामी करके पैसा वापस क्यों नहीं कर सकते। मैं माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि जिस प्रकार से आपने राजनांदगांव में कार्रवाई की है उसी प्रकार से आप यहां के 500 एकड़ जमीन को उनके नीलाम करिये और नीलाम करने के बाद में जो लोग उसमें है उन सब का पैसा वापस करेंगे तो माननीय मंत्री जी आप नीलामी करायेंगे और नीलामी करा कर कब तक पैसा वापस करायेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने जो कहा उसकी जानकारी बहुत स्पष्ट है कि कोई एफ.आई.आर. होती है, जांच होती है, जमीन राजसाझ होती है, कलेक्टर के पास जाता है, स्वीकृति मिलती है न्यायालय से, उसके बाद ही कार्रवाई होती है। तो राजनांदगांव में जो पुराने हुये हैं, यह प्रक्रिया के तहत किया गया है। इसमें अभी एफ.आई.आर. हुई है, जांच चल रही है, जांच के बाद कोर्ट में जाएगा, कलेक्ट्रेट में जाएगा, वह अनुमोदित होगा उसके बाद ही मैंने पहले कहा कि नियमानुसार के साथ ही कार्रवाई होगी।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 2, डॉ. रमन सिंह जी।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से मंत्री जी बता रहे हैं कि यहां जाएगा, वहां जाएगा। हम लोगों ने देखा है कि ऐसे कई प्रकरण है कि एक दिन में 10 टेबल में फाईल चला जाता है और 10 टेबल में जाने के बाद वह 10 लोगों से हस्ताक्षर हो जाता है। ऐसा उसको हनुमान जी की पूंछ की तरह बढ़ा रहे हैं कि जैसे उसको यहां से जाएगा, वहां से जाएगा, हवाई जहाज से जाएगा फिर पैदल जाएगा तब कलेक्ट्रेट पहुंचेगा। भई कलेक्ट्रेट आपके अंडर में है, कलेक्टर यहीं है। कलेक्टर कोई छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं है। आपके रायपुर में है, रायपुर में जमीन है। रायपुर में थाना है और इसीलिये अभी कार्रवाई करने की नीयत है तो उसमें समय-सीमा आप बतायें और नीयत नहीं है तो आपको बोलना चाहिये कि हमारी नीयत नहीं है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि यह कार्रवाई कब तक हो जाएगी।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष जी, चिटफंड कंपनियों का उद्घाटन इन्हीं लोग जाकर करते थे, तब पूरा ।(व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- यह घोर अन्याय वाली बात है। (व्यवधान)

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- आपके मंत्री लोग जाकर उद्घाटन करे हैं। नहीं गये है क्या बताओं, अजय चंद्राकर जा कर उद्घाटन करवाये हैं, बृजमोहन जी भी जा के उद्घाटन करे हैं। (व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- यह चिटफंड को बढ़ावा किसने दिया। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, डॉ. रमन सिंह जी का महत्वपूर्ण प्रश्न आ रहा है। डॉ. रमन सिंह जी प्लीज।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा चिटफंड कंपनी तो इन्हीं ..। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय अध्यक्ष महोदय, नहीं, जवाब तो आया नहीं है। केवल मैंने यह कहा कि सारे कोर्ट यहीं है, आपके कलेक्ट्रेट यहीं है, थाना यहीं है, सब कुछ है। यह समय-सीमा तो बता दीजिये, कब तक कार्रवाई होगी। दो साल भी सरकार का कार्यकाल नहीं बचा है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं अतिशीघ्र बता देता हूं।

श्री शिवरतन शर्मा :- नहीं तो आपसे नही पूछ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- अतिशीघ्र बता दिया।

श्री अजय चंद्राकर :- अब वह बता दिये। आप सहमत है कि नियंत्रण नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- डॉ. रमन सिंह जी।

<u>प्रदेश में धान उपार्जन केन्द्रों से धान का उठाव</u>

2. (*क्र. 550) डॉ. रमन सिंह : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने धान उपार्जन केंद्र हैं ? खरीफ सीजन वर्ष 2020-21 में खरीदे गए धान का माहवार उठाव का विवरण जैसे किन-किन महीनों में कितना-कितना धान, राईस मिलरों को दिया गया और कितना-कितना धान संग्रहण केंद्र में परिवहनकर्ताओं को भंडारण हेतु दिया गया, जिलेवार विवरण देवें ? (ख) कितने धान की बिक्री नीलामी के माध्यम से की गई तथा बिक्री किए गए धान का उठाव कितना हो गया तथा कितना शेष है ? जिलेवार विवरण दें ? (ग) प्रश्नांक "क" के अंतर्गत यदि किसी महीने में धान का उठाव नहीं किया गया तो उक्त महीने में क्या राईस मिलरों ने धान के उठाव हेतु रूचि नहीं दिखाई या संग्रहण केंद्रों में धान भंडारण की क्षमता से ज्यादा हो गया था ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) राज्य में खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कुल 2311 धान उपार्जन केन्द्र संचालित थे. खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित किये गये धान में से कस्टम मिलरों को उपार्जन केन्द्रों से 59.12 लाख में. टन धान तथा संग्रहण केन्द्रों से 20.18 लाख मे. टन धान

कुल 79.30 लाख मे. टन धान प्रदाय किया गया है. जिलेवार, माहवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार एवं † संलग्न प्रपत्र "ब" अनुसार है. धान उपार्जन केन्द्रों से परिवहनकर्ताओं को संग्रहण केन्द्रों में धान भण्डारण हेतु 22.38 लाख मे. टन धान प्रदाय किया गया है, जिसकी जिलेवार एवं माहवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "स" अनुसार है.(ख) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में नीलामी के माध्यम से 8.97 लाख मे. टन धान का विक्रय किया गया, जिसमें से 8.96 लाख मे. टन धान का उठाव किया जा चुका है तथा 564 मे. टन धान उठाव हेतु शेष है, जिसके उठाव की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है. जिलेवार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "द" अनुसार है. (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलरों द्वारा धान उपार्जन के प्रारंभ से ही लगातार धान का उठाव किया गया है एवं संग्रहण केन्द्रों की भण्डारण क्षमता अनुसार ही धान का भण्डारण किया गया था.

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न उपार्जन केंद्र से धान के उठाव से संबंधित है और मैंने एक रिपोर्ट मांगी है कि किस-किस महीने में कितना धान राइस मिलों को दिया गया, कितना संग्रहण केंद्रों में परिवहनकर्ता को भंडारण हेतु दिया गया ? अध्यक्ष महोदय, इसके पीछे प्रश्न करने का कारण है कि अब 2020-21 का प्रश्न 2021-22 में आ गया है। पिछले साल जितनी विसंगतियां थी, जितनी अफरातफरी थी और उसकी वजह से करोड़ों रूपए का धान सड़ गया, उसका परिवहन नहीं हो पाया और परिवहन न करने की वजह से सिर्फ और सिर्फ सरकार की गलत नीतियां थी और गलत नीतियों की वजह से किसानों का नुकसान ही नहीं, राज्य सरकार का या फूड डिपार्टमेंट का नहीं है, नेशनल लॉस हुआ है। लाखों क्विंटन धान सड़ गया और उसका परिवहन नहीं हो पाया, अभी तक संग्रहण केन्द्र से उठकर नहीं जा पाया। इसमें मूल विषय यही है कि पिछले साल की गलतियों को इस साल भी दोहराने का काम चल रहा है। अध्यक्ष महोदय, मेरा छोटा-छोटा दो-तीन प्रश्न है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, धान खरीदी नीति वर्ष 2020-21 से संदर्भित ही प्रश्न है। धान खरीदी वर्ष 2020-21 के कंडिका 2.7 और 2.8 का उल्लेख करते हुए, क्या उपार्जन की नीति और परिवहन की नीति थी। बस इस पर बता दें।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री अजय चंद्राकर :- बोले के पहली कागज आ गे।

श्री शिवरतन शर्मा :- वैसे आज शांत रिहित मंत्री हा।

श्री धरमलाल कौशिक :- आज गंभीर हे।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब के प्रश्न का जवाब तो देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- देखिए, उनको नाराज मत करिए नहीं तो अंग्रेजी में उत्तर देंगे, फिर आपको समझ नहीं आएगा। (हंसी)

श्री सौरभ सिंह :- संस्कृत में भी देने बोल रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, अंग्रेजी में दे देंगे। आप बैठिए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपको समझ में नहीं आएगा तो अमितेश शुक्ल जी से पूछ लेना। आपके बाजू में बैठे हैं।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ. रमन सिंह जी ने प्रश्न पूछा है कि छत्तीसगढ़ प्रदेश में कुल कितने धान उपार्जन केन्द्र हैं उनके बारे में पूछा है और खरीफ सीजन वर्ष 2020-21 में खरीदे गये धान का माहवार उठाव के बारे में पूछा गया है। इसके बारे में जानकारी स्पष्ट दी हुई है। वर्ष 2020-21 में 2311 उपार्जन केन्द्र के माध्यम से धान खरीदी की गयी और जो कस्टम मीलिंग के लिए समिति से धान उठाव 59.12 लाख मीट्रिक टन हुआ है एवं संग्रहण केन्द्र से 20.18 लाख मीट्रिक टन हुआ है। आप जिसके बारे में पूछ रहे हैं कि पिछले साल परिवहन में जो दिक्कत आई, उसके बारे में सर्वविदित है कि महामारी के कारण, अवर्षा के कारण और केन्द्र के द्वारा हमको अनुमति देने में विलंब के कारण हुआ है। इन सब कारणों से जो दिक्कत आई वह सर्वविदित है।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कहां का उत्तर कहां जा रहा है। बड़ा स्पेसीफिक प्रश्न है, कोई बहुत कठिन प्रश्न नहीं है और बड़े ज्ञानी मंत्री हैं, सक्षम हैं और उनको सारी जानकारी होती है। सिंपल सवाल है, वर्ष 2020-21 की धान खरीदी नीति की कंडिका 2.7 और 2.8 में किन-किन बातों का उल्लेख है। परिवहन की दृष्टि से उपार्जन केन्द्र के लिए और बफर स्टॉक के संबंध में है। मैं उसकी जानकारी चाह रहा हूं, बहुत छोटा सा विषय है। इसी परिवहन नीति का विषय है। 2020-21 का है, छोटा सा प्रश्न है। इसके बाद इसमें फिर प्रश्न उठते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- 2.7, 2.8 की जानकारी दे दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- अध्यक्ष जी, माननीय डॉ. रमन सिंह जी 15 साल तक मुख्यमंत्री थे और पिछली जितनी भी दिक्कत है, उन्हीं के समय का है। आपने पिछले 15 सालों में किसानों के लिए कुछ नहीं किया।

श्री सौरभ सिंह :- 15 साल में जीरो सार्टेज कितने-कितने साल हुआ था, बता दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- जवाब तो सुन लीजिए। जब हम किये तो आज किसान खुश है। (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- यह प्रश्न आपके कार्यकाल का है। कब तक करेंगे यह बता दीजिए। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- 15 साल में हमने क्या किया, यह प्रश्न नहीं है। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- यह आपके विभाग का नहीं है, पूरे मंत्रिमंडल का प्रश्न है। जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो बुला लीजिए। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अच्छा, आप सुन तो लीजिए। उस बीमारी को वहीं पर रखिए, पहले सुन लीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- आप ही की बीमारी है न। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- आपने पूछा कि संग्रहण केन्द्र से कितना धान और समिति से कितना धान .....।

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष जी, प्वाईंटेड उत्तर आना चहिए।

श्री अमरजीत भगत :- आपका जो मूल प्रश्न है उसको देखिए। मूल प्रश्न में आपने जो पूछा था उसके बारे में आपको जानकारी स्पष्ट बता दिया गया है।

डॉ. रमन सिंह :- आपके पास जवाब नहीं है तो जवाब मंगा लें। अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पेसीफिक प्रश्न है।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब, आप अपना मूल प्रश्न देखिए।

डॉ. रमन सिंह :- मंत्री, यदि नीतिगत विषयों का जवाब नहीं देगा, नीतिगत विषयों को लेकर यदि विधानसभा में चर्चा नहीं होगी। अब मेरे कार्यकाल में 15 साल में कितना साल रहा जो जीरो सार्टेज रहा, सोसाइटियों को कितनी-कितनी धनराशि दी गयी। 15 साल में कोई लॉसेस नहीं हुआ, यह विषय चर्चा का नहीं है। उसके लिए तो लंबी चर्चा होगी कि 15 साल में क्या शानदार नीति थी। आज एक छोटा प्रश्न से शुरूआत कर रहा हूं। इसके बाद तीन-चार छोटे-छोटे प्रश्न हैं। इसका जवाब हल्के से दे दें नहीं तो बोल दें कि मैं बाद में जवाब दूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- बाद में जवाब दे देंगे।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, कंडिका क्रमांक-2.7 और 2.8 में उपार्जन की नीति क्या थी और परिवहन की लिमिट क्या थी और उसका पालन हुआ कि नहीं ? बस यही एक छोटा सा प्रश्न है इसी से सारे प्रश्न उद्भुत हो रहे हैं ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य बहुत विद्वान हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं कि वे 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे । इन्होंने जो प्रश्न किया उसका उत्तर दे दिया गया है और बाकी जो बोल रहे हैं वह उद्भुत नहीं होता है । अगर आप उसको अलग से लिखकर पूछेंगे तो उसका भी जवाब दिया जायेगा ।

श्री शिवरतन शर्मा :- उद्भुत की जगह अद्भुत हो गया है ।

अध्यक्ष महोदय :- ऐसा है माननीय मंत्री जी, वे 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे हैं। यदि उनको कोई चिंता है तो मेरा आपसे यह आग्रह है कि आप उनके कक्ष में पहुंच जायें और उनको बुलाकर चर्चा कर लें और समझा दें, बात खत्म हो जाएगी । (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी की मदद कर देता हूं।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब आपने जो बात कही, मैं उससे बिल्कुल सहमत हूं । अगर इनको जनता की चिंता और सरोकार रहता तो इतने दिनों में जो दिक्कत आयी, एक-बार पत्र लिखे होते,

हमारी एक-बार मदद की होती । केंद्र सरकार जब हमारा चावल का कोटा नहीं बढ़ा रहा था, हमको बारदाना नहीं मिल रहा था । अनेक प्रकार की दिक्कतें आयीं । (व्यवधान)

डॉ. रमन सिंह :- माननीय मंत्री जी, प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- जब हम लोग केंद्रीय खाद्य मंत्री जी से मिलने जा रहे थे तो क्या आप लोगों ने एक-बार भी हमको समर्थन दिया ? क्या एक-बार भी आप लोगों ने पत्र लिखा ? यह केवल राजनीति कर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गंभीर विषय है । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- मैंने आपके प्रश्न का उत्तर दे दिया, प्रश्न से संबंधित अगर आपको कुछ पूछना है तो उसके बारे में पूछिए न ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- हां, हम पूछेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी इतने विद्वान हैं कि कल दूसरे मंत्री के प्रश्न में तो पूरा जवाब दे रहे थे लेकिन आज जब प्रश्न की बारी आयी न तो घिघ्घी बंध गयी है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- आप लोग 15 साल तक रहे ।

श्री धरमलाल कौशिक :- 15 साल कहां से आ गया ? (व्यवधान)

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी जवाब तो पूरा दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- हमारे मंत्री जी अच्छे से जवाब दे रहे हैं । (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- क्या आपको मंत्री बना दें ? (व्यवधान)

श्री अरूण वोरा :- माननीय कौशिक जी, घिघ्घी तो आपकी बंध गई है । (व्यवधान)

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बता देता हूं, मैं इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूं कि कंडिका क्रमांक-2.7 और 2.8 में यह उल्लेख है कि उपार्जन केंद्र यानी हमारी सोसायटी जहां खरीदी होती है । धान के परिवहन के लिये बफर लिमिट से ज्यादा होने पर उठाव की अनिवार्यता है । यह कानून बना है कि यदि वहां पर स्टॉक ज्यादा हो गया, बफर स्टॉक हो गया तो उसको वहां से उठाने की अनिवार्यता है उसका पालन नहीं किया गया, यह पहला विषय है । यदि उसके बाद धान उपार्जन केंद्र में धान बच जाता है । 31 मार्च तक शत-प्रतिशत उठाव की जवाबदारी यह कंडिका क्रमांक-2.7 और 2.8 में है । आज मार्च नहीं, अप्रेल नहीं, दिसम्बर में आ गये, 15 तारीख हो गयी, पिछले साल का धान अभी तक उठा नहीं है, मैं इसको चिन्हांकित करना चाहता हूं । (शेम-शेम की आवाज) सड़ रहा है, कई हजार करोड़ का नुकसान सरकार को हो गया और उसके बाद भी इनको रहम नहीं है। मैं दूसरा छोटा सा प्रश्न पूछता हूं कि संग्रहण केंद्र में कितना धान आया और पिछले वर्ष संग्रहण केंद्र की क्षमता कितनी है ? मेरे

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

बस यही 3-4 बहुत छोटे-छोटे प्रश्न हैं कि स्टेट में संग्रहण केंद्र की कितनी क्षमता है और कितने धान का आवक हुआ ?

श्री नारायण चंदेल :- यह पूरे प्रदेश का है ।

श्री अमरजीत भगत :- पूरे प्रदेश का ?

डॉ. रमन सिंह :- हां, प्रदेश का । आप मंत्री हैं तो पूरे प्रदेश का जवाब देंगे न।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलरों द्वारा धान का उपार्जन के प्रारंभ से ही लगातार उठाव किया जाता रहा है । संग्रहण केंद्रों की भण्डारण क्षमता के अनुसार ही धान का भण्डारण किया जाता रहा है ।

डॉ. रमन सिंह :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा यह प्रश्न नहीं है । मेरा प्रश्न बहुत छोटा है और ये मंत्री जी हैं । संग्रहण केंद्र की क्षमता, यदि यह मान लें कि संग्रहण केंद्र की क्षमता 35 लाख मीट्रिक टन है, मैं आपको बता देता हूं कि यह क्षमता है । उस 35 लाख मीट्रिक टन के अगेंस्ट में कितना संग्रहण हुआ, यह छोटा सा प्रश्न है । अब यदि मंत्री जी प्रदेश स्तर का जवाब नहीं देंगे तो किस स्तर का जवाब देंगे ?

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब, मैं जवाब दे रहा हूं, आप इतना अधीर मत होइए । आप प्रश्न कर रहे हैं तो उसका उत्तर भी तो सुनिए । आप तो पूरा भाषण दे रहे हैं ।

डॉ. रमन सिंह :- चलिये, मैं बैठ जाता हूं । आप बताइए ।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, पूरा धान खरीदी केंद्र से जो उठाव हुआ, मिलर्स ने जो सीधे उठाव किया, वह 59 लाख 12 हजार टन और संग्रहण केंद्र को 22 हजार 38 लाख मीट्रिक टन प्रदाय किया गया ।

डॉ. रमन सिंह :- आप फिर गलत जा रहे हैं, मैं क्षमता पूछ रहा हूं ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं जो बोल रहा हूं न कि ये जो मिलर्स सीधे 59 लाख मीट्रिक टन उठाये ।

श्री शिवरतन शर्मा :- सुन ना, तोला अगर उत्तर दे बर नइ आवए ता पुन्नूलाल करा पूछ ले ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं जो बता रहा हूं, वह सही है। आप जो पूछ रहे हैं, आप उसे सुनिए।

श्री अजय चन्द्राकर :- आधे घंटे की चर्चा करवा लीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- 59 लाख मीट्रिक टन सीधे मिलर्स उठाये और 22 लाख 38 हजार मीट्रिक टन संग्रहण केन्द्र में गया। तो जो मिलर्स समिति से उठाये और शेष धान को संग्रहण केन्द्र में दिये। जितना आया, उसकी क्षमता का क्या है। जो शेष बचा, उसे संग्रहण केन्द्र में भेजे।

डॉ. रमन सिंह :- इसका भी जवाब नहीं आ रहा है। तीसरा प्रश्न। कितने प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे। मैं आगे बढ़ता जाउंगा। जितना नहीं देंगे मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि उसमें रूकूंगा तो आप समय नहीं

देंगे। तीसरा छोटा प्रश्न है। उससे भी छोटा है। राज्य सरकार की अस्पष्ट धान खरीदी नीति के कारण 8.97 लाख मीट्रिक टन धान के विक्रय में नीलामी की प्रक्रिया करनी पड़ी। उस नीलामी की प्रक्रिया में राज्य सरकार को कितना नुकसान हुआ ? चलिए, तीसरा बताइए।

श्री अमरजीत भगत :- खरीफ विपरण वर्ष 2020-21 में 8 लाख 97 हजार मीट्रिक टन धान का विक्रय किया गया और जिसमें सरकार को..।

डॉ. रमन सिंह :- कुल नुकसान।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बता दूं क्या?

श्री अमरजीत भगत :- 500..।

डॉ. रमन सिंह :- नहीं-नहीं, गलत बता रहे हो।

श्री अजय चन्द्राकर :- मैं बता देता हूं।

डॉ. रमन सिंह :- गलत है। आप पूरा आराम से पढ़ लीजिए।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- 15 साल ले का करत रहेस। दूसरा, कुछू काम ही नहीं रहिस त।

श्री अजय चन्द्राकर :- तोर आगे ही खड़ा होवत रहो।

डॉ. रमन सिंह :- पर्ची मंगा लीजिए। समय है।

श्री अमरजीत भगत :- बता रहा हूं। बता रहा हूं।

डॉ. रमन सिंह :- आप जानकारी ले लीजिए। हम लोग बैठे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- उत्तर मिलही। आप मन चिंता मत करव।

श्री अजय चन्द्राकर :- पूरा सदन चिंतित है।

श्री अमितेश शुक्ल :- साहस से खड़े हुए हैं भाई। साहस से खड़े हुए हैं।

श्री अमरजीत भगत :- इसमें 554 करोड़ का नुकसान हुआ है।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, यह सरासर गलत उत्तर है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- डॉ. साहब, तो सही का हे तही बता देना भाई। तही बता दे। अउ थोड़ा कठिन प्रश्न पूछ ले। ये तो सरल हे।

डॉ. रमन सिंह :- मैं इस उत्तर का विरोध कर रहा हूं। मैं बता रहा हूं। मैं उसी में आ रहा हूं। कोई कठिन प्रश्न नहीं है। बहुत ही सरल प्रश्न है। 900 करोड़ से ऊपर का नुकसान हुआ है। इधर से पर्ची आने में विलंब हो गया। ठीक है। अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरे विषय पर आना चाहता हूं कि इनकी नीतियों का यह असर हुआ कि पिछले साल का लाखों मीट्रिक टन चावल जो जमा होना था, वह जमा नहीं हो पाया। उसकी मात्रा बता दें कि कितनी मात्रा में चावल जो इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जमा करना था, जमा नहीं कर पाये। इस विषय में कितनी मात्रा में चावल को जमा करना था। उसमें असफल हुए।

अध्यक्ष महोदय :- यह इसी से संबंधित प्रश्न है..।

श्री अमरजीत भगत :- माननीय..।

अध्यक्ष महोदय :- मंत्री जी, एक मिनट। इसी से संबंधित प्रश्न आदरणीय धरमलाल कौशिक जी का है। इन दोनों को समाहित कर लें क्या? चावल की बात आ गयी। धान के संबंध में है।

श्री धरमलाल कौशिक :- डॉ. साहब का प्रश्न अलग है। मेरा उसमें छोटा-छोटा अलग प्रश्न है। समाहित कैसे होगा?(हंसी) मतलब इससे भी छोटा-छोटा प्रश्न है। मैं आज लंबा प्रश्न नहीं करूंगा।

श्री अमरजीत भगत :- डॉ. साहब, आप बैठेंगे, तब तो मैं बताउंगा। आपने चावल जमा करने की जानकारी चाही है। तो भारतीय खाद्य निगम में 24 लाख मीट्रिक टन जमा करना था, जिसमें 22 लाख 38 हजार मीट्रिक टन चावल जमा हो गया है। 1 लाख 62 हजार टन चावल जमा होना शेष बाकी है।

डॉ. रमन सिंह :- अध्यक्ष महोदय, सबसे महत्वपूर्ण विषय इन सारे विषयों को लेकर जितने प्रश्न आ रहे हैं, उसमें यदि उपार्जन केन्द्र और संग्रहण केन्द्र, यदि नुकसान इतना नहीं हुआ होता। यदि परिवहन की व्यवस्था हो जाती और जहां पर सोसायटी है वहां पर न कैप कव्हर रहता, न पानी के ड्रेनेज का सिस्टम होता है, न कोई व्यवस्था होती है। सरकार को आज भी इस बात को तय करना चाहिए कि जितना भी 31 मार्च तक परिवहन होना है, जो कानून के अनुसार हो जाना चाहिए, नहीं हुआ। अध्यक्ष महोदय, इन सारे विषयों के लिए अंत में एक उपाय कर दीजिए। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं। मंत्री जी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इन सारे विषयों में हजारों करोड़ रूपये का नुकसान हो रहा है। नेशनल लॉस हो रहा है। क्या इन सारे बिंदुओं में, जिसके प्रश्न के जवाब नहीं आ पाये, विधान सभा की समिति से जांच करा देंगे क्या?

श्री अमरजीत भगत :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय पूर्व मुख्यमंत्री जी के [XX][1]।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह आरोप है।

श्री अमरजीत भगत :- यह मैं बोल रहा हूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- यह आरोप है। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- यह मैं बोल रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सौरभ सिंह :- घोटाला आप करो। 1 हजार करोड़ का घोटाला आप करो। (व्यवधान) 40 रूपये टन आप लो। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- ये इस प्रकार का जवाब देते हैं। (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- इस प्रकार का जवाब ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- इसको वापस लें। (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- केन्द्र सरकार जब हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। ये कोटा बढ़ाने की बात कर रहे हैं। केन्द्र सरकार कभी भी हमारी मदद नहीं करता। (व्यवधान)

[1] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार निकाला गया।

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी बनवा दीजिए, जांच करवा दीजिए।

श्री सौरभ सिंह :- 3-3 बार एक्सटेंशन हुआ है, आपकी सरकार चावल जमा नहीं कर पाती है ।

श्री नारायण चंदेल :- सदन की कमेटी बनाकर जांच करवा दीजिए ।

श्री सौरभ सिंह :- सदन में इस प्रकार की भाषा का प्रयोग नहीं होना चाहिए । अन्यथा हम भी ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे । (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- अपने शब्द वापस लीजिए । (व्यवधान)

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- इतनी ही चिंता है तो परमीशन का लेटर क्यों नहीं दिलाते हो ? (व्यवधान) छत्तीसगढ़ के हित के बारे में सोचते हो तो केन्द्र सरकार से क्यों नहीं कहते ? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- तो फिर मैं भी ऐसी ही भाषा का प्रयोग करूंगा ।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी, आपने जो माननीय रमन सिंह जी के लिए बात कही है, उसको मैं विलोपित करता हूं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- प्रताड़ित भी होना चाहिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- प्रताड़ित भी किया जाना चाहिए मंत्री जी को ।

अध्यक्ष महोदय :- श्री अरूण वोरा, प्रश्न संख्या 3 ।

श्री सौरभ सिंह :- वे माफी भी मांगे । अगर वे ऐसी भाषा का प्रयोग करेंगे तो हम भी करेंगे । हम भी चालू करते हैं । (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- मंत्री जी को क्षमा मांगना चाहिए ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- एथेनॉल की परमीशन दिला दीजिए तो कोई नुकसान नहीं होगा । मोदी जी से कहिए कि छत्तीसगढ़ को एथेनॉल बनाने की परमीशन दे दें ।

श्री अरूण वोरा :- अध्यक्ष महोदय, सच्चाई को भी स्वीकार करना चाहिए । मंत्री जी ने ग़लत नहीं कहा है ।

श्री नारायण चंदेल :- अध्यक्ष महोदय, सदन की कमेटी से जांच कराइए । (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उसे विलोपित कर दिया है ।

श्री नारायण चंदेल :- सदन में चर्चा का स्तर गिर रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उसको विलोपित कर दिया है । आपके कहे बगैर विलोपित कर दिया है ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने एक भी प्रश्न का जवाब नहीं दिया है । ऊपर से जिस तरह से बात कर रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ किसी को गाली दे दें । उसके बाद उसे विलोपित कर दिया जाए तो हम शांत हो जाएंगे । हम आसंदी से आग्रह करते हैं कि मंत्री जी को प्रताड़ित करें ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- अपने आप को सीनियर बताते हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- माननीय मंत्री जी को खेद व्यक्त करना चाहिए । केवल विलोपित करना ही पर्याप्त नहीं है । मंत्री जी को अपनी भाषा के लिए खेद व्यक्त करना चाहिए । (व्यवधान)

श्री अमरजीत भगत :- अगर आपने केन्द्र सरकार को एक भी पत्र लिखा होगा तो मैं माफी मांगने के लिए तैयार हूं । (व्यवधान) अगर आपने एक भी चिट्ठी लिखी होगी, अगर आपने एक भी बयान दिया होगा । (व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा सदन के गर्भगृह में प्रवेश किया गया)

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) :- [2][XX] यह तो मुहावरा है । उसी तर्ज पर किसी ने कहा है कि (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- उसके लिए केन्द्र सरकार जिम्मेदार है जो हमारे छत्तीसगढ़ का चावल नहीं ले रही है ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- इसके लिए कौन ज़िम्मेदार है है ग़ौर से विचार करो, तब समझ में आएगा ।

श्री अमरजीत भगत :- आपने कभी केन्द्र सरकार को लिखा है क्या ?

श्री मोहन मरकाम :- केन्द्र सरकार है जिम्मेदार है जो छत्तीसगढ़ का चावल नहीं ले रही है ।

श्री अमरजीत भगत :- मैं आप लोगों की शर्त मानने के लिए तैयार हूं ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव :- इतने नुकसान के लिए केवल केन्द्र सरकार जिम्मेदार है । परमीशन दिला दीजिए सब ठीक जो जाएगा ।

अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय।

अध्यक्ष महोदय :- एक मिनट शांत हो जाईये। आपत्तिजनक शब्दों को तो मैंने विलोपित कर दिया है और यह खेद व्यक्त करने का मामला माननीय मंत्री जी के विवेक पर है। मैं चाहता हूं कि वे अपने विवेक का इस्तेमाल करें। और आप लोग जो ...। (व्यवधान)

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि आप लोग जितना बात करते हैं, कभी-कभी किसानों के पक्ष में बयान भी दे दिया करें। केवल दिखावा के लिए आप लोग करते हैं, मेरा कहने का संदर्भ यही था और अगर मेरी बात से पीड़ा हुई है तो उसके लिए मैं ...

अध्यक्ष महोदय :- खेद व्यक्त कर दीजिए।

श्री अमरजीत भगत :- आप कह दिए तो चलिए ठीक है खेद व्यक्त करता हूँ।

---

[2] [XX] अध्यक्षीय पीठ के आदेशानुसार विलोपित ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- नहीं, आप लोगों का हो गया तो नहीं हुआ। (हंसी)

समय :
11:41 बजे

<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन</u>

अध्यक्ष महोदय :- विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली की 250 के उपनियम (1) के तहत निम्नलिखित सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गए हैं :-

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. डॉ. रमन सिंह
3. श्री पुन्नूलाल मोहले
4. श्री अजय चन्द्राकर
5. श्री नारायण चंदेल
6. श्री शिवरतन शर्मा
7. श्री सौरभ सिंह
8. श्री डमरूधर पुजारी
9. श्री रजनीश कुमार सिंह
10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू
11. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

समय:
11:41बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>शासन के उत्तर के विरोध में</u>

(नेता प्रतिपक्ष श्री धरमलाल कौशिक के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन के उत्तर के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया.)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, एक व्यवस्था का प्रश्न यह है कि इन लोगों को मना करिए। गांधी जी के पास रोज जाते हैं गांधी जी परेशान हो जाएंगे। (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- ठीक है।

श्री रविन्द्र चौबे :- फिर वही जा रहे हैं आप। प्रतिबंध लगाईये उनको।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये। अरूण वोरा जी। वोरा जी आप यह बता दो

श्री अरूण वोरा :- नहीं, मैं हिम्मत नहीं हार रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय :- मैं यह पूछ रहा रहा हूं आपसे कि ...

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- मंत्री जी, गांधी जी केवल आपका थोड़ी है, गांधी जी तो सबका है।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- आपका घर से माननीय गृह मंत्री जी की घर की दूरी कितनी है?

श्री अरूण वोरा :- distance is equal। बिल्कुल लगा हुआ ही है।

अध्यक्ष महोदय :- तो फिर आप लोग आकर प्रश्न का उत्तर वहीं कर लिया करो। यहां क्यों नहीं समझ रहे हों।

अध्यक्ष महोदय :- छोड़िए, मंत्री जी जवाब देंगे।

श्री अरूण वोरा :- फिर भी एक औपचारिता मैं माननीय मंत्री जी से पूछ लेता हूं माननीय मंत्री जी से।

<u>निलंबन समाप्ति की घोषणा</u>

अध्यक्ष महोदय :- मैं माननीय सदस्यों का निलंबन समाप्त करता हूं। कृपया कार्यवाही में भाग लें।

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमशः)</u>

श्री अरूण वोरा :- माननीय मंत्री जी, मैं अध्यक्ष महोदय के माध्यम से आपसे जानना चाहता हूं कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग द्वारा...। जी, जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आज के प्रश्नावली में माननीय मंत्री अमरजीत भगत जी के जितने प्रश्न हैं उसमें किसी भी प्रश्न में हम प्रश्न नहीं करेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- मैंने खेद व्यक्त विचारक कर दिया है । मैंने भी इसको विलोपित कर दिया था, अब आगे प्रश्न चल रहा है। उसको छोड़िए।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप भी उनको बेचारा कह रहे हैं। संसदीय कार्य मंत्री बैठे हैं, सबसे सीनियर सदस्य मौन बैठे हैं इतनी बड़ी घटना में। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी उन शब्दों का उपयोग हुआ और आपकी शांति किस बात की ओर इंगित करती है?

श्री रविन्द्र चौबे :- आप दो मिनट थोड़ा बैठ जाईये, फिर मैं बोल लूं।

श्री अजय चन्द्राकर :- श्री अमरजीत भगत जी के आज के किसी भी प्रश्न में हम भाग नहीं लेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- डॉ. रमन सिंह जी इस प्रदेश के तीन-तीन बार मुख्यमंत्री रहे हैं। व्यक्तिगत जीवन में हम सब लोग उनका बहुत सम्मान करते हैं। आज से भी ज्यादा, लेकिन डॉ. साहब प्रश्न कर रहे थे तो माननीय अजय जी आप उम्मीद क्यों करते हैं कि उत्तर आपने अनुसार आएगा। आदरणीय अमरजीत भगत जी से डॉ. साहब से पूछा कि घाटा कितना हुआ? और वो आंकड़ों का खेल है। उन्होंने जो बताया, उनको जानकारी जिधर से आया है उसके अनुसार बताया। डॉ. साहब को जो जानकारी थी वह डॉ. साहब ने बताया।

श्री शिवरतन शर्मा :- आप बात को घुमाईये मत।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप बात को घुमाईये मत। विषय क्या था उस विषय पर बोलिये न।

श्री शिवरतन शर्मा :- आंकडों की बात नहीं है।...(व्यवधान) जिस शब्द का उपयोग किया आपत्ति उस पर है।

श्री रविन्द्र चौबे :- मैंने पहले लाईन पर कहा। मैंने पहले लाईन में कहा कि डॉ. साहब का आपसे ज्यादा सम्मान करते हैं।

श्री अजय चन्द्राकर :- जो कहा अच्छा कहा। हम उनके किसी भी प्रश्न पर भाग नहीं लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चंद्राकर जी।

श्री अजय चन्द्राकर :- क्योंकि आपकी उपस्थिति में संसदीय मर्यादाएं तार-तार हुई।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय चन्द्राकर जी, एक मिनट इन्होंने कोई नये शब्द का उपयोग किया है। मैं जानना चाहता हूं कि उन्होंने मिश्री भैय्या कहा है। इसका क्या अर्थ होता है ?

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, वह अससंदीय नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- आपने मिश्री भैय्या कहा है।

श्री अजय चन्द्राकर :- अगर वह कहेंगे तो मैं माफी मांग लूंगा। तुरंत माफी मांग लूंगा।

श्री कुलदीप जुनेजा :- नहीं, वह मिश्री भैय्या किसको कहा है ?

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, मिश्री तो गला को साफ करता है।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, नहीं, आपने किसको कहा है ?

श्री अजय चन्द्राकर :- अध्यक्ष जी, मैं माफी मांग लूंगा।

श्री शिवरतन शर्मा :- जिसमें शक्कर से ज्यादा मिठास हो, वह मिश्री होती है तो भाई साहब शक्कर जैसे मिठास है। (व्यवधान)

श्री अतितेश शुक्ल :- आप मिश्री भैय्या कैसे बोले ?

श्री शिवरतन शर्मा :- अगर हमारे मिश्री भैय्या कहने से उनको आपित्त है तो हम लोग कुछ नहीं कहेंगे। हम कर लेंगे। (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- चरण छूं कर माफी मांग लूगा।

श्री नारायण चंदेल :- नहीं, माननीय अजय चन्द्राकर जी का कहना यह था कि आज जौ है उनका सब बंद कर दिये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, माननीय मंत्री जी। ताम्रध्वज साहू जी, आपको जवाब देना है।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री अभी तक प्रश्न ही नहीं कर पाया हैं।

एक माननीय सदस्य :- प्रश्न ही नहीं हुआ है तो जवाब कैसे आएगा।

अध्यक्ष महोदय :- दे चुके हैं। जल्दी से प्रश्न करिये।

एक माननीय सदस्य :- प्रश्न जल्दी से करो ।

अध्यक्ष महोदय :- 11:45 हो चुके हैं, प्रश्न करिये।

<u>सड़कों की मरम्मत, संधारण एवं पैच वर्क हेतु प्रावधानित एवं व्यय राशि</u>

3. (*क्र. 451) श्री अरूण वोरा : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) लोक निर्माण एवं स्टेट हाईवे की सड़कों की मरम्मत, संधारण एवं पैच वर्क के लिए वित्तीय वर्ष 2016-17 से वर्ष 2021-22 तक कुल कितनी राशि का प्रावधान किया गया है ? इसी अवधि में कितनी राशि खर्च की गई है ? (ख) उक्त समयावधि में सड़कों के निर्माण में अनियमितता की कोई शिकायत प्राप्त हुई ? यदि हां, तो विभाग द्वारा क्या कार्यवाही की गई ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) प्रावधानित राशि - रु. 424130.10 लाख. खर्च की गई राशि - रु. 254284.60 लाख. (ख) कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. प्रश्न उपस्थित नहीं होता है.

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सन् 2016 से 2022 तक प्रदेश में कितनी सड़कों का संधारण और मरम्मत कितने किलोमीटर किया गया ? इस अवधि में दुर्ग विधानसभा की कितनी सड़कों को स्वीकृत किया गया ?

अध्यक्ष महोदय :- यह प्रश्न तो घर जाकर पूछने का प्रश्न है। आप समय का गलत उपयोग कर रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, जवाब दीजिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, उनके प्रश्न का उत्तर मैं दे चुका हूं सम्मानीय सदस्य का। उन्होंने सिर्फ इतना पूछा है कि वर्ष 2016-17 से 2021-22 तक लोकनिर्माण स्टेट हाईवे की सड़कों की मरम्मत, संधारण पैच वर्क के लिए कितनी राशि प्रावधानित की गई और कितनी खर्च की गई ? तो मैंने बता दिया कि रू. 424130 लाख राशि प्रावधानित की गई और रू. 254284 की राशि खर्च की गई।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आप राशि बता रहे हैं। मैं कितने किलोमीटर का जानना चाहता हूं और दुर्ग विधानसभा में कितनी सड़कों का संधारण और मरम्मत शामिल किया गया ?

अध्यक्ष महोदय :- दुर्ग विधानसभा में 6 मंत्री हैं उस हिसाब से किया गया होगा। (हंसी) प्रश्न क्रमांक-4 । नेताम जी।

श्री अरूण वोरा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा-सा प्रश्न और है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कितने स्टेट हाईवे हैं ? स्टेट हाईवे के अंतर्गत कुछ कितनी किलोमीटर की सड़कें हैं ?

अध्यक्ष महोदय :- संतराम जी।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न अलग है और यह कितना किलोमीटर क्या है ?

अध्यक्ष महोदय :- मैंने पहले ही पूछा न कि आपके घर में और उनके घर में कितना अंतर है ? एक-दूसरे को वही गुदगुदा लीजिए।

अध्यक्ष महोदय :- चलो, नेताम जी।

<u>वरिष्ठ अधिकारियों के स्थान पर कनिष्ठ अधिकारियों की पदस्थापना</u>

4. (*क्र. 280) श्री सन्तराम नेताम : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या कनिष्ठ अधिकारियों को उच्च पद पर प्रभारी पदस्थ किये जाने के संबंध में विभाग या सामान्य प्रशासन विभाग ने निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो दिनांक 20-11-21 की स्थिति में विभाग में कार्यपालन अभियंता व उच्च पद पर वरिष्ठता सूची के स्थान पर कौन-कौन कनिष्ठ अधिकारी को कहां-कहां प्रभारी अधिकारी पदस्थ किया गया है ? नामवार, स्थानवार जानकारी देवें ? विभाग में कितने वरिष्ठ अधिकारी, कनिष्ठ अधिकारियों को प्रभार देने के कारण प्रभावित हुए हैं ? (ख) राज्य में विभाग के किस-किस अधिकारियों के विरूद्ध पुलिस/विभागीय/इ.ओ.डब्ल्यू/ए.सी.बी. में जांच चल रही है नाम व पद सहित जानकारी देने का कष्ट करें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : (क) जी नहीं. शेष जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" एवं प्रपत्र "ब" में दी गयी है. (ख) लोक निर्माण विभाग में अधिकारियों के विरूद्ध प्रचलित विभागीय जांच की जानकारी †[3] संलग्न प्रपत्र "स" में दी गयी है. पुलिस/इ.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. में चल रही जांच की जानकारी उपरोक्त विभाग से संबंधित है. प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग, नवा रायपुर में उपलब्ध दस्तावेज के अनुसार इ.ओ.डब्ल्यू./ए.सी.बी. में चल रही जांच की जानकारी † संलग्न प्रपत्र "द" में दी गयी है.

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक सवाल किया था कि वरिष्ठ अधिकारी होते हुए आप कनिष्ठ अधिकारी को प्रभारी क्यों बनाया गया है ? या इस संबंध में कोई सामान्य प्रशासन से क्या कोई निर्देश मिला था ? उन्होंने बोला कि सामान्य प्रशासन से कोई निर्देश

[3] परिशिष्ट "दो"

नहीं मिला है। तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि आप 29 वरिष्ठ अधिकारी होने के बाद भी आप कनिष्ठ अधिकारियों को बनाये हैं।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मंत्री जी।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्मानीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय सदस्य के उत्तर में स्पष्ट कह दिया है जैसा कि उन्होंने खुद कहा है कि विभाग का या सामान्य प्रशासन विभाग का इस पर कोई निर्देश नहीं है। कोई आदेश नहीं है। विभागीय कार्रवाई के संचालन के लिए वरीयता के आधार पर, उपयुक्तता के आधार पर हम लोग समय-समय पर जैसे किसी का ट्रांसफर हुआ तो हम लोग वहां उसको प्रभार दे देते हैं। यह प्रभार है। पदस्थि पूर्णरूपेण नहीं है तो यह व्यवस्था के अंतर्गत ही किया जाता है।

अध्यक्ष महोदय :- और कोई बात।

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि लोकनिर्माण के 78 अधिकारियों के विरूद्ध में विभागीय जांच लंबित है। उक्त 78 अधिकारियों का किस-किस वर्ष से जांच लंबित है ? यदि लंबित है तो क्यों लंबित है ? क्या कारण है ? अगर कोई जांचकर्ता जानबूझकर लंबित बता रहा है तो उसको ऊपर आप क्या कार्रवाई करेंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, जांच दूसरे विभागों में होता है। हमारे विभाग से भी होता है। ए.सी.बी./इ.ओ.डब्ल्यू. में तो उसका कारण तो मैं नहीं बता पाऊंगा क्योंकि वह विभाग में रहेगा। लेकिन जांच में लंबित रहते हुए भी जब तक निराकरण न हो जाए, तब तक के उसको प्रभार देने में कोई बात नहीं होती है। उसको दिया जा सकता है।

श्री सन्तराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जितना भी यह 78 लोगों का आपके पास रखा हूं। वह सारे विभागीय जांच आज भी लंबित हैं। कितने पुराने वर्ष, मैं आपको वर्ष पूछा हूं। कब तक क्या कारण है ? अगर जानबूझकर किसी जांच अधिकारी ने उसको किया है तो इस पर तो आपका स्पष्ट उत्तर आ जाना चाहिए। मेरा सवाल लगाने का मतलब यह है कि ऐसे कितने लंबित है और उनको आप प्रभार दे रहे है। मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने वर्ष से हैं ? एक साल, दो साल, तीन साल चल सकता है पर अगर वर्षों से लंबित हैं तो इसका क्या कारण है ? आप उसके ऊपर क्या कार्रवाई करेंगे ? मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, कब से लंबित है, यह सन् तो अभी उपलब्ध नहीं है, यह मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन कार्यवाही प्रचलन में है । कार्यवाही होने के बाद पूरी डिटेल जानकारी माननीय सदस्य ने मांगी है, तारीख की जानकारी मांगी गई है कि कब से है, वह जानकारी बता दी जाएगी, पर अलग-अलग है । जो ए.सी.बी., ई.ओ.डब्ल्यू. में जो प्रकरण है, वह 78 नहीं है, मात्र 41 अधिकारी हैं और बाकी विभागीय जांच है।

श्री संतराम नेताम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा अंतिम प्रश्न है, उसके बाद मैं प्रश्न नहीं कर पाऊंगा । विभाग के 60 अधिकारियों के खिलाफ ई.ओ.डब्ल्यू. तथा ए.सी.बी. में जो जांच चल रही है, उसके संबंध में मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि कितने अधिकारियों के खिलाफ में न्यायालय में चालान पेश हो चुका है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, न्यायालय में चालान वाली जानकारी प्रश्न में नहीं पूछा गया था, जो पदस्थापना का प्रकरण चल रहा है, उसकी जानकारी माननीय सदस्य ने पूछी थी, मैंने वह जवाब दे दिया है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि वरिष्ठ अधिकारी के रहते हुए कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार दिया गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि अगर वरिष्ठ अधिकारी हैं तो जहां-जहां भी, जिस-जिस पद में भी अगर कनिष्ठ अधिकारी को प्रभार दिया गया है, क्या आप उनको हटाकर जो वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनको प्रभारी बनाएंगे ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे विभाग की सतत् प्रक्रिया है । जैसे अभी हम प्रमोशन कर रहे हैं । हम लोगों ने एस.ई. से चीफ इंजीनियर पर प्रमोशन किया तो उसमें बहुत सा परिवर्तन आया, उनकी जगह में पदस्थ किये, प्रभारी हटे । फिर हमने ई.ई. से एस.ई. में प्रमोशन किया तो फिर प्रभारी हटे और उनकी जगह पोस्टिंग होती गई । अभी हम लोग ए.ई. से ई.ई. में प्रमोशन कर रहे हैं, उसका भी आर्डर होने वाला है तो वह स्वमेव पदस्थी होती जाएगी और कनिष्ठ अधिकारी हटते जाएंगे ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, जितने दिन के लिए भी प्रभार में हैं, क्या आप वरिष्ठ अधिकारी को प्रभारी बनाएंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- माननीय धरमलाल जी कौशिक, आपका प्रश्न क्रमांक 5 है, आप अपना प्रश्न करें ।

केन्द्र सरकार द्वारा चावल उपार्जन

5. (*क्र. 555) श्री धरमलाल कौशिक : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) क्या यह सही है, कि केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार से चावल का उपार्जन किया जाता है ? यदि हां, तो किन-किन मद/पुल/योजना में लिया जाता है ? वित्तीय वर्ष 2019-20, 2020-21, 2021-22 में किस-किस मद/पुल में कितना चावल उपार्जन की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा कब-कब दी गई व उसके विरुद्ध कितना चावल केन्द्र सरकार को दिया गया व कितना दिया जाना शेष है या था, व कब तक दिया जावेगा ? यदि कम दिया गया है, तो उसका क्या कारण है व उसके लिए दोषी कौन है ? (ख) प्रश्नांश

"क" अवधि में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को चावल उपार्जन का कितनी मात्रा/कोटा बढ़ाये जाने कब-कब पत्र लिखा गया ? (ग) प्रश्नांश "क" अवधि में धान सुखत हेतु कितनी राशि केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है तथा सुखत में कुल कितनी राशि लगी ? इस हेतु केन्द्र सरकार से प्राप्त होने वाली राशि से अतिरिक्त राशि किस मद से कितने क्विंटल धान सुखत हेतु भुगतान की गई है या भुगतान किये जाने के किसे निर्देश दिया गया है ? वर्षवार व राशिवार जानकारी देवें ? इस वित्तीय वर्ष में प्रति क्विंटल चावल हेतु किन-किन मदों में केन्द्र सरकार कितनी-कितनी राशि दे रही है ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) जी हां, विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य में धान/चावल का उपार्जन किया जाता है. भारत सरकार द्वारा राज्य को सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मध्यान्ह भोजन योजना, पूरक पोषण आहार योजना एवं केन्द्र सरकार की अन्य कल्याणकारी योजनाओं हेतु प्रदाय आबंटन के अनुरूप केन्द्रीय पूल हेतु चावल का उपार्जन किया जाता है. इसके अलावा विकेन्द्रीकृत खाद्यान्न उपार्जन योजना अंतर्गत राज्य में उपार्जित सरप्लस चावल का उपार्जन भी अन्य राज्यों हेतु भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से किया जाता है. खरीफ वर्ष 2019-20 में भारत सरकार के पत्र दिनांक 08-06-2020 द्वारा, खरीफ वर्ष 2020-21 में भारत सरकार के पत्र दिनांक 03-01-2021 द्वारा तथा खरीफ वर्ष 2021-22 में भारत सरकार के पत्र दिनांक 05-10-2021 द्वारा केन्द्रीय पूल हेतु चावल उपार्जन की मात्रा की स्वीकृति दी गई है. खरीफ वर्ष 2019-20 में केन्द्रीय पुल हेतु 51.80 लाख टन, खरीफ वर्ष 2020-21 में 47 लाख टन तथा खरीफ वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय पूल हेतु 61.65 लाख टन उपार्जन की स्वीकृति केन्द्र सरकार द्वारा दी गई है. खरीफ वर्ष 2019-20 के 51.80 लाख टन चावल उपार्जन के लक्ष्य के विरुद्ध 50.08 लाख टन चावल केन्द्रीय पूल में निर्धारित समय-सीमा में जमा कराया गया तथा शेष 1.72 लाख टन चावल कोविड-19 महामारी, भारतीय खाद्य निगम द्वारा चावल उपार्जन में विलंब किए जाने के कारण नियत समय-सीमा में जमा नहीं कराया जा सका. खरीफ वर्ष 2020-21 के 47 लाख टन चावल उपार्जन के लक्ष्य के विरूद्ध दिनांक 07-12-2021 तक 45.32 लाख टन चावल केन्द्रीय पूल में जमा कराया गया तथा शेष 1.68 लाख टन चावल जमा कराए जाने की समय-सीमा 31-12-2021 तक निर्धारित है. खरीफ वर्ष 2021-22 में केन्द्रीय पूल हेतु चावल जमा कराने की समय-सीमा 30-09-2022 तक निर्धारित है तथा चावल उपार्जन का कार्य प्रचलित है. (ख) जानकारी †[4] संलग्न परिशिष्ट अनुसार है. (ग) प्रश्नांश "क" की अवधि में उपार्जित धान के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है, जिसके उपरांत संबंधित खरीफ वर्षों का अंतिम लेखा तैयार कर भारत सरकार को प्रस्तुत किया जावेगा तथा इसके पश्चात् ही भारत सरकार द्वारा सूखत मद में अंतिम रूप से स्वीकृत राशि की जानकारी ज्ञात हो सकेगी. अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

[4] परिशिष्ट "चार"

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरम लाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, गतिरोध समाप्त नहीं हुआ है और माननीय खाद्यमंत्री के विभाग से संबंधित सारी कार्यवाही में हम लोग भाग नहीं लेंगे और मैं प्रश्न नहीं करना चाहता ।

श्री नारायण चंदेल :- उनका तो पौनी-पसारी बंद कर दिया गया है ।

<u>अध्यक्षीय व्यवस्था</u>

अध्यक्ष महोदय :- माननीय खाद्यमंत्री जी द्वारा प्रस्तुत शब्दों को मैंने विलोपित कर दिया है और माननीय मंत्री जी ने खेद भी व्यक्त कर लिया है । उसके बाद अब सदन में उपस्थित रहकर प्रश्न न करना उचित संसदीय परम्परा नहीं है । अत: मेरा सदस्यों से अनुरोध है कि प्रश्न पूछकर उन्हें जो संसदीय अधिकार प्राप्त हैं, उसका जनहित में उपयोग करें ।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं करेंगे ।

श्री अजय चन्द्राकर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम आसंदी का बहुत सम्मान करते हैं और आज वास्तव में उनके दुर्व्यवहार से पीड़ा हुई है । सिर्फ उनके विभाग की कार्यवाही को छोड़कर आपसे क्षमा मांगते हुए हम लोग बाकी कार्यवाहियों में भाग लेंगे ।

<u>तारांकित प्रश्नों के मौखिक उत्तर (क्रमश:)</u>

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न क्रमांक 6 श्री धनेन्द्र साहू जी ।

<u>ग्राम चम्पारण में संचालित श्री महाप्रभू प्रागट्य बैठक जी के ट्रस्ट की चल-अचल सम्पत्ति</u>

6. (*क्र. 130) श्री धनेन्द्र साहू : क्या गृह मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि रायपुर जिले की गोबरा नवापारा तहसील के ग्राम चम्पारण में संचालित मंदिर ट्रस्ट श्री महाप्रभू प्रागट्य बैठक जी ट्रस्ट की चल-अचल संपत्ति की जानकारी देवें तथा अपंजीकृत ट्रस्टश्री महाप्रभु जी महाराज सर्वराकार श्री बृज जीवन लाल जी महाराज के नाम से कुल कितनी चल-अचल संपत्ति है. तथा उक्त दोनों ट्रस्टों के द्वारा अचल सम्पत्तियों को कितने-कितने रकबा की भूमि को कब-कब बिक्रय किया गया कृपया जानकारी देवें ?

गृह मंत्री (श्री ताम्रध्वज साहू) : जानकारी ††[5] संलग्न परिशिष्ट अनुसार.

[5] परिशिष्ट "पॉच"

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से चम्पारण स्थित चल-अचल सम्पत्तियों की जानकारी मांगी थी । माननीय मंत्री जी ने अचल सम्पत्ति की जानकारी तो दी है, पर चल सम्पत्ति की जानकारी नहीं दी है ।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी भी जानकारी दे दी है।

अध्यक्ष महोदय :- माननीय साहू जी, चल सम्पत्ति तो चलते रहता है न । मंत्री जी अचल सम्पत्ति की जानकारी दे सकते हैं ।

श्री धनेन्द्र साहू :- अध्यक्ष जी, पंजीकृत ट्रस्ट की जानकारी रिकार्डेड रहती है। साथ ही मैंने यह भी पूछा है कि जो अपंजीकृत ट्रस्ट है-श्री महाप्रभु जी महाराज एवं सर्वराकार श्री बृज जीवन लाल जी महाराज । यह अपंजीकृत ट्रस्ट कई सालों से संचालित है । इसका पंजीयन नहीं हुआ है और दोनों ट्रस्टों के द्वारा काफी बड़े पैमाने पर अचल सम्पत्ति की बिक्री की गई है । जितनी भी जमीनों की बिक्री की गई है, क्या उन्होंने शासन से या कलेक्टर से विधिवत् बिक्री पूर्व अनुमति ली है या शासन के द्वारा अनुमति प्रदान की गई है ?

श्री ताम्रध्वज साहू :- सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मूलत: यह जो प्रश्न है, वह राजस्व विभाग से संबंधित है और माननीय विधायक महोदय दो-तीन बार यह प्रश्न राजस्व विभाग से पूछ चुके हैं । अभी चल-अचल सम्पत्ति की बात है तो उनकी जानकारी लेकर मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहूंगा कि निश्चित तौर पर जो-जो बिन्दु है, जहां गलतियां हुई हैं, ऐसा आपको लगता है कि वह उचित नहीं है, ऐसा लगता है तो प्रश्न मुझे दे दें, मैं कलेक्टर या एस.डी.एम. जिनसे भी होगा, मैं तत्काल आपके समक्ष बुलवाकर, जानकारी देकर करवा दूंगा।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी जांच का आश्वासन दे रहे हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन मैं इसमें उल्लेख करना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक किसी भी ट्रस्ट, मंदिर की जमीन को किसी भी परिस्थिति में बेचने की अनुमति नहीं है। जबकि ये सन् 2008, 2011-12, लगातार अभी तक जमीन की बिक्री चालू है। इसलिए मैं इसमें चाहूंगा कि इस पर जांच कराकर सब बिक्री को निरस्त करें। दूसरा, इसमें जिन जमीनों का उल्लेख किया गया है, खसरा नं. 729/2 एवं 729/3 कुल 2.4 हैक्टेयर जमीन के बारे में मेरे ही प्रश्न के उत्तर में जानकारी दी है, यह घास जमीन दर्ज है। इस घास जमीन को भी दस्तावेज में कूटरचित कर ट्रस्ट ने अपने नाम पर दर्ज करा लिया और फिर दूसरे को बिक्री कर दिया। तो इस प्रकरण की भी जांच कराकर वापस शासन के पक्ष में निहित दर्ज करायेंगे।

श्री ताम्रध्वज साहू :- माननीय अध्यक्ष जी, मैंने इसीलिए विन्रमतापूर्वक कहा कि अभी के प्रश्न और पिछले 2-3 बार के प्रश्नों को समाहित करते हुए कलेक्टर, एस.डी.एम. के सामने बैठक कर इसकी जांच कराकर उस पर जो भी नियमानुसार कार्रवाई है, वह कार्रवाई की जायेगी।

अध्यक्ष महोदय :- आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धनेन्द्र साहू :- माननीय अध्यक्ष महोदय, एक छोटा सा प्रश्न है। जो अपंजीकृत ट्रस्ट हैं, वे अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं। उस पर रोक लगाये।

अध्यक्ष महोदय :- उसको भी कर दीजियेगा।

श्री ताम्रध्वज साहू :- ये पंजीयन एस.डी.एम. करते हैं, कलेक्टर हमारे विभाग से संबंधित नहीं है।

श्री धनेन्द्र साहू :- वह तो 20-25 साल से पंजीयन ही नहीं कराये हैं।

श्री ताम्रध्वज साहू :- इसीलिए मैं आपको उत्तर दे रहा हूं कि एस.डी.एम. और कलेक्टर इसके अधिकारी हैं। यह मेरा विभाग नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- फिर भी विस्तृत जांच के आदेश दे दीजिये।

श्री ताम्रध्वज साहू :- मैं बोल दिया हूं।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं, आप कह दीजिये कि विस्तृत जांच करायेंगे।

श्री ताम्रध्वज साहू :- कह तो दिया, मैं पहले ही बोल दिया हूं

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद। श्री शिवरतन शर्मा

<u>प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत चावल का आबंटन/वितरण</u>

7. (*क्र. 471) श्री शिवरतन शर्मा : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) मई 2021 से नवंबर, 2021 तक केन्द्र शासन द्वारा प्रधानमंत्री गरीब अन्न कल्याण योजना के अंतर्गत किस-किस वर्ग हेतु कितनी-कितनी मात्रा में अतिरिक्त अनाज का आबंटन राज्य सरकार को प्रदान किया गया ? (ख) क्या केन्द्र शासन की घोषणा के अनुरूप राज्य को आबंटन प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो कौन-कौन से किस्म का अनाज कितनी-कितनी मात्रा में ? (ग) क्या उक्त अवधि में प्रदेश में उपभोक्ताओं को केन्द्र शासन द्वारा दिया गया अतिरिक्त आबंटन का नियमित रूप से वितरण किया गया था या इसमें प्रदेश शासन द्वारा किसी प्रकार की कटौती की गयी थी ? (घ) क्या इस अवधि में राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले अनाज में कोई कटौती की गई थी ? यदि हां, तो कितनी और उसके कारण क्या थे ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनांतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को माह मई 2021 से नवंबर 2021 के प्रत्येक माह हेतु 1,00,385 टन चावल का आबंटन प्रदाय किया गया है. (ख) जी हां, केन्द्र सरकार द्वारा राज्य सरकार को माह मई 2021 से नवंबर 2021 के प्रत्येक माह हेतु 1,00,385 टन चावल का आबंटन प्राप्त हुआ है. (ग) जी हां, उपरोक्त अवधि में प्रदेश में हितग्राहियों को केन्द्र शासन द्वारा दिये गये अतिरिक्त आबंटन को नियमित रूप से वितरित किया गया है. (घ) जी नहीं, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता.

(माननीय सदस्य श्री शिवरतन शर्मा उपस्थित थे, किन्तु उन्होंने प्रश्न नहीं किया)

अध्यक्ष महोदय :- श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू।

<u>धमतरी जिले में अरवा एवं उसना राईस मिलरों से अनुबंध</u>

8. (*क्र. 474) श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) धमतरी जिले में कितने अरवा एवं उसना राईस मिलों का वर्ष 2020-21 में धान उपार्जन केन्द्रों से कस्टम मिलिंग हेतु अनुबंध किया गया ? कस्टम मिलिंग हेतु किस दर से मिलर्स को राशि दी जाती है क्या उक्त राशि को बढ़ाने की विभाग की योजना है ? यदि हां, तो कब तक एवं कितनी राशि ? (ख) धमतरी जिले में वर्ष 2020-21 में कुल कितनी मात्रा में उपार्जन केन्द्रों के माध्यम से धान खरीदी की गई ? धान खरीदी हेतु अंतिम तिथि कब थी ? कस्टम मिलिंग हेतु किस दिनांक से मिलरों को प्रपत्र जारी किया गया एवं धान खरीदी के अंतिम तिथि तक कितनी मात्रा में कस्टम मिलिंग हेतु पत्र जारी की गई थी ? दिनांक 20-11-2021 तक कितनी मात्रा में खरीदी गई धान का उठाव सोसायटीयों से नहीं किया गया है ? उसके लिए कौन जिम्मेदार है ? (ग) अनुबंधित मिलर्स की प्रतिदिन क्षमता कितनी है ? क्या यह सही है, कि कस्टम मिलिंग हेतु अनुबंधित मिलर्स को उनकी क्षमता के अनुरूप पत्र जारी नहीं किया गया ? यदि हां, तो क्यों ? (घ) क्या समर्थन मूल्य में खरीदे गये धान के उपार्जन करने के बदले दी जाने वाली कमीशन की राशि समितियों की जारी कर दी गई है ? यदि हां, तो कुल राशि एवं दी गई राशि की जानकारी बतावें ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में शासकीय धान की कस्टम मिलिंग हेतु धमतरी जिले में 104 अरवा एवं 93 उसना मिलर्स द्वारा अनुबंध किया गया है. खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में कस्टम मिलिंग हेतु मिलर्स को प्रदान की जानी वाली राशि का विवरण निम्नानुसार है :—

(राशि रुपये में प्रति क्विंटल)

क्र.	किस्म	कस्टम मिलिंग दर	प्रोत्साहन राशि			
			मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता से कम धान की मिलिंग करने पर प्रोत्साहन राशि	मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता के बराबर धान की कस्टम मिलिंग कर संपूर्ण चावल जमा करने पर प्रोत्साहन राशि	मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता से अधिक एवं छः माह की मिलिंग क्षमता तक धान की कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने पर प्रोत्साहन राशि	मिलर के द्वारा मिल की छः माह की मिलिंग क्षमता से अधिक धान की कस्टम मिलिंग कर चावल जमा करने पर प्रोत्साहन राशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	अरवा	10.00	मिलर के द्वारा मिल की दो माह की मिलिंग क्षमता से कम धान की अरवा मिलिंग कर संपूर्ण चावल जमा करने पर कोई प्रोत्साहन राशि देय नहीं होगी, केवल भारत शासन द्वारा निर्धारित कस्टम मिलिंग दर प्रदाय की जावेगी. किंतु विशिष्ट परिस्थितियों में (यथा, धान उपार्जन एजेंसी द्वारा मिलिंग हेतु धान उपलब्ध न कराये जाने की अवस्था में इत्यादि) प्रबंध संचालक मार्कफेड के द्वारा प्रकरण के पूर्ण परीक्षणोपरांत गुण दोषों के आधार पर मिलर के द्वारा मिल की गई उपरोक्त धान की मात्रा पर दो माह की मिलिंग क्षमता के बराबर धान मिल करने पर निर्धारित प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा सकेगी.	30 रू. प्रति क्विंटल	40 रू. प्रति क्विंटल	45 रू. प्रति क्विंटल
2	उसना	20.00	0	0	10 रू. प्रति क्विंटल	15 रू. प्रति क्विंटल

खरीफ वर्ष 2020- 21में उपार्जित शासकीय धान की मिलिंग हेतु मिलिंग चार्ज में वृद्धि किये जाने के संबंध में राज्य शासन द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किये गये हैं) .ख (धमतरी जिले में खरीफ वर्ष 2020- 21में उपार्जन केन्द्रों के द्वारा कुल 427749मे .टन .धान की खरीदी की गई .धान खरीदी हेतु अंतिम तिथि 31जनवरी 2021थी .कस्टम मिलिंग हेतु मिलरों को प्रपत्र जारी नहीं किया जाता है, अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता .दिनांक 20-11- 2021तक की स्थिति में कस्टम मिलिंग हेतु उठाव योग्य समस्त धान की मात्रा का समितियों से उठाव किया जा चुका है, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता) .ग (कस्टम मिलिंग हेतु अनुबंधित मिलर्स की दैनिक मिलिंग क्षमता 16घंटे की मिलिंग के आधार पर अरवा मिलर्स हेतु 3956. 32मेट्रिक टन एवं उसना मिलर्स हेतु 4236मेट्रिक टन है .कस्टम मिलिंग हेतु अनुबंधित मिलर्स को पत्र जारी नहीं किया जाता, शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता) .घ (समर्थन मूल्य में खरीदे गये धान के उपार्जन करने के बदले दी जाने वाली कमीशन की राशि 1335. 37लाख रुपये में टीडीएस एवं शार्टेज/अन्य कटौती उपरांत राशि 360. 61लाख रुपये जारी किया गया है.

(माननीय सदस्या श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू उपस्थित थे, किन्तु उन्होंने प्रश्न नहीं किया)

प्रश्न संख्या : 9 XX XX

प्रश्न संख्या : 10 XX XX

<u>धान की कस्टम मिलिंग</u>

11. (*क्र. 51) श्री अजय चन्द्राकर : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) खरीफ वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 की धान खरीदी में दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 की स्थिति में कितनी मात्रा में धान की कस्टम मिलिंग हो गयी है ? कितना धान संग्रहण केन्द्रों/समितियों में शेष है तथा कस्टम मिलिंग नहीं होने के क्या कारण हैं ? उनमें से धान की कितनी मात्रा किन-किन कारण से अमानक व सूखत घोषित हो गयी है ? अमानक व सूखत धान का मूल्य कितना है ? तथा किस किस्म की धान, कितनी मात्रा में, किस दर पर वन विभाग को विक्रय कर दी गयी है ? विक्रय की गयी धान की दर को किस आधार पर कैसे निर्धारित किया गया ? (ख) खरीफ वर्ष 2020-21 (30 अक्टूबर, 2021 की स्थिति) में समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की किस दर पर, किनको-किनको, कितनी मात्रा, किस प्रक्रिया के तहत् नीलामी की गयी ? और नीलामी के चावल का मूल्य निर्धारित कैसे किया गया ? तथा चावल नीलामी में लक्ष्य कितना रखा गया था और किस दर में, कितनी मात्रा चावल की नीलामी की गई और धान व चावल की नीलामी से राज्य को कितनी राजकोषीय क्षति हुई है ? दोनों का अलग-अलग बतायें ? (ग) खरीफ वर्ष 2021-22 में कितनी मात्रा में धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है ? क्या इस वर्ष

की धान खरीदी में केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा समर्थन मूल्य पर वृद्धि की गयी है ? यदि, हां तो कितनी ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) दिनांक 30 अक्टूबर, 2021 की स्थिति में खरीफ विपणन वर्ष 2019-20 में उपार्जित धान में से 81.49 लाख टन तथा खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित धान में से 78.66 लाख टन धान की कस्टम मिलिंग का कार्य पूर्ण हो गया था. मार्कफेड के धान संग्रहण केन्द्रों में खरीफ वर्ष 2019-20 का 71,000 मेट्रिक टन तथा खरीफ वर्ष 2020-21 का 2.60 लाख मेट्रिक टन धान शेष है, समितियों में उपरोक्त खरीफ वर्षों का धान शेष नहीं है. कोविड-19 महामारी, भारतीय खाद्य निगम द्वारा विलंब से चावल उपार्जन करना तथा असामयिक वर्षा के कारण धान के निराकरण में विलंब हुआ. वर्तमान में उपरोक्त वर्षों के संग्रहण केन्द्र में शेष धान के निराकरण की कार्यवाही प्रचलित है. जिसके पूर्ण होने के उपरांत सूखत अथवा अमानक धान की मात्रा ज्ञात हो सकेगी. समितियों द्वारा खरीफ वर्ष 2019-20 में प्रतिवेदित धान सूखत मात्रा 43,656 मेट्रिक टन है, जिसका मूल्य 79.54 करोड़ रुपये तथा खरीफ वर्ष 2020-21 में 02 उपार्जन केन्द्रों को छोड़कर शेष उपार्जन केन्द्रों के लेखा मिलान उपरांत प्रतिवेदित सूखत मात्रा 1,76,416 मेट्रिक टन है, जिसका मूल्य 330.78 करोड़ रुपये है. वन विभाग को मार्कफेड द्वारा धान विक्रय नहीं किया गया है. अतः शेष प्रश्नांश उपस्थित नहीं होता. (ख) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में प्रश्नांकित अवधि तक समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान की मार्कफेड द्वारा ऑनलाईन ई-नीलामी के जरिए अधिकतम दर प्रस्तुत करने वाले निविदाकर्ता को राज्य शासन के अनुमोदन उपरांत विक्रय किया गया. धान विक्रय की न्यनूतम दर 1350 रुपये प्रतिक्विंटल से लेकर अधिकतम 1580 रुपये प्रति क्विंटल रही. विक्रय किए गए धान की क्रेतावार जानकारी † संलग्न प्रपत्र "अ" अनुसार है. मार्कफेड द्वारा 8,96,549 टन धान की ई-नीलामी से राज्य शासन को 554.43 करोड़ रुपये की हानि हुई. खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में उपार्जित किए जाने वाले चावल हेतु भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रोविजनल इक्वीजेशन कॉस्ट † संलग्न प्रपत्र "ब" के आधार पर नागरिक आपूर्ति निगम द्वारा 6 लाख टन चावल विक्रय का लक्ष्य रखा गया था. इस लक्ष्य के विरुद्ध चावल अरवा कामन दर 22,015 रुपये प्रति टन की दर पर 20,000 टन, चावल अरवा कॉमन दर 22120 प्रति टन की दर पर 3500 टन तथा चावल अरवा ग्रेड ए दर 22,520 रुपये प्रति टन की दर पर 10,000 टन सहित कुल 33,500 टन चावल नीलामी के जरिए विक्रय किया गया. चावल विक्रय से राज्य शासन को 36.53 करोड़ रुपये की क्षति हुई है. (ग) खरीफ विपणन वर्ष 2021-22 में समर्थन मूल्य पर सहकारी समितियों के माध्यम से 105 लाख मेट्रिक टन धान उपार्जन का अनुमान है. धान के समर्थन मूल्य का निर्धारण भारत सरकार द्वारा किया जाता है, जो वर्तमान खरीफ वर्ष 2021-22 में कॉमन धान हेतु 1940 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान हेतु 1960 रुपये प्रति क्विंटल है. विगत खरीफ वर्ष 2020-21 में कॉमन धान हेतु 1868 रुपये प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान हेतु 1888 रुपये प्रति क्विंटल

था. भारत सरकार द्वारा विगत खरीफ वर्ष 2020-21 में धान के लिए घोषित समर्थन मूल्य से वर्तमान खरीफ वर्ष में समर्थन मूल्य में वृद्धि की गई है.

(माननीय सदस्य श्री अजय चन्द्राकर उपस्थित थे, किन्तु उन्होंने प्रश्न नहीं पूछा)

<u>राजनांदगांव जिला में स्थापित धान संग्रहण केन्द्र</u>

12. (*क्र. 516) श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल : क्या खाद्य मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) राजनांदगांव जिला अंतर्गत कितने धान संग्रहण केन्द्र स्थापित किये गये हैं ? उनमें से कितने केन्द्रों में पक्का चबूतरा बनाया गया है ? (ख) संग्रहण केन्द्रों में मजदूर मुख्यतः किस कार्य हेतु लगाये जाते हैं तथा प्रति संग्रहण केन्द्रवार कितने मजदूर लगाये जाते हैं ? (ग) वर्ष 2020-21 की स्थिति में संग्रहण केन्द्र का नाम, धारक क्षमता, उपरोक्त संग्रहण केन्द्र में कार्यरत मजदूरों की संख्या (मानव दिवस) संग्रहण केन्द्रवार जानकारी प्रदान करने का कष्ट करेंगे ?

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) : (क) खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में राजनांदगांव जिले में 07 धान संग्रहण केन्द्र स्थापित किये गये हैं, इनमें से 02 धान संग्रहण केन्द्रों में 36 पक्के चबूतरों का निर्माण किया गया है. (ख) धान संग्रहण केन्द्रों में धान फड़ की साफ-सफाई, पाला भराई, बोरा सिलाई एवं धान फड़ की चौकीदारी के लिए मजदूर लगाये जाते हैं. प्रत्येक संग्रहण केन्द्रों में कार्य की आवश्यकतानुसार मजदूर लगाये जाते हैं. (ग) जानकारी [6]†† संलग्न परिशिष्ट अनुसार है.

श्री भुनेश्वर शोभाराम बघेल :- आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री जी से पूछा था कि जिले में कितने धान संग्रहण केन्द्र हैं और उनमें से कितने में पक्का चबूतरा बना है। तो इसमें माननीय मंत्री जी का जवाब आ गया है। मैं उससे संतुष्ट हूं। मैं मंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि नवीन धान खरीदी केन्द्र बनाने से हमारे किसानों को पूर्व में जो समस्या होती थी, उन समस्याओं से निजात मिली है। इसलिए मैं मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- चलिये, बहुत-बहुत धन्यवाद। प्रश्न संख्या-13 श्री अमितेश जी। जल्दी पूछिये, समय कम है।

<u>गरियाबंद नगर पालिका परिषद अंतर्गत नल जल आवर्धन योजना के तहत आबंटित राशि</u>

13. (*क्र. 482) श्री अमितेश शुक्ल : क्या नगरीय प्रशासन मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि (क) गरियाबंद नगर पालिका परिषद अंतर्गत नल-जल आवर्धन योजना के तहत विगत 03 वर्षों

[6] †† परिशिष्टि "छः"

में किन-किन मदों पर कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई ? (ख) कंडिका "क" के तहत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत के पूर्ण कराए गए, कितने शेष हैं और क्यों ? कब तक पूर्ण किया जाएगा ? (ग) क्या यह सही है, कि कंडिका "क" के पाईप लाईन विस्तार कार्य में निविदा के विरूद्ध गुणवत्ताविहीन कार्य एवं अनियमित भुगतान होने की शिकायत मिली है, हां तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

नगरीय प्रशासन मंत्री (डॉ. शिवकुमार डहरिया) : (क) गरियाबंद नगर पालिका परिषद अंतर्गत नलजल आवर्धन योजना के तहत विगत 03 वर्षों में निम्नांकित मदों पर राशि आबंटित की गई है :—

1.	जल आवर्धन योजना :—	24.45 लाख (डिपोजिट वर्क गृह विभाग)
2.	14वें वित्त अंतर्गत :—	28.76 लाख
3.	अधोसंरचना मद :—	11.40 लाख
	योग	65.61 लाख

(ख) जानकारी †[7] संलग्न परिशिष्ट पर है. (ग) कंडिका "क" के पाईप लाईन विस्तार कार्य में निविदा के विरूद्ध गुणवत्ताविहीन कार्य एवं अनियमित भुगतान होने की कोई भी शिकायत निकाय को प्राप्त नहीं हुई है.

श्री अमितेश शुक्ल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने इस विषय में बोला है, मंत्री जी जवाब दिया है। मैंने खण्ड-ख में पूछा था कि कंडिका"क" के तहत कौन-कौन से कार्य कितनी-कितनी लागत से पूर्ण कराये गये ? मैं इसमें सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि जो जानकारी दी गई है, जल आवर्द्धन योजना में एक जानकारी थोड़ी जानकारी नहीं दी गई है, उसमें करोड़ों रूपये का काम हुआ था, उसमें 11 करोड़ रूपये का काम था, उसकी जानकारी नहीं दी गई है। उसमें बहुत घपला और भ्रष्टाचार हुआ है। उसमें एक टैंक बना था, वार्ड-15 में बना था, उसमें बहुत घपला हुआ है तो क्या आप इस पर एक समिति बनाकर जांच करा देंगे ?

अध्यक्ष महोदय :- जल्दी से हां कह दीजिये, प्रश्नकाल खत्म हो रहा है।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह काम सन् 2013-14 का है। पी.एच.ई. विभाग ने वह काम कराया था और वह काम पूर्ण हो चुका है। माननीय सदस्य की जो चिंता है, उनको कुछ कहना है तो मुझे बता दें, मैं उसको दिखवा लूंगा।

अध्यक्ष महोदय :- जी, इनके कान में कुछ कह दीजियेगा।

[7] †† परिशिष्टि- "सात"

श्री अमितेश शुक्ल :- समिति से जांच करवा दे। 11 करोड़ रूपये का भ्रष्टाचार का मामला है, आप बहुत ईमानदार है, आप उस पर कमेटी से जांच करवा दीजिये, बढ़िया हो जायेगा।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2013-14 का मामला है। सारा काम उन लोगों के समय का है और पी.एच.ई. विभाग ने काम करया है। मेरे विभाग ने पूरा नहीं करवाया है।

श्री अमितेश शुक्ल :- आपके समय में, कार्यकाल में पूरा हुआ है।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्नकाल समाप्त।

(प्रश्नकाल समाप्त)

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:00 बजे

पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) दिनांक 16.08.2017 को जिला दुर्ग, विकासखंड-धमधा के ग्राम-राजपुर की शगुन गौशाला तथा दिनांक 18.08.2017 को जिला-बेमेतरा, विकासखंड साजा के ग्राम-गोडमर्रा की फूलचंद गौशाला एवं ग्राम रानो की मयूरी गौशाला में पशुओं की आकस्मिक मृत्यु की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन एवं पालन प्रतिवेदन

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार दिनांक 16.08.2017 को जिला दुर्ग, विकासखंड-धमधा के ग्राम-राजपुर की शगुन गौशाला तथा दिनांक 18.08.2017 को जिला-बेमेतरा, विकासखंड साजा के ग्राम-गोडमर्रा की फूलचंद गौशाला एवं ग्राम रानो की मयूरी गौशाला में पशुओं की आकस्मिक मृत्यु की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग का जांच प्रतिवेदन एवं पालन प्रतिवेदन पटल पर रखता हूँ ।

(2) वर्ष 2021-2022 के बजट की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आयतथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंध अधिनियम, 2005 (क्रमांक 16 सन् 2005) की धारा 6 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार वर्ष 2021-2022 के बजट की प्रथम तथा द्वितीय तिमाही के आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा पटल पर रखता हूँ ।

(3) पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2020-2021 (दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक)

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 43 की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का वार्षिक प्रतिवेदन सत्र 2020-2021 (दिनांक 01.07.2020 से 30.06.2021 तक)पटल पर रखता हूँ ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

(4) पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 एवं 2017-2018

चिकित्सा शिक्षा मंत्री (श्री टी.एस.सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ आयुष एवं स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2008 (क्रमांक 21 सन् 2008) की धारा 44 की उपधारा (2) की अपेक्षानुसार पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय, छत्तीसगढ़ का अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2016-17 एवं 2017-2018 पटल पर रखता हूँ ।

(5) अधिसूचना क्रमांक एफ 07-02/2011/32, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021

आवास एवं पर्यावरण मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 85 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार अधिसूचना क्रमांक एफ 07-02/2011/32, दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 पटल पर रखता हूँ ।

(6) छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक)

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग अधिनियम, 1995 (क्रमांक 25 सन् 1995) की धारा 14 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य अनुसूचित जाति आयोग का चौदहवां वार्षिक प्रतिवेदन (1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2021 तक) पटल पर रखता हूँ ।

सदन की सूचना

अध्यक्ष महोदय :- बुधवार दिनांक 15 दिसम्बर 2021 को सायं 6.30 बजे से सन् टू ह्यूमेन फाउंडेशन द्वारा विधान सभा सचिवालय स्थित डॉ.श्यामाप्रसाद मुखर्जी प्रेक्षागृह में माननीय सदस्यों के लिए सम्यक आहार, व्यायाम एवं ध्यान के प्रयोग से जीवन में रूपान्तरण हेतु 1 घण्टे का स्वास्थ्य संबंधी कार्यक्रम आयोजित है । कार्यक्रम पश्चात् 6 रसों से परिपूर्ण स्वादिष्ट उर्जावान स्वास्थ्यवर्धक स्वल्पाहार की व्यवस्था है । उक्त कार्यक्रम एवं स्वल्पाहार में सभी माननीय सदस्यगण, पत्रकारगण एवं विभागीय अधिकारी सादर आमंत्रित हैं । कृपया उपस्थित होकर लाभान्वित हो ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई ।)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूँ कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जो बस्तर से आई हुई थी, लौटते समय 2 महिलाओं की मृत्यु हो गयी । 7 लोग घायल हैं । उनके उपचार की उचित व्यवस्था और साथ ही उन मृतक परिवारों के लिए 50 लाख रूपये क्षतिपूर्ति की राशि सी.एम. महोदय उनको दें । बहुत द्रवित करने वाली घटना है और स्वास्थ्य मंत्री जी बाकी उनकी चिन्ता करेंगे ।

श्री शिवरतन शर्मा (भाटापारा) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की महिला स्व-सहायता समूह से जुड़ी हुई हजारों महिलायें राजधानी में प्रदर्शन कर रही
है । प्रदेश के लगभग 1600 महिला स्व-सहायता समूह में रेडी-टू-ईट का काम छत्तीसगढ़ में पिछले वर्ष 2009-2010 से लगातार कर रही थी । इस महिला स्व-सहायता समूह से 30 हजार महिलायें जुड़ी हुई है और रेडी टू ईट के काम को सरकार ने महिला स्व सहायता समूह के हाथ से लेकर बीज निगम को देने का निर्णय लिया है । समाचार पत्रों में लगातार छप रहा है कि बीज निगम ने भी एक निजी संस्थान को इस कार्य को करने के लिये तय किया है। रेडी टू इट चलाने वाली यह स्व सहायता समूह की महिलायें जब कोरोना का पीक वेरियेंट था, चाहे वेव फर्स्ट में, वेव 2 में लगातार प्रदेश में काम करती रही और छत्तीसगढ़ में कुपोषण कैसे कम हो, इसके लिये अपनी सेवाएं देती रही और राज्य सरकार ने एक निर्णय करके लगभग 30 हजार महिलाओं को बेरोजगार करने का काम किया है और सीधा-सीधा इस निर्णय के पीछे यह लगता है कि पहले महिला स्व सहायता समूह की प्रत्येक समूह से यह बोला गया था कि 50 हजार रूपये वह दें। महिला स्व सहायता समूह की महिलाओं ने वह पैसा देने से इंकार किया और उसका परिणाम यह है कि राज्य स्तर पर 1600 महिला स्व सहायता समूह को हटाने का निर्णय ले लिया गया । इस विषय पर हम लोगों ने स्थगन दिया है।

समय :
12:11 बजे

(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज मंडावी) पीठासीन हुये)

श्री शिवरतन शर्मा :- आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे स्थगन को ग्राह्य करके इस पर चर्चा कराये क्योंकि 30 हजार परिवारों से जुड़ा हुआ यह मामला है। एक तरफ सरकार महिला सशक्तिकरण की बात करती है, दूसरी तरफ जो महिलाएं इस काम में लगी हुई है उन महिलाओं के काम को छीना जा रहा है। पिछले 12 दिन से महिलाएं लगातार राजधानी में हड़ताल में बैठी हुई है। आज तक शासन का कोई प्रतिनिधि उनसे बात करने भी नहीं गया है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि हमारे स्थगन पर चर्चा करायें।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री अजय चंद्राकर जी ।

श्री अजय चंद्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी इस सदन में है। बात हे अभिमान के, छत्तीसगढ़िया स्वाभीमान के। अपन लोग बड़े-बड़े पोस्टर बैनर पढ़ते हैं। अरबों रूपये बृजमोहन जी के प्रश्न में कितना विज्ञापन आया है देश विदेश की पत्रिकाओं में। वह परसो के प्रश्न के उत्तर में है। 1600 में यदि 10 उसमें है तो 16 हजार होते हैं। 12 माने तो गुणा भाग में और जोड़ लीजिये 16*2 = 32 लोग। मोटे तौर पर 12 से 15 के बीच में समूह, महिला बाल विकास के समूह की संख्या ऊपर-नीचे रहती है, ग्रामीण विकास विभाग के स्व सहायता समूह में। पेपर में विज्ञापन आया बड़ा-बड़ा। घोषणा-पत्र में कहा गया कि महिला स्व सहायता समूह के कर्ज को हम माफ करेंगे। महिला स्व सहायता समूह का कौन-सा कर्ज माफ हुआ। 12 करोड़ 70 लाख विज्ञापन आया, उनके कहने से उनके आग्रह पर किया गया महिला बाल विकास के कुछ लोगों के, उसकी चर्चा कभी हो जाएगी। तो छत्तीसगढ़िया स्वाभीमान यही है कि छत्तीसगढ़ की महिलाएं सशक्त हो रही है। स्व सहायता समूह की अवधारणा यह थी कि जो उनकी परंपरागत स्कील है, उस स्कील को डव्हेलप करके समूह में वे मिल कर गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ सके। खाना बनाना, छत्तीसगढ़ की महिलाओं का परंपरागत स्कील रहा है। हर बात में 15 साल में क्या हुआ, 15 साल में क्या हुआ। चलो हमने पूरा गलत किया, हम इधर आ गये। विद्वान सदस्यों बहुत शौक है 15 साल की चर्चा करने के लिये को तो उसमें एक सत्र बुलवा लें। जैसे नक्सली समस्या के लिये क्लोज डोर मिटिंग हुई थी उस तरह से। जिन महिलाओं को जो रोजगार मिला था, मुंह सूख जाते हैं कि छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ियां वंचित कर दिया गया माताओं को। क्या स्वाभिमान है, बेरोजगार कर देना छत्तीसगढ़ का स्वाभीमान है। क्या यह स्थिति बनाना चाहते हैं छत्तीसगढ़ में।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिये, चलिये।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी वह निवेशक के बारे में बात हो रही थी। जहां पर देखे ये नारे में सिमटी सरकार है उन महिलाओं को रोजगार देना होगा और इसके लिये जिस हद तक लड़ाई लड़नी होगी, लड़ाई लड़ी जाएगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी।

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं चाहता हूं कि आप इस स्थगन को तत्काल स्वीकार करें और जितने आंकड़े सरकार ने उन स्व सहायता समूहों के ताकत पर, कुपोषण के या एनिमिया के जारी किये। वह सब फर्जी है, फर्जी आकंडों पर चलने वाली यह सरकार उसका हम पर्दाफाश करेंगे। आप स्वीकृति दें, अभी चर्चा करायें। छत्तीसगढ़ के लोगों का शोषण हो और बाहर की कंपनी कमीशन खा के ..।

उपाध्यक्ष महोदय :- आप बैठिये, आप बैठिये।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, हम चर्चा के लिये तैयार है, अगर ये स्थगन पर अभी चर्चा चाहते हैं तो आप तत्काल ग्राहय करिये। (मेजों की थपथपाहट)

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। अगर ये स्थगन पर अभी चर्चा चाहते हैं तो आप तत्काल ग्राहय करिए। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। (मेजों की थपथपाहट)

श्री अजय चंद्राकर :- बिल्कुल-बिल्कुल। माननीय उपाध्यक्ष जी, आपके बीज विकास निगम में कौन सा इन्फ्रास्टकचर है ? (व्यवधान) कौन सा इन्फ्रास्टकचर है, किसके साथ वे काम करायेंगे। कमीशन लेकर एक आदमी से...। (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- हम उसका उत्तर देंगे। हम चर्चा के लिए तैयार हैं। आप ग्राहय करिए, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्रीमती अनिला भेंडिया :- हम लोगों के पहले आप लोगों ने बीज निगम को दिया था तो आप लोग कमीशन लेकर दिए थे क्या ?

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, शून्यकाल में हम चर्चा उठा रहे हैं, अभी स्थगन में चर्चा करेंगे। हमारा अलग से स्थगन है। हम स्थगन में चर्चा करेंगे। हम अभी इसको शून्यकाल में ला रहे हैं। शून्यकाल में सरकार को ध्यानाकर्षित कर रहे हैं। यह शून्यकाल है, हम शून्यकाल में ध्यानाकर्षित कर रहे हैं। हम स्थगन में अलग से चर्चा करेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- उन्होंने स्थगन ग्राहय करने की बात कही। हम अभी इसी वक्त तैयार हैं।

श्री अजय चंद्राकर :- हां-हां। बिल्कुल ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप अभी लीजिए।

उपाध्यक्ष महोदय :- नेता जी आप बैठिए, आपका हो गया। चंद्रा जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजेपुर) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जैजेपुर विधानसभा में ...।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी चर्चा करेंगे।

श्री धरमलाल कौशिक :- चर्चा करेंगे।

श्री रविन्द्र चौबे :- आप क्यों भाग रहे हो ?

श्री अजय चंद्राकर :- हमने कहां भागने की बात कही ? (व्यवधान)

श्री शिवरतन शर्मा :- हम तो अभी चर्चा के लिए तैयार हैं, कराओं न चर्चा।

श्री रविन्द्र चौबे :- अभी आपने कहा न कि ग्राहय करिए। उपाध्यक्ष महोदय, ग्राहय करिए, हम चर्चा करेंगे।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करने के लिए तैयार है।

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

श्री अजय चंद्राकर :- आप महिला स्व सहायता समूह के बारे में बात ही मत करो। आपको बात करने का नैतिक अधिकार नहीं है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरे जैजेपुर विधानसभा क्षेत्र में 12.12.2021 को ग्राम पंचायत भोथा के सरपंच की हत्या हो गयी। दुर्भाग्य की बात यह है कि पुलिस की उपस्थिति में यह हत्या हुई और 30 घंटे तक चक्काजाम रहा। 30 घंटे से भी अधिक, 12 तारीख को 10 बजे हत्या हुई और 13 तारीख को शाम को 6 बजे उसकी एफ.आई.आर. दर्ज हुई। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से गृह मंत्री जी भी उपस्थित हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित हैं। अगर सरपंच जैसे व्यक्ति सुरक्षित न हो, पुलिस की उपस्थिति में उनकी हत्या हो जाती है तो इस प्रदेश की कानून व्यवस्था का फिर क्या कहना है। मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इसमें बेजा कब्जा से संबंधित विषय था। जांच करा लें, जो हत्यारें हैं उन पर कई तरह के आरोप हैं। सत्ता पक्ष के संगठन के नेताओं के ऊपर आरोप है। (शेम-शेम की आवाज) उनके सारे (व्यवधान) की हत्या की गई। मेरा निवेदन है । दूसरा मेरा शून्यकाल भी है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी, आप बैठिए। आपका समय हो गया।

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न उठाया है वह बहुत गंभीर मामला है। जो भू-माफिया लोग हैं और यह भू-माफिया के संरक्षण का मामला है। यह छोटा-मोटा मामला नहीं है। एक जनप्रतिनिधि की हत्या हो गयी है।

श्री शिवरतन शर्मा :- एक जनप्रतिनिधि की हत्या हो गयी। ग्राम पंचायत को बेजा कब्जा हटाने का अधिकार है और सरपंच को ग्राम पंचायत का बेजा कब्जा हटाने पर प्रशासन का कोई सहयोग नहीं मिल रहा है। तहसीलदार बेजा कब्जा करने वालों को सहयोग कर रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- पुलिस की उपस्थिति में हत्या हो गयी।

उपाध्यक्ष महोदय :- शर्मा जी, आप बैठिए।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक शून्यकाल पर स्थगन है। अभी धान खरीदी का महत्वपूर्ण समय चल रहा है। पूरे प्रदेश में बारदाने की कमी है। किसान परेशान है, त्रस्त हैं, बारदाने की कमी के कारण वे अपना धान बेच नहीं पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी, आपकी सूचना आ गयी है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- उपाध्यक्ष महोदय, लगातार खरीदी प्रभारी बदले जा रहे हैं। सरकार भी किसानों की सरकार अपने आपको बोल रही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी, आप मूल सूचना दे चुके हैं। आप बैठिए।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है, किसान खाद बेचने के प्रति अभी जो सशंकित हैं, वह शंकामुक्त हो जाएं और इस बीच में सदन चल रही है, किसानों के बारे में भी चिंता हो। इसके लिए आपसे अनुरोध है। मेरा जो स्थगन है उसको ग्राह्य करके इसमें चर्चा कराई जाए।

श्री नारायण चंदेल (जांजगीर-चांपा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी हमारे सत्ता पक्ष के सदस्यों ने कहा कि हम चर्चा से भाग रहे हैं, हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं। आपने महिला स्वसहायता समूह के महिलाओं को हमारी माताओं, बहनों को रेडी टू ईट के कार्य से भगा दिया है। हम चर्चा से नहीं भाग रहे हैं। एक तरफ यह सरकार कहती है कि हम महिलाओं को सशक्त बनाएंगे, महिलाओं को रोजगार का अवसर देंगे लेकिन वर्ष 2009-10 से 10 साल, 11 साल पहले से जो गरीब महिलाएं, गांव की महिलाएं हैं, जो छोटे-छोटे काम करती हैं, कहीं खाना पकाती हैं, कहीं पापड़ बिजौरी बनाती है, अगरबत्ती, मोमबत्ती बनाती हैं, रेडी टू ईट के माध्यम से वे गांवों में काम करती थीं। सुनियोजित ढंग से एक उद्योगपति को फायदा पहुंचाने के लिए और पता नहीं उसमें क्या-क्या सारी चीजें हुई हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, लेकिन करीब 7000 से ज्यादा महिलाएं आज इस सरकार के खिलाफ राजधानी की सड़कों पर हैं । हम लोगों ने इस पर स्थगन दिया है, हम चर्चा से भाग नहीं रहे हैं, हम चर्चा के लिये तैयार हैं । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे आग्रह है कि उस स्थगन को ग्राह्य करके तत्काल चर्चा करायें ।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय नेता प्रतिपक्ष कौशिक जी आप कुछ बोलेंगे ?

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- प्रतिपक्ष कोई चीज तय तो करे कि इसमें चर्चा चाहते हैं ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- हमारी इसी में चर्चा है ।

श्री रविन्द्र चौबे :- रेडी टू ईट में ?

श्री धरमलाल कौशिक :- हां, रेडी टू ईट में ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, चलिये दीजिये । सरकार उत्तर देने के लिये तैयार है ।

श्री धरमलाल कौशिक :- हमने स्थगन दिया है, हमारे 10 स्थगन हैं । आप जिसमें बोलेंगे हम चर्चा के लिये तैयार हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आप तत्काल चर्चा कराईए । हम बिल्कुल सहमत हैं ।

श्री धरमलाल कौशिक :- हम लोग तत्काल तैयार हैं, हम चर्चा के लिये तैयार हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम सहमत हैं । आप ग्राह्य करिए ।

श्री शिवरतन शर्मा :- क्या आप आदेश दे रहे हैं ?

श्री धरमलाल कौशिक :- हम तैयार हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हम सरकार की ओर से सहमति दे रहे हैं ।

श्री नारायण चंदेल :- आप आसंदी को आदेश दे रहे हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- हम आदेश नहीं दे रहे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- हम सब लोगों की भावनाओं का सम्मान कर रहे हैं कि चर्चा होनी चाहिए करके ।

उपाध्यक्ष महोदय :- वे आदेश नहीं दे रहे हैं, अपनी राय दे रहे हैं ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, हम सम्मान से कह रहे हैं । आप चर्चा की मांग कर रहे हैं, हम सहमत हैं ।

श्री शिवरतन शर्मा :- तत्काल चर्चा करायें ।

श्री रविन्द्र चौबे :- हां, बिल्कुल ठीक है ।

श्री अजय चंद्राकर :- सत्तारूढ़ दल तैयार है कि नइ है ?

श्री मोहन मरकाम :- हमन सबमें चर्चा करबो, हमन आपके जइसे नइ भागन। हमन हर मुद्दा में चर्चा करबो ।

(मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) एवं संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) के आपस में बातचीत करने पर)

श्री अजय चंद्राकर :- किसी के बात करने से कार्यवाही रूकती नहीं है ।

श्री मोहन मरकाम :- हमन हर मुद्दा में चर्चा करे बर तैयार बइठे हन । चंद्राकर जी, हमर सरकार हर मुद्दा में चर्चा करही, आप काबर चिंता करत हओ । हर मुद्दा में चर्चा करबो ।

श्री अजय चंद्राकर :- अभी आही । चिंता मत कर ।

श्री अजय चंद्राकर :- कार्यवाही क्यों रूक गई है ?

उपाध्यक्ष महोदय :- कार्यवाही नहीं रूकी है, चंद्राकर जी आप इतना उद्वेलित क्यों हो रहे हैं ?

समय :
12.18 बजे

स्थगन प्रस्ताव

प्रदेश में रेडी टू ईट का कार्य स्व-सहायता समूह के स्थान पर निजी फर्मों को दिया जाना

उपाध्यक्ष महोदय :- मेरे पास प्रदेश में रेडी टू ईट का कार्य स्व-सहायता समूह के स्थान पर निजी फर्मों को दिये जाने के संबंध में 14 सदस्यों की ओर से स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं प्राप्त हुई हैं :-

प्रथम सूचना	-	श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य
दूसरी सूचना	-	डॉ. रमन सिंह, सदस्य
तीसरी सूचना	-	श्री बृजमोहन अग्रवाल, सदस्य

चौथी सूचना	-	श्री पुन्नूलाल मोहले, सदस्य
पांचवीं सूचना	-	श्री अजय चंद्राकर, सदस्य
छठवीं सूचना	-	डॉ. कृष्णमूर्ति बांधी, सदस्य
सातवीं सूचना	-	श्री ननकीराम कंवर, सदस्य
आठवीं सूचना	-	श्री शिवरतन शर्मा, सदस्य
नौवीं सूचना	-	श्री नारायण चंदेल, सदस्य
दसवीं सूचना	-	श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, सदस्या
ग्यारहवीं सूचना	-	श्री सौरभ सिंह, सदस्य
बारहवीं सूचना	-	श्री रजनीश कुमार सिंह, सदस्य
तेरहवीं सूचना	-	श्री डमरूधर पुजारी, सदस्य
चौदहवीं सूचना	-	श्री विद्यारतन भसीन, सदस्य

चूंकि श्री धरमलाल कौशिक, सदस्य की सूचना सर्वप्रथम प्राप्त हुई है अत: उसे मैं पढ़कर सुनाता हूं :-

महिला एवं बाल विकास विभाग में सोलह सौ महिला समूह की 20,000 महिलाओं के परिवारों को 2009-10 में तत्कालीन सरकार द्वारा रेडी टू ईट का कार्य दिया गया था ताकि छत्तीसगढ़ की महिलाएं आर्थिक रूप से सशक्त हो सकें । आज समूह के द्वारा लगभग 1000 करोड़ रूपए के रेडी टू ईट का प्रदाय प्रति वर्ष किया जा रहा है, लेकिन प्रदेश की सरकार इन सशक्त होती महिलाओं को बेरोजगार करना चाहती है तथा भ्रष्टाचार के चलते पूरा कार्य बीज निगम को देना चाहती है क्योंकि बीज निगम के द्वारा अनुबंधित संस्था जो कि एक निजी फर्म की है, उसको करोड़ों का फायदा पहुंचाया जा सके । महिला समूह से 25% की राशि कमीशन के रूप में तथा उनके अनुबंध को बढ़ाने के लिए 50,000 रूपए तक की मांग की जाने की शिकायतें लगातार की गई हैं । महिला समूह के द्वारा उक्त अनियमितता का विरोध किये जाने के कारण अब विभागीय अधिकारियों के प्रस्ताव पर इन महिला समूह को हटाने का प्रयास किया जा रहा है, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा स्पष्ट निर्णय दिया गया है कि आंगनबाड़ियों में जो भी पोषण आहार का वितरण किया जाएगा, वह स्थानीय एवं स्व-सहायता समूह के माध्यम से किया जाना है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का पालन सरकार के द्वारा नहीं किया जा रहा है । मुख्यमंत्री जी के द्वारा अक्टूबर 2019 में मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान प्रारंभ किया गया । इसमें कई अरब रूपए खर्च किया गया और यह अभियान भी भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया है । सतत् विकास लक्ष्य 2019 में कुपोषण 35% बताया गया था। जबकि सतत् विकास लक्ष्य 2020 की रिपोर्ट में कुपोषण 40 प्रतिशत बताया गया है। अर्थात् कुपोषण में वृद्धि हुई है। नेशनल

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

फैमली हेल्थ सर्वे-5 के अनुसार 31 प्रतिशत वजन अनुसार व 35 प्रतिशत ऊंचाई अनुसार कुपोषण है, जबकि मानसून सत्र 2021 में विभाग ने विधान सभा में बताया है कि 2019-20 में 5 प्रतिशत और 2020-21 में 3 प्रतिशत कुपोषण में कमी आयी है तथा मार्च, 2021 में छत्तीसगढ़ में मात्र 15 प्रतिशत कुपोषण की जानकारी दी गई है। विभागीय अधिकारी आंकड़ों में हेराफेरी कर विधान सभा में गलत जानकारी दे रहे हैं। 2015 में एनीमिक महिलाओं का प्रतिशत 47 प्रतिशत था। आज 65 प्रतिशत महिलाएं एनीमिक हैं, यह प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली है। भ्रष्टाचार में लिप्त विभाग महिला एवं बच्चों के निवाला छिनने में भी पीछे नहीं है। उनका निवाला छीना जा रहा है। भ्रष्टाचार में अंकुश नहीं लगाने तथा महिला समूह को बेरोजगार करने के कारण महिला समूह में व आम जनता में भारी आक्रोश है। माननीय मंत्री जी।

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फिर कार्यवाही आगे नहीं बढ़ रही है।

उपाध्यक्ष महोदय :- हो रहा है। हो रहा है। क्यों इतना? सबके साथ हुआ है। (हंसी)

श्री मोहन मरकाम (कोण्डागांव) :- इतना व्याकुल क्यों हो रहे हैं भाई ?

महिला एवं बाल विकास मंत्री (श्रीमती अनिला भेंडिया) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह सही है कि पूरे प्रदेश में वर्ष 2009 से महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट का निर्माण एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में लगभग 1600 महिला स्व सहायता समूहों द्वारा रेडी टू ईट निर्माण एवं वितरण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें लगभग 16 हजार महिलाएं संलग्न हैं।

विभाग द्वारा औसतन 425 करोड़ रूपये का भुगतान प्रतिवर्ष रेडी टू ईट प्रदायकर्ता महिला स्व सहायता समूहों को किया जाता है। यह सही है कि वर्तमान में राज्य शासन द्वारा रेडी टू ईट पूरक पोषण आहार निर्माण एवं वितरण का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया है।

वर्तमान व्यवस्था में परिवर्तन होने के पश्चात् भी किसी भी समूह को कार्य से पृथक न करते हुए सभी अनुबंधित महिला स्व सहायता समूहों को छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा रेडी टू ईट के वितरण कार्य में संलग्न किया जायेगा, इसलिए किसी भी समूह के रोजगार छीनने का प्रश्न उपस्थित नहीं होता है।

यह सही नहीं है कि भ्रष्टाचार एवं कमीशन और अनुबंध को बढ़ाने के लिए समूहों से रेडी टू ईट का निर्माण कार्य हटाया गया है। वास्तविकता यह है कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशानुसार हितग्राहियों को प्रदायित पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत वितरित रेडी टू ईट निर्धारित ऊर्जा, माइक्रोन्यूट्रीएंट्स फोर्टिफिकेशन युक्त तथा विटामिन ए, बी 12, सी एवं डी फोर्टिफाईड एंव फाइन मिक्स होना चाहिए, साथ ही रेडी टू ईट मानव स्पर्श रहित स्वचलित मशीन निर्मित एवं जीरो संक्रमण

रहित होने के निर्देश हैं। माननीय न्यायालय के उक्त निर्देशों के पालन के लिए व्यवस्था में परिवर्तन आवश्यक था।

याचिका क्रमांक 196/2001 में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 7 अक्टूबर, 2004 एवं 13 दिसंबर, 2006 के पारित आदेश में यह लेख किया गया है कि पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत सूखा राशन का क्रय एवं खाना बनाने के कार्य ठेकेदार से न कराते हुए महिला स्व-सहायता समूह, ग्राम समुदाय, महिला मंडल से किया जाना चाहिये। उक्त आदेश के परिपालन में छत्तीसगढ़ राज्य में अगस्त, 2009 से पूरक पोषण आहार कार्यक्रम अंतर्गत आंगनबाड़ी केन्द्रों में लगभग 18000 महिला स्व सहायता समूह द्वारा नाश्ता एवं गर्म भोजन की सामग्री प्रदाय करने में संलग्न है। यह कार्य निरंतर जारी है।

मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान के संचालन में जिला प्रशासन एवं जनमानस की भागीदारी है। 2 अक्टूबर, 2019 से प्रारंभ इस योजना में लगभग 4 लाख 32 हजार बच्चों को लक्षित किया गया था, जिसके विरूद्ध अब तक लगभग 15 लाख, 3 हजार बच्चे कुपोषण से बाहर आ चुके हैं, अत: यह कथन सही नहीं है कि इस योजना के संचालन में भ्रष्टाचार व्याप्त है । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुपोषण को 3 मापदंड क्रमश: बौनापन, दुबलापन एवं कम वजन के रूप में मापा जा सकता है । एस.जी.डी. अनुक्रमणिका 2018, 2019, 2020-21, सी.एन.एन.एस. (2016-2018) के आंकडों पर आधारित है, जिसमें 40 प्रतिशत कुपोषण प्रतिवेदित हुआ है । एन.एफ.एच.एस.-4 जो कि 2016 में प्रकाशित हुआ था, उसमें राज्य के कुपोषण का प्रतिशत 37.7 प्रतिशत दर्शाया गया था । वर्ष 2018 में सी.एन.एन.एस. द्वारा प्रकाशित आंकड़ों में कुपोषण का प्रतिशत 40 प्रतिशत दर्शाया गया है । वस्तुत: 2016-2018 में कुपोषण के प्रतिशत की दर में बढ़ोतरी परिलक्षित हुई थी, तब हमारी सरकार नई थी । उम्र के अनुसार वजन की स्थिति पर एन.एफ.एच.एस.-5 और एन.एन.एच. के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं तो 2018 में राज्य में 40 प्रतिशत कुपोषण बताया गया था । अभी एन.एफ.एच.एस.-5 के प्रतिवेदन में कुपोषण 31.3 प्रतिशत बताया गया है । स्पष्ट है कि 2019 से 2021 के मध्य कुपोषण में 8.7 प्रतिशत की कमी हुई है । आंकड़ों से यह भी स्पष्ट है कि वर्ष 2015-16 एन.एफ.एच.एस.-4 में कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 35.8 प्रतिशत था । जबकि छत्तीसगढ़ में 37.7 प्रतिशत कुपोषण था । वर्तमान में एन.एफ.एच.एस.-5 में कुपोषण का राष्ट्रीय औसत 32.1 प्रतिशत है, जबकि छत्तीसगढ़ में कुपोषण 31.3 प्रतिशत है। वर्तमान में छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय औसत से ऊपर आ गया है ।

उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में कुपोषण का स्तर ज्ञात करने के लिए राज्य में लगभग प्रतिवर्ष वजन त्यौहार का आयोजन वर्ष 2012 से किया जाता है । वर्तमान में जुलाई 2021 से लगभग 22 लाख बच्चों का 10 दिवस के भीतर वजन लिया जाकर परिणाम निकाले गए हैं । इन आंकड़ों के सत्यापन के लिए अन्य विभागों के अधिकारियों तथा बाह्य एजेंसी की सेवाएं ली गई है । आशय यह है कि वजन त्यौहार 2021 के अनुसार दर्शित कुपोषण का आंकड़ा 19.86 प्रतिशत सही है, यह प्रमाणित है । वजन

त्यौहार 2019 एवं 2021 के तुलना करते हुए कुपोषण में 3.51 प्रतिशत की कमी परिलक्षित हो रही है । कुपोषण का आंकड़ा निरंतर परिवर्तनशील होता है । अर्थात यदि कोई बच्चा असामान्य है तो छोटी सी बीमारी, दस्त, बुखार आने पर वह तत्काल कुपोषण की श्रेणी में चला जाता है । आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं द्वारा प्रत्येक माह बच्चों का वजन लिया जाता है, जिसे ऑनलाईन पोर्टल पर दर्ज किया जाता है । इन प्रतिवेदनों के अनुसार कुपोषण के प्रतिशत में निरन्तर रूप से परितर्वन होता है । यह स्वाभाविक भी है ।

श्री अजय चन्द्राकर :- संसदीय कार्यमंत्री जी, इसको भी पढ़िये ना, थोड़ा अध्ययन कीजिए ।

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अभी हमारी आदरणीया मंत्री जी उत्तर दे रही हैं । आप उसको पूरा समझ लीजिए । फिर स्थगन पर जो बोलना है, बोलिएगा। वे पूरा पढ़ रही हैं ।

श्री अजय चन्द्राकर :- आप पढ़िये ना ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- विधान सभा प्रश्नों के आधार पर तात्कालिक आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए विधान सभा में उत्तर प्रेषित किये जाते हैं । सभी माह में वजन त्यौहार या एन.एफ.एच.एस. डेटा उपलब्ध नहीं हो सकता । कुपोषण का आंकड़ा परिवर्तनशील होता है । अत: मासिक प्रतिवेदनों में उपलब्ध आंकड़े प्रेषित किये जाते हैं । माननीय विधान सभा को ग़लत आंकड़े प्रेषित करने जैसी स्थिति कभी निर्मित नहीं हुई है । उपाध्यक्ष महोदय, यह स्पष्ट है कि कुपोषण की दर में तीव्र कमी लाने के लिए बच्चों एवं महिलाओं को पौष्टिक एवं गुणवत्तायुक्त आहार देने की आवश्यकता है । महिला स्व-सहायता समूह द्वारा प्रदायित रेडी-टू-ईट में आर.डी.ए. (Recommended Dietary Allowance) नहीं होने तथा मानक गुणवत्ता अनुसार रेडी-टू-ईट की आपूर्ति नहीं होने के फलस्वरूप राज्य शासन के द्वारा केवल रेडी-टू-ईट की निर्माण शासकीय एजेंसी से कराये जाने का निर्णय लिया है । इस पूरी प्रक्रिया में पूर्व से अनुबंधित स्व-सहायता समूह का हित संरक्षित रहेगा तथा उनकी सेवाएं पोषण आहार के वितरण में ली जाएंगी ।

श्री रविन्द्र चौबे :- उपाध्यक्ष जी, ग्राह्य कर चर्चा का समय मुकर्रर करें ।

श्रीमती अनिला भेंडिया :- उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा के लिए ग्राह्य करने की कृपा करें ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) उपाध्यक्ष जी, इस पर अभी चर्चा करवाई जानी चाहिए ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- उपाध्यक्ष जी की बात तो सुन लीजिए ।

उपाध्यक्ष महोदय :- स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के लिए मैं 3 बजे का समय नियत करता हूं । (व्यवधान) अब ध्यानाकर्षण लिया जाएगा । अब नियम 138 के अंतर्गत ध्यानार्षण की सूचना ली जाएगी । (व्यवधान) अजय चन्द्राकर जी, अजय चन्द्राकर जी ध्यानाकर्षण की सूचना पढ़ेंगे । (व्यवधान)

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- जो भागने की बात...(व्यवधान) चर्चा अभी होनी चाहिए, हम लोग अभी चर्चा करेंगे ।

डॉ. शिवकुमार डहरिया :- चर्चा कराएंगे ना, बात तो सुना ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 10 हजार महिलाएं सड़कों पर हैं । (व्यवधान)

श्री नारायण चंदेल :- अब आपसे अनुरोध करते हैं कि चर्चा अभी हो ।

उपाध्यक्ष महोदय :- 3 बजे का समय दिया गया है, 3 बजे चर्चा होगी ।

श्री धरमलाल कौशिक :- चर्चा अभी होगी, हम लोग चर्चा के लिए तैयार हैं । 10 हजार महिलाएं सड़कों पर हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- शिवरतन शर्मा जी... रंजना डीपेन्द्र साहू जी ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- अभी चर्चा हो।

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- अभी चर्चा हो। हम लोग मांग कर रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय :- 03 बजे होगी।

श्री सौरभ सिंह :- अभी चर्चा होनी चाहिए।

श्री धरमलाल कौशिक :- तत्काल चर्चा होनी चाहिए।(व्यवधान) 10 हजार महिलाएं सड़कों पर हैं। तत्काल चर्चा होनी चाहिए।(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- रंजना डीपेन्द्र साहू जी।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा नारे लगाए गए)

उपाध्यक्ष महोदय :- अमितेश शुक्ला जी।(व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- हमको चुनौती दिया है, चुनौती स्वीकार है। अभी चर्चा होगी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संसदीय कार्य मंत्री ने कहा अभी चर्चा हो। हम तैयार है। अभी चर्चा हो। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय :- अमितेश शुक्ला जी।(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ध्यानाकर्षण सूचना के लिए 03 बजे का समय निर्धारित करिए।

समय :

12:36 बजे

<u>ध्यानाकर्षण सूचना</u>

<u>(ध्यानाकर्षण संख्या 1 माननीय सदस्यों के निलंबन के कारण प्रस्तुत नहीं हुआ)</u>

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(2) गरियाबंद जिले में हरित क्रांति योजनांतर्गत मिनी राईस मिल एवं कृषि यंत्र की खरीदी में अनियमितता

श्री अमितेश शुक्ल (राजिम) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरी ध्यानाकर्षण सूचना का विषय इस प्रकार है कि :-

वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग, जिला गरियाबंद द्वारा हरित क्रांति योजना के तहत मिनी राईस मिल की खरीदी नियम विरूद्ध किये जाने की शिकायत प्राप्त हुई है। उप संचालक कृषि, जिला गरियाबंद (छ.ग.) द्वारा मिनी राईस मिल की खरीदी बीज निगम के माध्यम से करने के बजाय अपने स्तर पर मनमानीपूर्वक की गई है। उप संचालक, कृषि, जिला गरियाबंद द्वारा वर्ष 2020-21 में हरित क्रांति योजनांतर्गत समस्त नियमों को ताक पर रखकर मिनी राईस मिल तथा अन्य कृषि यंत्रों को स्थानीय देव मोटर्स गरियाबंद से क्रय कर कागजों में ही सामग्री का वितरण कर राशि आहरण कर लिया गया है, जबकि वास्तविक चयनित हितग्राहियों को कृषि यंत्र एवं मिनी राईस मिल प्राप्त ही नहीं हुआ है, जिससे क्षेत्र की जनता और कृषकों में रोष एवं आक्रोश व्याप्त है। (व्यवधान)

श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू :- महिला विरोधी यह सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी।

उपाध्यक्ष महोदय :- 03 बजे समय निर्धारित की गई है। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम चर्चा के लिए तैयार हैं। संसदीय कार्य मंत्री का चुनौती स्वीकार है। 10 हजार महिलाएं सड़कों पर हैं और हम अभी चर्चा के लिए तैयार है। हम अभी चर्चा करेंगे। हम चुनौती को स्वीकार करते हैं।

एक माननीय सदस्य :- बैठिए न हम ध्यानाकर्षण सुन रहे हैं।

श्री धरमलाल कौशिक :- नहीं-नहीं, हम अभी चर्चा के लिए तैयार हैं। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- उपाध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री के...(व्यवधान) चर्चा करवाईये। आप चर्चा नहीं करवाएंगे तो यह सदन की अवमानना है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा है...(व्यवधान) यह प्रदेश की लाखों महिलाओं का जीवन का सवाल है। लाखों महिलाओं को (व्यवधान) किया जा रहा है।(व्यवधान)

डॉ. लक्ष्मी ध्रुव :- उनको हटाया कहां गया है।

श्री अजय चन्द्राकर :- भूपेश बघेल की नेतृत्व में...(व्यवधान)

कृषि मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- वित्तीय वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग, जिला गरियाबंद को हरित क्रांति विस्तार योजना के फसल कटाई उपरांत /विपणन घटक अंतर्गत अनुदान पर मिनी राईस मिल वितरण हेतु कुल राशि रू. 38.19 लाख का वित्तीय लक्ष्य प्राप्त था। जिसके विरूद्ध जिले के 72 कृषकों को मिनी राईस मिल का वितरण किया गया था।

कृषि विभाग गरियाबंद द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 में हरित क्रांति विस्तार योजना के तहत मिनी राईस मिल की खरीदी नियम विरूद्ध किये जाने के संबंध में माननीय विधायक, राजिम से प्राप्त शिकायत की जांच संयुक्त संचालक कृषि, संभाग रायपुर से कराने हेतु संचालनालय कृषि द्वारा दिनांक 10.12.2021 को निर्देश जारी किये जा चुके हैं। शिकायत का प्रथम दृष्टया परीक्षण करने पर उप संचालक कृषि, जिला-गरियाबंद के द्वारा योजना के प्रावधानों का उल्लंघन पाया गया है। प्रकरण की निष्पक्ष जांच के दृष्टिगत उप संचालक कृषि, गरियाबंद को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।

इसके साथ ही मिनी राईस मिल वितरण से लाभाविन्त कृषकों का भौतिक सत्यापन कलेक्टर जिला गरियाबंद के माध्यम से कराने हेतु निर्देश जारी किए गए हैं।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों के द्वारा नारे लगाते हुए गर्भगृह में प्रवेश किया गया)

समय :

12:35 बजे

<u>गर्भगृह में प्रवेश पर स्वमेव निलंबन</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये हैं -

<u>भारतीय जनता पार्टी</u>

1. श्री धरमलाल कौशिक
2. डॉ. रमन सिंह
3. श्री पुन्नूलाल मोहले
4. श्री अजय चन्द्राकर
5. श्री नारायण चन्देल
6. श्री शिवरतन शर्मा
7. श्री सौरभ सिंह
8. श्री डमरूधर पुजारी
9. श्री रजनीश कुमार सिंह
10. श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू

<u>जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़(जे)</u>

1. श्री प्रमोद कुमार शर्मा

उपाध्यक्ष महोदय :- कृपया निलंबित सदस्य सदन से बाहर जाएं। मैं निलंबन की अवधि पश्चात् निर्धारित करूंगा। अमितेश शुक्ल जी। शून्यकाल। अब नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल की सूचना लूंगा।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

12:36 बजे

<u>नियम 267 "क" के अधीन शून्यकाल सूचनाएं</u>

उपाध्यक्ष महोदय :- निम्नलिखित सदस्यों की शून्यकाल की सूचना सदन में पढ़ी हुई मानी जाएगी तथा इसे उत्तर के लिये संबंधित विभाग को भेजा जायेगा :-

1. श्री कुलदीप जुनेजा
2. श्री बृजमोहन अग्रवाल
3. श्री प्रकाश शक्राजीत नायक
4. श्री नारायण चंदेल
5. श्री सौरभ सिंह

समय :

12:37 बजे

<u>प्रतिवेदनों की प्रस्तुति</u>

<u>(1) श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति, प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन</u>

श्री देवेन्द्र बहादुर सिंह, सभापति : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रत्यायुक्त विधान समिति का चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री धनेन्द्र साहू जी।

<u>(2) गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं पारण</u>

श्री धनेन्द्र साहू (सभापति) : अध्यक्ष महोदय, मैं गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रथम प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

प्रतिवेदन इस प्रकार है :-

समिति ने सदन के समक्ष शुक्रवार, दिनांक 17 दिसम्बर, 2021 को चर्चा के लिये आने वाले गैर सरकारी सदस्यों के कार्य पर विचार किया तथा निम्नलिखित शासकीय संकल्पों पर चर्चा के लिए निम्नानुसार समय निर्धारित करने की सिफारिश की है :-

<u>अशासकीय संकल्प क्र.</u>	**<u>सदस्य का नाम</u>**	**<u>समय</u>**
(क्रमांक : 01)	**श्री अजय चनद्राकर**	**30 मिनट**
(क्रमांक : 03)	**श्री धरम लाल कौशिक**	**45 मिनट**

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

(क्रमांक : 04)	**श्री मोहन मरकाम**	**15 मिनट**
(क्रमांक : 05)	**श्री धर्मजीत सिंह**	**30 मिनट**
(क्रमांक : 04)	**श्री अजय चन्द्राकर**	**30 मिनट**

उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं कि सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सदन गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के प्रथम प्रतिवेदन से सहमत है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

(3) डॉ. प्रीतम राम, सभापति, पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, ग्यारहवां एवं बारहवां प्रतिवेदन

डॉ. प्रीतम राम, सभापति :- अध्यक्ष महोदय, मैं पटल पर रखे गये पत्रों का परीक्षण करने संबंधी समिति का पंचम, षष्ठम, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, ग्यारहवां एवं बारहवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री दलेश्वर साहू जी।

(4) श्री दलेश्वर साहू, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन

श्री दलेश्वर साहू, सभापति :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न एवं संदर्भ समिति का प्रथम एवं द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 250 के उप नियम (1) के तहत निम्न सदस्य अपने स्थान को छोड़कर गर्भगृह में प्रवेश करने के कारण, सभा की कार्यवाही से स्वमेव निलंबित हो गये थे, मैं इनका निलंबन समाप्त करता हूं। सदन की कार्यवाही 10 मिनट के स्थगित।

(12:40 से 01:29 बजे तक कार्यवाही स्थगित रही)

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :
1:29 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुए.)**

<u>सदन को सूचना</u>

अध्यक्ष महोदय :- आज भोजनावकाश नहीं होगा । मैं समझता हूं कि सभा सहमत है ।

(सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई)

अध्यक्ष महोदय :- भोजन की व्यवस्था माननीय श्री गुरू रूद्र कुमार, मंत्री जी की ओर से माननीय सदस्यों के लिए लाबी स्थित कक्ष में एवं पत्रकारों के लिए प्रथम तल पर की गई है । कृपया सुविधानुसार भोजन ग्रहण करें ।

<u>पृच्छा</u>

श्री अजय चन्द्राकर (कुरूद) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे एक निवेदन है । हमने एक स्थगन दिया था, उसकी चर्चा शून्यकाल में की । चर्चा की तो किन्हीं भी कारणों से हो, आप कार्यवाही देख लीजिए, माननीय संसदीय कार्यमंत्री ने कहा कि हम उस पर तत्काल चर्चा कराने के लिए तैयार हैं । उसके बाद सरकारी रूख में किन कारणों से अंतर आया, यह मैं नहीं जानता । उन्होंने कहा कि हम तीन बजे चर्चा करेंगे । माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके नेतृत्व में, इसके पूर्ववर्ती जितने भी अध्यक्षगण रहे हैं, छत्तीसगढ़ की परम्परा बहुत महान, मजबूत रही है । तीन बार के मुख्यमंत्री, विधान सभा अध्यक्ष, सबसे वरिष्ठ विधायक इस सदन के सदस्य हैं । उधर भी मेरे ख्याल से संसदीय कार्यमंत्री जी, संसदीय कार्य के विद्वान आप स्वयं भी लोकसभा और विधान सभा में कई बार परम्पराओं को स्थापित, मजबूत होते देखा है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद किसी भी सत्र के प्रथम, द्यितीय, तृतीय या चतुर्थ अनुपूरक बजट हो, मुझे ख्याल नहीं है कि छत्तीसगढ़ में हमने बहिष्कार किया हो । हम चाहते हैं कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं मजबूत हों । मुख्यमंत्री जी भी सदन में हैं । माननीय मुख्यमंत्री जी, किन्हीं कारणों से मेरे कहने से, इनके कहने का सवाल नहीं है, आप बड़ा ह्दय दिखाते हुए जो बात आदरणीय संसदीय कार्यमंत्री जी ने कही कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, उसमें आप चर्चा करवा लीजिए । हम तीन बजे चर्चा के लिए उस समय भी तैयार नहीं थे, अभी भी तैयार नहीं हैं और हम बजट में चर्चा में भाग लेना चाहते हैं । विपक्ष चाहता है कि परम्पराएं खण्डित मत हों, आज स्थगन में चर्चा हो जाये और कल हम अनुपूरक बजट में भाग लें, इन परिस्थितियों का निर्माण हो, यह विपक्ष का आपसे आग्रह है ।

अशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री बृजमोहन अग्रवाल (रायपुर नगर दक्षिण) :- माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन परम्पराओं से चलता है, नियमों से चलता है। यह बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति निर्मित हो रही है। संसदीय कार्यमंत्री जी ने कहा कि हम तुरन्त चर्चा करवाने के लिए तैयार हैं। प्रश्नकाल विपक्ष के लिए होता है, ध्यानाकर्षण विपक्ष का होता है, स्थगन विपक्ष का होता है। छत्तीसगढ़ में 20 हजार महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं, उस पर चर्चा ना करवाकर सरकार खाली अपना बिजनेस करवाये तो यह विपक्ष का दायित्व तो है कि हम बजट में सरकार का सहयोग करें, परन्तु अगर विपक्ष की बात को सुना जायेगा। हम आपसे आग्रह करते हैं कि हमारा जो आप रेटी टू इट के ऊपर स्थगन प्रस्ताव है, आप उस पर तुरन्त चर्चा करवायें। यदि आप उस पर तुरन्त चर्चा नहीं करवाते हैं तो हमारी मजबूरी होगी कि हम दिन भर के लिए सदन का बहिर्गमन करें, बहिष्कार करें, माननीय मुख्यमंत्री जी के अनुपूरक बजट का बहिष्कार करें। हम आपसे इस बात का आग्रह करना चाहते हैं कि संसदीय कार्यमंत्री जी, कभी भी ऐसी कोई बात आती है तो आप संसदीय कार्यमंत्री जी से पूछते हैं कि आपका क्या कहना है। संसदीय कार्यमंत्री जी ने स्वयं खड़े होकर कह दिया कि हम इस पर तुरन्त चर्चा करवाने के लिए तैयार है। यदि उस पर बिना चर्चा करवाये सदन की कार्यवाही को आगे बढ़ायेंगे तो यह परम्पराओं के भी विपरीत है, यह नियमों के भी विपरीत है। आप कार्यवाही निकालकर देख लीजिये। अगर उन्होंने इस बात को कहा है तो प्रदेश की 20 हजार महिलाओं के साथ अन्याय हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। उनका रोजगार छीना जा रहा है, वे सड़कों पर उतरी हुई हैं। ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करवाने के बजाय किसी दूसरे विषय पर चर्चा करवाना छत्तीसगढ़ के 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के ऊपर अन्याय होगा, अत्याचार होगा। यह सदन इस प्रदेश के लोगों के हितों के सरंक्षण के लिए है, उनके हितों के दमन के लिए नहीं है। अगर यहां पर चर्चा नहीं होती है तो उससे यह बात साबित होगी कि यह सरकार, महिलाओं का दमन करने वाली सरकार है। इसलिए हम चाहेंगे कि आपका सरंक्षण हो, आप इस विषय पर तुरन्त चर्चा करवायें, आपसे इस बात का आग्रह है। अगर सदन में तुरन्त चर्चा नहीं होगी तो हमें, विपक्ष मजबूर होकर दिन भर के लिए सदन का बहिर्गमन करना पड़ेगा। हम आपसे इस बात का आग्रह करना चाहते हैं कि आप इस विषय पर तुरन्त चर्चा करवायें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री धरमलाल कौशिक) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हम लोग उस समय आनी बात को शासन का ध्यान आकर्षित करने के लिए शून्यकाल में पढ़ना शुरू किया। उ उस विषय में आगे बढ़ ही रहे थे कि संसदीय कार्यमंत्री, हमारे विद्वान साथी हैं, उन्होंने कहा कि आप चर्चा से भागना चाहते हैं, हम तो अभी चर्चा कराना चाहते हैं। इसलिए हमने उनका सम्मान किया। यदि आप अभी चर्चा कराना चाहते हैं तो हम भागना नहीं चाहते हैं, हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं, इसीलिए तो हमने स्थगन दिया है। आज पूरे प्रदेश भर की 20 महिलाएं रेडी टू इट में काम करने वाले हैं, जिनको इस सरकार ने बेरोजगार करने का काम किया है। जो रोजी-रोटी चल रही है, उसको छीनने का काम किया है और इतना ही नहीं, बल्कि किसी निजी हाथों में देने का काम किया है । जबकि स्पष्ट रूप से हम महिलाओं के

सशक्तीकरण की दिशा में काम करें, उनको अपने पैरों पर कैसे खड़ा कर सकें, उनको काम मिल सके, इसके लिए योजना बनाकर उनको काम दें । ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करना चाहते हैं, सरकार को इसके लिए तुरन्त तैयार होना चाहिये। बजट पारित होना, एक प्रक्रिया में है, हम लोग चर्चा में भाग लेते हैं, विषय रखते हैं, बजट पारित हो जाती है, लेकिन जनता का जो विषय है, यह प्राथमिकता में होनी चाहिये । सरकार के विषय है, यह तो आयेंगे, लेकिन जनता का विषय है, उस पर चर्चा हो और वह हमारी प्राथमिकता हो । इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, तत्काल स्थगन पर चर्चा हो, चर्चा के बाद में बाकी विषय जो हैं, वह आयेंगे। हम उस पर भी चर्चा में भाग लेंगे । विधिवत रूप से बजट को भी पारित करेंगे । इसलिए हम लोग आपसे आग्रह करना चाहते हैं । संसदीय कार्यमंत्री जी बैठे हुये हैं, मुख्यमंत्री जी बैठे हुये हैं, उनको भी इस विषय में विचार करना चाहिये कि पूरे प्रदेश भर में जब यहां पर आये हुये हैं, इस बात का भी वह लोग इंतजार कर रहे हैं, देखना भी चाह रहे हैं, ऐसे जनहित के विषय उठते हैं, जहां पर लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, जहां लोगों के साथ में उनके हक छीने जा रहे हैं, यदि ऐसे विषय पर तत्काल चर्चा नहीं होगी तो किस विषय पर चर्चा होगी ?

अध्यक्ष महोदय:- संसदीयकार्य मंत्री जी ।

संसदीयकार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी पहली बात, इस पूरे विषय में आसंदी की व्यवस्था आ चुकी है । दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, परम्परा यह है कि.....।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आपको तो बोलने का अधिकार नहीं है । वह जो बोलना चाह रहे हैं, क्या बोलना चाह रहे हैं ? वह बोले ना कि हम पहले चर्चा करवायेंगे, वह बोले पहले हम चर्चा करवायेंगे । कौन सी चर्चा है जो देने वाले हैं ?

श्री रविन्द्र चौबे :- यह कहां से आ गया ?

अध्यक्ष महोदय :- मैंने उनसे कहा ...।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- 20 हजार महिलाओं का अधिकार छीन रहे हैं । एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए 20 हजार महिलाओं का अधिकार छीन रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- अनर्गल आरोप है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- संसदीयकार्य मंत्री जी, हम जिस बात को बोल रहे हैं, आप कहिये ना ? (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप बोलिये ना तो । 3 बजे के बाद आपको चर्चा का वख्त दिया है, 3 बजे के बाद । आप क्यों भाग रहे हैं ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप भाग रहे हैं । आप भाग रहे हैं । (व्यवधान)

श्री रविन्द्र चौबे :- आप क्यों भाग रहे हैं ? तीन बजे के बाद चर्चा करने की बात हुई थी ? आप क्यों भाग रहे हैं ? आप करिये ना चर्चा । आपको चर्चा करने के लिए किसने मना किया है ? आप 3

बजे अनुपूरक में चर्चा करिये । आप क्यों भाग रहे हैं ? आपको चर्चा करने के लिए किसने मना किया है ? (व्यवधान)

श्री अजय चन्द्राकर :- आपने चर्चा के लिए कहा है, मुकर रहे हैं । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- अगर इतने गंभीर हो तो चर्चा से क्यों भाग रहे हो ? (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- बहुमत के आधार पर ...। (व्यवधान) हमारा दायित्व है । (व्यवधान)

श्री मोहन मरकाम :- इतने गंभीर हो । माननीय अध्यक्ष जी, सिर्फ राजनीतिक कर रहे हैं और कुछ नहीं । चर्चा से हर बार भाग रहे हो । माननीय अध्यक्ष जी, हर बार भागते हैं । इतनी चिन्ता है तो आप क्यों भाग रहे हैं ? हमारी सरकार चर्चा करना चाह रही है । आप इतने गंभीर हैं तो चर्चा से क्यों भागना चाह रहे हैं ? इनके पास कोई मुद्दा नहीं है । (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, इस प्रदेश में तीन प्रकार की कांग्रेस चल रही है । एक कांग्रेस जिनका नेतृत्व सोनिया गांधी जी करती है । उसके लिए मोहन मरकाम जी हैं ।

श्री मोहन मरकाम :- और आपके यहां कितने हैं ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- एक कांग्रेस चल रही है, एक तरफ बाबा कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं ।

अध्यक्ष महोदय :- मेरी व्यवस्था सुनिये ।

श्रीबृजमोहन अग्रवाल :- यहां तीन-तीन कांग्रेस चल रही है ।

अध्यक्ष महोदय:- चलिये, बैठिये प्लीज । बैठिये तो सही । मैं व्यवस्था दे रहा हूँ ।

श्री शिवरतन शर्मा :- बीज निगम को धान सिर्फ इसलिए दिया गया है कि जो पैसा कलेक्शन हो, वह यू.पी. भेजा जाये । यह महिलाओं का यू.पी. चुनाव से कनेक्शन है । एक तरफ महिला सशक्तीकरण की बात की जा रही है । दूसरी तरफ महिलाओं का काम छीना जा रहा है ।

अध्यक्ष महोदय :- व्यवस्था दे रहा हूँ ।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सदन संसदीय कार्य मंत्री के खड़े होने के बाद भी, उनके आश्वासन के बाद भी अगर चर्चा नहीं होती है तो कांग्रेस की दुविधा है ।

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- चर्चा होगी ना ? चर्चा से कौन भाग रहा है ?

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- लोग किसकी बात मानेंगे ?

डॉ.शिवकुमार डहरिया :- चर्चा से कौन भाग रहा है ? चर्चा से तो आप लोग भाग रहे हो ।

श्री अजय चन्द्राकर :- उसको कोई नोटिस ही नहीं लेता ।

अध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी, आप वरिष्ठ हैं । बैठ जाओ

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- चर्चा से क्यों भाग रहे हो ?

अध्यक्ष महोदय :- अग्रवाल जी आप वरिष्ठ है, बैठ जाओ।

डॉ. शिव कुमार डहरिया :- आप चर्चा से क्यों भाग क्यों रहे हो, चर्चा करवायेंगे।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष जी, हम चाहते हैं कि चर्चा करवायें।

अध्यक्ष महोदय :- आप वरिष्ठ आदमी है।

श्री अमरजीत भगत :- विपक्ष का हाल यह है कि मेरे मुर्गी के तीन टांग है। आप उस पार बैठे हुये हैं, आसंदी से अगर कुछ निर्देश दिया जा रहा है तो संसदीय कार्यमंत्री बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- महाराज सुन लीजिये। अच्छा आप सब के सामने घड़ी रखी हुई है।

श्री अमरजीत भगत :- संसदीय कार्यमंत्री कुछ बोलना चाह रहे हैं, वह सुनना नही चाहते हैं।

अध्यक्ष महोदय :- आप सब के सामने घड़ी है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- आप क्या बोले असंसदीय कार्यमंत्री, आपने बोला असंसदीय कार्यमंत्री।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये ना।

श्री अमरजीत भगत :- संसदीय, संसदीय कार्यमंत्री जब बोलने के लिये खड़े होते हैं तो आप लोग सुनना नहीं चाहते हैं।

श्री शिवरतन शर्मा :- आपके मन का भाव निकल गया । मंत्री जी के प्रति आपके मन में क्या भाव है वह प्रकट हो गया। असंसदीय कार्यमंत्री।

अध्यक्ष महोदय :- सुन तो लो बाबा।

श्री अमरजीत भगत :- आप लोग जो हैं कुछ भी, मेरी मुर्गी के तीन टांग।

अध्यक्ष महोदय :- सुनिये, मेरी बात सुनिये व्यवस्था सुनिये। जब मैं व्यवस्था दे रहा हूं तो कृपया हल्ला मत करें। शून्यकाल में आपने रेडी टू इट विषय से संबंधित स्थगन प्रस्ताव की सूचना को लेने का आग्रह किया। जिस पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना आसंदी द्वारा पढ़ी गयी। संसदीय कार्यमंत्री ने यह हस्तक्षेप किया कि तत्काल चर्चा कराई जाए। लेकिन चर्चा का समय नीयत करने का अधिकार आसंदी को है। तदानुसार स्थगन प्रस्ताव को नियम के अनुसार 3.00 बजे किया। मेरी बात सुन लीजिये।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह गलत निर्णय है। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- किसका निर्णय है, किसका निर्णय है।

श्री धरमलाल कौशिक (नेता प्रतिपक्ष) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्यमंत्री ने जिन बातों का उल्लेख किया, कि तत्काल चर्चा करायी जाए हम उसके लिये सहमत है, हम संसदीय कार्यमंत्री जी से चर्चा करने के लिये तैयार हैं और इसलिये हम अभी उस पर चर्चा चाहते हैं, सरकार सहमति दें। (व्यवधान)

डॉ. शिव डहरिया :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो आसंदी के निर्णय को भी मानने के लिये तैयार नहीं है।

अध्यक्ष महोदय :- इसलिये अब अनुपूरक बजट लिया जाएगा और इसके बाद स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी। आप सब के अपेक्षा से है। (व्यवधान)

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, यह गलत है। (व्यवधान) (मेजों की थपथपाहट)

डॉ. शिव डहरिया :- यह विपक्ष में बैठे हैं, यह खाली इसी बात को लेकर ...। (व्यवधान) सदन की अवमानना है।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- यह भोले-भाले आपको। (व्यवधान)

श्री धरमलाल कौशिक :- उस पर सरकार सहमति दें। इसका मतलब यह है कि सरकार जनता से ...। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री बृजमोहन अग्रवाल :- माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय परंपराओं को तोड़ा जा रहा है। (व्यवधान) हम इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं। (व्यवधान)

श्री अजय चंद्राकर :- माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको बहुत-बहुत बधाई। माननीय संसदीय कार्यमंत्री आपको बहुत-बहुत बधाई।

श्री अमरजीत भगत :- मगर नेता प्रतिपक्ष कौन है पता ही नहीं चलता है। कोई भी बहिर्गमन करा देता है।

समय :
1:42 बजे

<u>बहिर्गमन</u>

<u>भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा अनुपूरक बजट के विरोध में</u>

(श्री बृजमोहन अग्रवाल सदस्य के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी दल के सदस्यों द्वारा अनुपूरक के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया।)

<u>वित्तीय वर्ष 2021-2022 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की अनुदान मांगों पर चर्चा</u>

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राज्यपाल महोदया की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव करता हूं कि दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 39, 41, 42, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 69,। अब काहे दबाव डाल रहे हो, आप जाओ बहिर्गमन करो। 79, 80 एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर दो हजार एक सौ आठ करोड़, बासठ लाख, चौरासी हजार, तीन सौ नवासी रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। चलिये श्रीमती रंजना डीपेन्द्र साहू, श्री केशव चंद्रा जी।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा (जैजैपुर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमत्री के द्वारा द्वितीय अनुपूरक अनुमान, अनुदान मांग संख्या 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 39, 41, 42, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 69, 79, 80 एवं 81, 2108 करोड़ के अनुदान मांग के विषय में चर्चा करे बर मैं खड़े हुये हो। अनुदान मांग में चर्चा करव एकर पहली एक चीज मैं निश्चित रूप से कहना चाहत हव। ये अभी हमर विपक्ष के साथी भागिन हे, उहू मन ला कहना चाहतो।

अध्यक्ष महोदय :- आपके कहने से पहले वह घड़ी देखो कितना बजा है। 1:44, 1:45 मिनट मिनट हो रहा है।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- जी।

अध्यक्ष महोदय :- तो 3.00 बजने में कितना समय है। मैं जो कह रहा हूं, उधर थोड़ा-सा ध्यान दीजिये। 3.00 बजने में कितना समय बाकी है?

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- डेड़ घंटा।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- खत्म कर लेंगे।

अध्यक्ष महोदय :- नहीं-नहीं, मेरे को बात कर लेने दो।

श्री रविन्द्र चौबे :- जी, बात समझ रहे हैं।

मुख्यमंत्री (श्री भूपेश बघेल) :- जी समझ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय :- सवा घंटे बाद अगर कोई यहां चर्चा हो जाएगी तो क्या बिगड़ जाएगा ?

श्री रविन्द्र चौबे :- इसीलिए वे लोग भाग गये। अध्यक्ष जी, आपके इस प्रश्न में पूरी सदन की गंभीरता छिपी हुई है।

अध्यक्ष महोदय :- मैं तो वही कह रहा हूं।

श्री रविन्द्र चौबे :- अध्यक्ष जी, केवल सवा घंटे के बाद वे अपने स्वयं के स्थगन में चर्चा नहीं कर पाएंगे, प्रतिपक्ष पूरे प्रदेश की जनता को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेगा और वे लोग भाग गये। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- 3 बजे का समय निर्धारित है और 3 बजे आप चर्चा नहीं करना चाहते।

श्री रविन्द्र चौबे :- केशव भैया, बढ़िया बोल रहे हैं।

श्री रामकुमार यादव :- छत्तीसगढ़ी मा इही ला कहावत हे, मे नई चाहथव लेकिन हो गिस हे, का कहत का हो गे, दोनों कुला मा घाव हो गे। (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मोर कहे के आशय ए रहिस कि हम क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधि हन। अऊ क्षेत्र के जनता हमला बहुत उम्मीद करके चुन के भेजथे। जेखर बहुमत रथय ओखर सरकार बनथे। लेकिन ऐसे नई हे कि हम सरकार मा नई हन ता हमर जवाबदारी अऊ जिम्मेदारी खत्म हो गे, हम जनता के प्रति आज भी जवाबदेह हन। एय सदन हा, जनता मन अपन हित

के रक्षा करय, ऐखर लिए हमला चुनकर भेजथे। सरकार के बहुमत हे, सरकार कोई निर्णय करय, ओ बात महत्वपूर्ण हो ए बल्कि महत्वपूर्ण ए बात हरय कि हम जनता के आवाज ला सरकार के खामी ला, अऊ सरकार कहा कइसे बेहतर काम कर सकय, तेला हम कतका बेहतर ढंग से सदन मा रखथन, ए महत्वपूर्ण हे। लगातार अवरोध, चर्चा नई होना, ए सदन के फिर औचित्य का रहिगे, हमन चर्चा करे बर आए हाबन। चाहे अनुदान मांग रहाय, चाहे स्थगन रहाय, चाहे ध्यानाकर्षण रहाय, चाहे प्रश्नकाल रहाय। धन्यवाद, आप मोला प्रथम वक्ता के रूप मा बोले के मौका दे हाववं। (मेजों की थपथपाहट) माननीय अध्यक्ष महोदय, द्वितीय अनुपूरक हे, अनुपूरक मा तो ज्यादा कुछ नई हवय, सब राजस्व व्यय हे।

(श्री संतराम नेताम, सदस्य द्वारा बैठे-बैठे कुछ कहने पर)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- संतराम भैया, अब कुछ बोलहूं फिर नाराज हो जबे। तोरे बात ला मय बोलहां।

श्री संतराम नेताम :- इस बार भी तो थोड़ा सा ठीक ठाक बोलना हे। यह मेरा कहना है। अब कोई भी नई है, एक बार थोड़ा अच्छा सा बोल लें।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- एति जतका बैइठे हे ना, जे मन मंत्री अऊ मुख्यमंत्री जी के डर मा नई बोल पावत हे, तुहरे भावना ला मैं व्यक्त करहूं। (हंसी) तुमन के सब के भावना ला मैं व्यक्त कर देहूं जेला तुमन बोल नई पावव। एक बार मेज ला थपथपा दे न भाई। (हंसी)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी धान खरीदी के समय चलत हवय, अऊ किसान मन परेशान हे। परेशान एखर बन नई हे, मुख्यमंत्री जी हा तो मूल्य बढ़िया देत हे, 2500 रूपये देत हे, रो के देत हे, गा के देत हे, कई किस्त मा देत हे लेकिन देत हावय। समस्या ए हवय कि अभी किसान मन चिंतित हो गे हे हम अभी धान बेच पाबो या नहीं। बारदाना के कमी हे, अऊ सरकार कहात हावय किसान बारदाना देवय। सरकार के अतके बड़ तंत्र, सरकार कर अतके अकन व्यवस्था, अतके अकन पईसा, अऊ ओ सरकार ह बारदाना नई खरीद पावत हे, अभी किसान मन धान लुवे हे, जेब हा ठन-ठन गोपाल हे, जेब मा कुछु नई हावय। अऊ सरकार ला तो उधारी भी मिल जाही लेकिन कोन किसान ला व्यापारी हा उधारी बारदाना देही । अऊ बारदाना खरीदे बर ओ किसान मन लाचार अऊ बेबस हे। सरकार आदेश 25 प्रतिशत निकाले हे। अऊ ऊहां लाठी डंडा चलत हे, 50 देबे चाहे 100 देबे ता तोर धान ही खरीदी होही नई तो टोकन नई कटय। मिलर मन ला डी.ओ. दे हावय आप बारदाना पहुंचाववं। मिलर मन के अलग दादागिरी चलत हावय। कोई बारदाना नहीं पहुंचाय हावय। मिलर मन कहात हे बारदाना ला किसान व्यवस्था कर लेवव भाई मैं 22 रूपया दिहा, में 20 रूपए दिहां, 15 रूपए में दिहां। अऊ किसान बारदाना ला 40 रूपया, 50 रूपया मा खरीदत हे, अऊ ओ हा पाहीं 20 रूपया, 22 रूपया। पऊर साल भी धान बेचे रहेन, सरकार बारदाना के पूर्ति पऊरो साल नई करे पाईस। धान बेचेन 15 रूपया के रेट तय होईस, संतराम भैया, साढे साते रूपया किसान मन ला मिले हे।

श्री संतराम नेताम :- साढ़े पांच लाख बारदाना बोले थे, एक लाख भी नहीं आया है तो कैसे चलायेंगे। थोड़ा उधर भी बोल दीजिए।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अध्यक्ष महोदय, नई आवय ता लाय के तुंहर जवाबदारी हे, कइसे लाहां तेला। किसान हा कइसे अपन धान ला बेचय बर जुन्ना बोरा ला खरीद डारत हे। तहुं मन जुन्ना बोरा ला खरीद लेवव का तकलीफ हवय। धान ला खरीदना हे, केवल केन्द्र केन्द्र केन्द्र कहत हव, इहां तो कतका दिन ले मोदी मोदी मोदी कह के नाम ला जपत हव।

श्री अमितेश शुक्ल :- खरीद के ही तो हमन 12 लाख पहुंचा देन।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- महराज, पउर साल के साढ़े सात रूपया मिले हे, 15 रूपया कहे हव तेमा साढ़े सात रूपया किसान ला अभी भी नई मिलय हावय। कभू सरकार समीक्षा करथे या नई करथे। खाद्य मंत्री जी, चिंता करव, पऊर साल के बारदाना के पईसा ला पहली देवव। अभी भी बारदाना के पइसा नइ आए हे।

खाद्य मंत्री (श्री अमरजीत भगत) :- ओ मन ला अपन-अपन खाता ला चेक करही बोलओ । सबके खाता में पइसा हा पहुंच गे हे ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- बिल्कुल खाता चेक करे हन । खाता चेक करे हन तब कहत हन साढ़े सात रूपया ।

श्री अमरजीत भगत :- पइसा पहुंच गे हे, खाता ला दिखवावओ ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- भई, हम तो आपके हित में गोठियात हन । सियान नो हन, लइका हन तभो गोठियात हन । सुन लिहा तो तुंहर फायदा होही ।

संसदीय सचिव, आदिम जाति मंत्री से संबद्ध (श्री द्वारिकाधीश यादव) :- माननीय चंद्रा भैया जी, बारदाना की कमी की बात आप बोल रहे हैं । आप ऐसे सोसायटी का नाम बताइए जहां पर बारदाना की कमी से धान खरीदी नहीं हुआ हो ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मैं तो कहत हंओं न, डंडा चलात हा, 50 प्रतिशत किसान करा लेत हवओ ।

संसदीय सचिव, खाद्य मंत्री से संबद्ध (श्री कुंवर सिंह निषाद) :- चंद्रा भैया, आप विषय से मत भटको न । जेन बात करना हे तेला रखओ ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मैं बिल्कुल विषय ले नइ भटकत हंओं । एकर से शायद महत्वपूर्ण अउ कोनो विषय नइ हो सकय किसान के अभी चिंता, ओकर से महत्वपूर्ण विषय नइ हो सकय । आप आंकड़ा प्रस्तुत करे बर कइहा । मैं चिट्ठी दिखा दओं का कि कहां-कहां चिट्ठी लिखे हंओं । माननीय मुख्यमंत्री जी ला भी मैं चिट्ठी लिखे हंओं ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

श्री द्वारिकाधीश यादव :- चंद्रा भैया, अभी तक एक भी सोसायटी में बारदाना की कमी में उस दिनांक को बताईए जहां पर धान खरीदी नहीं हुई है ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आप मन कतेक जगह ला जानथा, प्रदेश में के ठन सेंटर हे तेला बता दओ । धान खरीदी के कतका ठन सेंटर हे ऐला बता दओ ।

श्री द्वारिकाधीश यादव :- जैसा आप जान रहे हैं, वैसा ही हम लोग भी जान रहे हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- धान खरीदी के कतका ठन सेंटर हे ऐला बता देवा ता मैं मान जाहां कि आप मन प्रदेश के जानकार हओ । के ठन खरीदी केंद्र हे तेला बतावओ ।

अध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी, आप लोग आपस में चर्चा मत करिए । आप इधर मुंह करके बोलिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जे आदमी हा खरीदी केंद्र ला नइ जानत हे ओ हा प्रदेश के सब खरीदी केंद्र के दावा करही ।

अध्यक्ष महोदय :- तो आप इधर मुंह करके बात करिए न, आप सामने वाले को मत देखिए ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- माननीय अध्यक्ष महोदय, हमर चिंता है अउ सबले ज्यादा हमरे जिला में ज्यादा चिंता हे ।

अध्यक्ष महोदय :- उसमें डॉयरेक्टली मेरा दोष तो नइ हे न । (हंसी)

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- नहीं-नहीं । आपके कुछू दोष नइ हे । हमरो दोष नइ हे, सरकार कइही तो ओकरो दोष नहीं हे, दोषी तो किसाने मन हे । काबर बेचारा मन धान पैदा करत हें । ए सत्ता पक्ष के कहे मा, बहकावा मा आगे हांवए 25 सौ रूपया पाबो तो दोष तो किसाने मन के, दोषी ओइ मन हे अऊ भुगतना भी ओ किसान मन ला हे । मैं ए नइ कहत हंओं कि इस सरकार में भुगतत हें, उहू सरकार में भुगतत रिहिन हे, उहू सरकार में प्रताड़ित रिहिन हे, उहू सरकार में दुखी रिहीन हे अउ आज के सरकार में भी ओतके अकन दुखी हें । 25 सौ रूपया पाय के बात तो दोषी तो किसान हे काबर कि ओकर कर्म ही अन्न पैदा करना हे, सबला भोजन कराना हे तो दुखी किसान हावए अउ शायद मोर बात ला समझ जाहा तो आपे मन के हित हे, नुकसान नइ हे ।

समय :

1.54 बजे **(उपाध्यक्ष महोदय (श्री मनोज सिंह मण्डावी) पीठासीन हुए)**

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसान ला जतके सुविधा दिहा, किसान ओतके आपके नाम लिही । अउ किसान ला जतके अकन दुख दिहा, 25 सौ रूपया ला सुरता नइ करएं, ऐ सरकार हा तो जीरो परसेंट में ब्याज शुरू करे रिहिस हे । शून्य प्रतिशत ब्याज में कर्ज देहे के अगर कोई शुरूआत करे रिहिस हे तो ए सरकार करे रिहिस हे लेकिन दू साल के बोनस हा ओला ले डूबिस । ओइसनहे अगर आप 25 सौ

रूपया भी देत हओ, बारदाना के व्यवस्था नइ करत हा, अभी आज 14 दिन ही खरीदी शुरू होए हे, बाकी दिन बचे हे । सरकार ऐकर बन चिंतन करए कि बारदाना के व्यवस्था कइसे होही । जे बारदाना 15 रूपया में मिलत रिहिस हे आज ओकर बाजार में रेट 40 रूपया होगे हे अउ 40 रूपया में भी बारदाना कइसे मिलत हे, किसान के समस्या ला विधायक महोदय आप जाकर देखिहा, 50 के बंडल हे दुकानदार हा खोलन नइ देत हे। घर में जाकर गलत हें ता 48 निकलत हे । 48 में 5 ठन फटहा निकलत हावए तो ए किसान मन के पीड़ा हे । मैं कोई आंकड़ा में बात नइ करना चाहत हंओं । मैं व्यावहारिक चीज ला कहना चाहत हंओं, जो किसान के समस्या हे ओला कहत हंओं । आंकड़ा में जाबो ता तो बहुत अकन आंकड़ा हावए, आंकड़ा हमू मन जानथन, अइसे नइ हे कि केवल सत्तापक्ष हा ही आंकड़ा जानही, केवल विपक्ष हा आंकड़ा जानही । आज जब गुजरत रहेंओ तो एक ठन काय शर्मा जी जादूगर के विज्ञापन देखओं । अउ ओ जादूगर हा डायनासोर भी बनाथे । उही जादूगर के आंकड़ा तो चलत हे सत्तापक्ष अउ विपक्ष मा, अउ कुछू नइ हे । सरकार के ऊपर अइस, केंद्र सरकार के ऊपर थोप दिन । अउ ए मन के ऊपर अइस, केंद्र सरकार के ऊपर अइस ता प्रदेश के सरकार जानय । अब प्रदेश के जनता ला ऐकर से का मतलब केंद्र सरकार करत हे धन प्रदेश सरकार करत हे, वो तो नजदीक के चुने हे तेला जानही । अउ प्रदेश के सरकार के जवाबदारी हे, एमन के कोई जवाबदारी नइ हे, केंद्र सरकार ले पइसा लाना हे, केंद्र सरकार करा पइसा अटके हे तेला लाना हे । एमन के कोनो जवाबदारी नइ हे कि बारदाना के एमन व्यवस्था करएं । ए सम्पूर्ण जवाबदारी केवल अगर काकरो हे तो प्रदेश के सरकार के हे, ओहा कहां ले कइसे बारदाना लाही, का व्यवस्था करके बारदाना लाही । ओ प्रधानमंत्री बारदाना देत हावय या नहीं देत हावय, संपूर्ण जवाबदारी केवल प्रदेश के सरकार के हे। प्रदेश के जनता के हित करे बर। तो जादूगर कस आंकड़ा बना दिन। डायनासौर बनाके बता दिन, देख भई आज भी डायनासौर हावय। है तो कुछू नहीं, लेकिन डायनासौर जादूगर के जादू म दिख गिस हावय मायाजाल के जाल ला फेके हे माननीय उपाध्यक्ष महोदय। अउ हम तो आपके हित बर कहात हन। मानना नहीं मानना आपके काम हे। करना नहीं करना आपके काम हे। आज प्रदेश के आप स्थिति देख लेवव। पुलिस की उपस्थिति मा सरपंच के हत्या होथे। पुलिस की उपस्थिति मा। अउ पुलिस ला केवल लाइन अटैच किये जाथे। ये प्रदेश मा कानून के व्यवस्था हे। कोन आदमी अपन आप ला सुरक्षित महसूस करही ? कोई भी किसान के काम बिना भ्रष्टाचार के कहीं भी नहीं होत हावे। लेकिन आप ओला थोड़ी न स्वीकार करहौ। भ्रष्टाचार हे कहिके। एक आम आदमी ला जाकर पूछ लो कि कतका कन करप्शन हे। कतका कन भ्रष्टाचार हे। कतका कन कमीशनखोर बढिसे। एक कमीशनखोरी के बात में ए सरकार चले गिस। आप उदाहरण देवव कि एक साल आप कमीशन लेना बंद कर देवव। अउ एक कमीशनखोरी के बात मा ए सरकार हा ओ तरफ ले ए तरफ आ गिस। बजट के का स्थिति हे? बजट बनथे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज मोर एक प्रश्न मा पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जवाब देहे। 16 ठन सड़क बजट में सम्मिलित हे। एक ठन के काम पूरा होये हावय, लेकिन कय ठन के

प्रशासकीय स्वीकृति मोला मिले हे। ए साल ले तीन ठन हा बजट ले बाहर हो जाही। ओको ठन काम के प्रशासकीय स्वीकृति नहीं मिले हे। ओमा भी जुगाड़। जुगाड़ रही तेखर प्रशासकीय स्वीकृति होही। मैं विपक्ष के विधायक हो तो मोर क्षेत्र मा सड़क नहीं बनना चाही। सत्ता पक्ष के क्षेत्र मा समग्र के राशि जारी करही। माननीय पंचायत मंत्री जी, तो हमर क्षेत्र के जनता मन ला, हमर क्षेत्र के गांव मा विकास के आवश्यकता नहीं हे? केवल ओ पक्ष के विधायक हे ते मन ला विकास के आवश्यकता हे, ओही मन ला समग्र के पैसा दीही। प्राधिकरण के पैसा ओही मन ला मिलही। ठीक हे भई जनता के बहुमत रहिस, जीत गे, लेकिन आपके दल के ला भी जो मतदाता वोट दे रहिन, ओमन का गलती कर डालिन। ओमन के का गलती हे। ओमन ला भी तो सी.सी. रोड चाहिए। ओमन ला भी मुक्तिधाम चाहिए। ओमन ला भी तो निर्मला घाट चाहिए। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तो ये दुर्भावना में राजनीति नहीं होये। राजनीति में सद्भावना होना चाहिए। विकास के लिए बड़े दिल चाहिए। आप जब अच्छा काम करिहौ तो निश्चित रूप से जनता आप ला स्वीकार करही, लेकिन दुर्भावना से काम करिहौ तो आज छत्तीसगढ़ के जनता हा ए दारू अउ नोट मा वोट देने वाला नहीं हे। आपके काम के आधार पर वोट देने वाला हे।

श्री रामकुमार यादव (चन्द्रपुर) :- विधायक जी, 5 साल ले तुम्हर क्षेत्र में रोड नहीं बने रहिसे। ये वही सरकार हे जेहा ये सवा सौ करोड़ रूपये के आज रोड बनाथे। तो कहां ले दुर्भावना आइसे? याद करव। ते खुद जानथस ये बात ला। धन्यवाद तो नहीं देवत हो।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ओ तो रामकुमार जी राम-राम जपबे करही न। राम-राम नहीं जपही फिर पराया माल हो जाही। सरकार के प्रशंसा करना आपके मजबूरी हे। आप सरकार के खामी ला नहीं बता सकौ। विधायक दल के बैठक मा बता सकथौ, लेकिन ये सदन मा नहीं बता सकौ। ये आपके मजबूरी हे। मैं आपके मजबूरी ला जानथव। आप कतका संघर्ष करने वाला रहे हौ। तीन साल पहली आपके का भाषा रहिस? अब विधायक बने के बाद जइसे ही रामकुमार के सामने ओ विधायक रामकुमार लगगे, भाषा का बदलगे। रामकुमार जी, कुर्सी के खेल हे। कुर्सी भाषा ला बदल देथे।

श्री रामकुमार यादव :- आज भी वही भाषा हे। जो कहे रहन वादा, किसान ला एक हजार करोड़ रूपया मुआवजा मिलना रहिसे । आज भी जो वादा करे रहन पिछड़ा वर्ग ला 27 प्रतिशत आरक्षण के यही सरकार हा करैया हे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, रामकुमार भाई।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- हम आप ला धन्यवाद दे हन भाई। मुआवजा देवाय हो, तेखर बर व्यक्तिगत भी धन्यवाद देथन। सदन में भी धन्यवाद देथन। आप मंत्री जी ला भी धन्यवाद देथन । किसान जेन मन लड़त रहिसे ओमन ला आप मुआवजा दिलाये हो। व्यक्तिगत भी धन्यवाद देहन। आज भी धन्यवाद देथन। होना चाहिए। अउ दिलावव। बोरा ला अउ दिलवा देवव। ओखर लिए भी पुन: धन्यवाद देबो। जहां अच्छा काम होथे, तहां प्रशंसा करेले हमन नहीं हिचकन, लेकिन जहां खामी हे, ओ

जनता के आवाज ला, व्यावहारिक चीज ला ए सदन में नहीं रखबो तो सरकार तो उही अधिकारी मन के सुनत रही। अउ जब अधिकारी हा बढिया आप मन ला प्रेजेंटेशन देथे न, अतका बारदाना ला काट दिहौ तो अतका पैसा बाचही तो गदगद गदगद हो जाथौ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चन्द्रा जी, इधर देखकर बात करिए न। बार-बार उधर मत देखिए।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- अधिकारी मन प्रेजेन्टेशन देथें, बता दिन कि 25 प्रतिशत बारदाना ला काटबे ता सरकार के अतका पइसा बच जाही । कतका पइसा बच जाही । तो सरकार ला कहत हन हम कि व्यवहारिक चीज मा आए अउ जनता के हित ला देखय । अधिकारी के प्रेजेन्टेशन ला मत देखय, जनता हा आप ला चुनके भेजे हे, सरकार काकरो राहय, अधिकारी तो वही रही, सचिव तो वही रही । कलेक्टर तो वही रही, ठीक हे बदल दिहो, लेकिन उही मे के आई.ए.एस. कलेक्टर बनही । आप ला जनता के हित करना हे । उपाध्यक्ष महोदय, बहुत सारा विषय हावय, अभी स्थगन के चर्चा होत रहिस हे । वास्तव मा प्रदेश में अतका अकन महिला समूह रेडी-टू-ईट संचालित करत हें, महिला सशक्तिकरण के बात हाइस । रेडी-टू-ईट से लेकर मध्याह्न भोजन, उचित मूल्य के दुकान, एकर अलावा विभिन्न लोन के माध्यम से कोई अगरबत्ती के काम, कोई मोमबत्ती के काम, कोई पापड़ बनाए के काम, कोई बिजौड़ी बनाए के काम, कोई अचार बनाए के काम, ए प्रदेश में महिल मन करके निश्चित रूप से ओमन दू-चार पइसा आमदनी प्राप्त करते हें । लेकिन आज सरकार एकाएक निर्णय ले लिस रेडी-टू-ईट ला महिला समूह द्वारा संचालन नइ करना हे, अउ मंत्री जी के जवाब आइए के एमा गड़बड़ी रहिए, एखर सेती हमन हटा दे हन । यानी 3 साल तक आप ओ गड़बड़ी ला देखत रहय हावव । ओ गड़बड़ी ला झेलत राहत हावव । सही ढंग से सही मापदंड के रेडी-टू-ईट आप ओ लइका मन ला नइ देवत रेहव । अउ तीन साल बाद आप ला याद आइए कि एला बीज निगम ला दे देबो, बीज निगम के ठेकेदार ला दे देबो तो सही मापदंड मा रेडी-टू-ईट मिलही । उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री जी कभू समीक्षा नइ करिन । वास्तव मा रेडी-टू-ईट में गड़बड़ी होवत राहय । वास्तव में सही मापदंड के, सही गुणवत्ता के नइ मिल रिहिस हे । लेकिन एखर का गारंटी हे, जेन ठेकेदार ला आप दे दे हाव । जे बीज निगम ला दे दे हाव, जेखर करा कोनो संसाधन नइ हे । ओ हर भी ठेकेदार के माध्यम से चलाही ओमा आप ला सही गुणवत्ता मिल जाही । शत-प्रतिशत वो लइका मन करा, वो हितग्राही करा पहुंच जाही । अगर इहां करप्शन रहिस हे तो उंहां भी करप्शन हो जाही।

श्री रामकुमार यादव :- लइका जन्मेच नइ हे अउ तुमन जान जाथे कि ये चोर होही के बदमाश होही ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चंद्रा जी अब समाप्त कीजिए, 15 मिनट हो गए हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- रामकुमार जी कहत हे कि लइका जन्मे नइ हे अउ जान जाथे । अरे, लइका जन्महीं तो नोनी होही या बाबू एला नइ जानत हन । लेकिन ये तो जनत हन कि लइका होही ।

उपाध्यक्ष महोदय :- बाद में जन्मात रहू पहिली ए डाहर गोठियाव ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- आज जतका ए सरकार वादा करे रहिए । चाहे संविदा कर्मचारी मन के बात राहय, चाहे अनियमित कर्मचारी जे मन कलेक्टर दर पर काम करत राहय, आज वो सब सड़क मा आत हावय । अउ ए दू साल सड़के के लड़ाई चलही । काबर कि सरकार तो कहत हे कि 36 घोषणा मा कतका ला पूरा कर डारिस। जनता मन ला तो एको ठन घोषणा नइ दिखत हे जो पूरा होए हावय । सब वोइच करा के वोइच करा हे । अउ कोन-कोन मन लड़त हावय, पशुवाला मन गांव मा रहिन हावय । ओमन ला वादा कर दे राहिन कि तुमन ला काम देबो भाई । वोमन भी हमर करा आथे, माननीय राजा साहब के चिट्ठी ला बताथें कि ओ समय लिखे रहिन । लिखे रहिन धुन नइ लिखे रहिन एला राजा साहब जानय । लेकिन वोमन चिट्ठी ला बताथे । संविदा कर्मचारी मन आथे कि ओ समय राजा साहब लिखे रहिन कि आप मन ला नियमित करबो । अब ए बात ला तुमन सदन मा अवगत करावव । अब अवगत ही करा सकत हन, अउ कुछु नइ करा सकत हन । एखर अलावा अउ का करा सकत हन । काबर के सरकारे मा तय नइ होवत हे कि कौन का करही अउ कौन का करही । ओखर लड़ाई के कारण ए सब मन दुख पात हवय । एती बइठे हैं, सब के समस्या है । कोई कहत हे मैं कहत हौं तेखर ट्रान्सफर नइ होवत हे । कोई काहत हे समग्र के राशि ला तो दे दे हे लेकिन काम शुरू नइ होवत हे । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी एमन के पीड़ा ला बता देवत हौं, हमन ला नइ देवत हौ तो कोई बात नइ । जेमन ला दे हौ कोई न कोई गांव मा विकास के काम हो ही । वो कहां पर रोक लगे हे, ओला हटा देहू तो हमन के काम हो जाही ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, चंद्रा जी 20 मिनट हो गए, अभी 5 सदस्य बाकी हैं ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- ओमन एको झन बोल लिहीं तो भी चल जाही ।

उपाध्यक्ष महोदय :- नई नई, देना पड़ेगा ।

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- वही वही ला बोलहीं, ओमन सरकार के प्रशंसा ही करहीं । कोई पीड़ा, कोई दुख, कोई दर्द ला बताएं नहीं ।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलिए, समाप्त किया जाए। धन्यवाद आपको।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- बिढ़या करथे, धान खरीदथे, बढ़िया खरीदथे, ए साल अउ कतका लक्ष्य राखे हन के कतका धान ल खरीदबो करके। ओतके चीज ल बताही। बारदाना के पीड़ा ल ओमन तो जानत नइ हे, न समझत नइ हे, न जानना नइ चाहत हे। मजबूरी हे। ये जो सरपंच के हत्या होइस, ओमा जो चक्काजाम होइस, कोई विपक्ष नई करे रहीस माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के आदमी मन कर रहीन, सत्ता पक्ष के आदमी मन। तो ये पीड़ा अउ ये दुख हावय ओमा लगही ओतके अकन। अउ समग्र के राशि ल पूछ लेवा न एक-एक झन व्यक्तिगत। सब दुखी हावय जारी नइ होवथे। मोला कइथे, केशव भाई तई हर थोड़ा गोठियाथस, थोड़ा गोठिया देबे।

उपाध्यक्ष महोदय :- चलो अब। चन्द्रा जी। समाप्त करिएगा।

श्री केशव प्रसाद चन्द्रा :- तुहर हित के रक्षा मुख्यमंत्री नइ करथे त हमर विपक्ष मन कर देत हावय। धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- श्री मोहन मरकाम जी।

श्री मोहन मरकाम :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तुत वित्तीय वर्ष 2021-22 के द्वितीय अनुपूरक मांग संख्या - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 39, 41, 42, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 69, 79, 80 एवं 81 के कुल 2 हजार 8 करोड़, 62 लाख, 84 हजार, 389 रूपये की इस सदन से मांग की गई है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। मैं उसका समर्थन करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो मूल बजट था वर्ष 2021-22 का 97 हजार 106 करोड़ प्रथम अनुपूरक मांग 2 हजार 485 करोड़ और द्वितीय अनुपूरक मांग 2 हजार 108 करोड़ 62 लाख कुल 101 लाख 01 हजार 699.62 करोड़ रूपये अभी तक के कुल बजट में प्रावधान किया गया है माननीय उपाध्यक्ष महोदय। छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार कांग्रेस की सरकार 2018 में सरकार में आने के बाद जो एक नई परिकल्पना के साथ आगे बढ़ रही है 'गढ़बो नवा छत्तीसगढ़'। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इन तीन वर्षों में 17 तारीख को हमारी सरकार के तीन साल का कार्यकाल पूरा हो रहा है। इन तीन वर्षों में छत्तीसगढ़ के 02 करोड़, 80 लाख जनता की अपेक्षाओं, उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास किया है। चाहे किसान हो, मजदूर हो, आम जनता हो, छोटे व्यापारी हो, सभी वर्गों का हमारी सरकार भूपेश बघेल जी की सरकार ने विशेष ख्याल किया है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इसी कारण चाहे केन्द्र सरकार लगातार, चाहे नगरीय प्रशासन विभाग में आप देखिए 67 पुरूस्कार लगातार तीन वर्षों तक स्वच्छतम राज्यों में छत्तीसगढ़ को पुरूस्कार मिला है। हमार छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि हमारी सरकार की नीतियां, योजनाएं केन्द्र सरकार भी हमारी योजनाओं की तारीफ कर रही हैं। पंचायत विभागों में भी लगातार तारीफें केन्द्र सरकार से मिल रही हैं। वन विभाग में आप देखेंगे माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो देश का 74 प्रतिशत वनोपज खरीदी में छत्तीसगढ़ प्रथम स्थान है। इसका मतलब साफ है कि माननीय उपाध्यक्ष महोदय, छत्तीसगढ़ की सरकार हर विभाग के हमारे मंत्रिमण्डल के सम्मानीय सदस्य जो एक सामूहिक नेतृत्व के साथ काम रहे हैं, इसीलिए हर क्षेत्र में हमारी सरकार की योजनाओं की तरीफ हो रही है। नीति आयोग, रिजर्व बैंक और अन्य सुबों की सरकार भी हमारी सरकार की योजनाओं की तारीफ कर रहे हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हम देखते हैं इन तीन वर्षों में जो केन्द्र सरकार, जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो हक का पैसा है चाहे excise duty लगभग 13 हजार करोड़ रूपया और अन्य मदों की राशि लगभग 20 हजार करोड़ रूपया केन्द्र सरकार से छत्तीसगढ़ राज्य को लेना है। मगर केन्द्र सरकार लगातार छत्तीसगढ़ के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। माननीय उपाध्यक्ष

महोदय, हमारी राशियों को नहीं दे रही है। मगर हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार अपने संसाधनों के साथ छत्तीसगढ़ के जितने भी योजनाएं हैं उन योजनाओं को संचालित कर रही हैं। जब यू.पी.ए. की सरकार थी, जब डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, जो केंद्र प्रवर्तित योजनाएं थीं, उन योजनाओं में वर्ष 2021-22 में भारी कटौती की है। राष्ट्री य बागवानी मिशन जब वर्ष 2014-15 में जब डॉ. मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, 85 प्रतिशत केंद्रांश हुआ करता था, राज्यांदश मात्र 15 प्रतिशत हुआ था। अभी वर्ष 2021-22 में 60:40 केंद्रांश 60 प्रतिशत और राज्यां श 40 प्रतिशत कर दिया है। वही प्रधानमंत्री सड़क योजना जब डॉ. मनोहन सिंह जी की सरकार थी सौ प्रतिशत केंद्र प्रधानमंत्री सड़क योजना में सौ प्रतिशत मिलता था अभी 60:40 कर दिया है। वही उस समय इंदिरा आवास होता था, अभी प्रधानमंत्री उसी का बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है उस समय 75:25 का रेसीओ था। 75 प्रतिशत केंद्रांश मिलता था और 25 प्रतिशत राज्यांतश मिलता था। अभी उसको कम करके वर्ष 2021-22 में 60:40 कर दिया है। लगातार केंद्रीय प्रवर्तित योजनाओं में भी केंद्र सरकार ने कटौतियां की हैं। उसके बाद भी राज्य सरकार अपने संसाधनों के माध्य0म से उन योजनाओं को भी संचालित करती है। मध्या न्ह भोजन में भी 70:30 का था, अभी 60:40 कर दिया है। एकीकृत बाल विकास योजना 84 प्रतिशत और 15 प्रतिशत था उस समय 2014 में, आज 60:40 कर दिया है। जल जीवन मिशन उस समय 75:25 था। 75 प्रतिशत केंद्रांश था और 25 प्रतिश राज्यांवश था। अभी 50:50 प्रतिशत 50-50 कर दिया है। आप सोच सकते हैं, राज्या सरकार अपने संसाधनों के दम पर छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीरसगढ़ की प्रगति, छत्तीसगढ़ के लिए काम कर रही है। आज विपक्ष के साथी, आज इनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। आज हमारी सरकार की योजनाओं के सामने इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। ऐसा मुद्दा ला रहे हैं जो इनसे कोई सरोकार नहीं है। इसीलिए आज सदन छोड़कर भी भाग रहे हैं। हमारी सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार लगातार काम कर रही है। रही बात हमारे साथी आदरणीय चंद्रा जी ने कही, जो धान खरीदी के बारे में बात कही, केंद्र सरकार के एजेंसी के तौर पर राज्यि सरकार धान खरीदी करती है और राज्या सरकार मिलिंग के माध्यरम से एफ.सी.आई. में चावल जमा करती है। पिछले साल भी 60 लाख मीट्रिक टन चावल खरीदने का केंद्र सरकार ने सैद्धांतिक सहमति दी थी उसके बाद भी मात्र 24 लाख मीट्रिक टन चावल हमारा खरीदा और रही बात बारदाने की, जब बारदाना केंद्रीय जुट कमिश्न र राज्यों को बारदाना उपलब्धर कराता है। राज्ये सरकार ने 5 लाख गठान केंद्रीय जुट कमिश्नरर से केंद्र सरकार से मांग की है। मगर राज्यर सरकार को लगभग 1 लाख गठान ही जो बारदाना उपलब्धर कराया है। राज्य सरकार अपने संसाधनों के माध्यरम से, राईस मिलों के माध्य म से, पी.डी.एस. का बारदाना अन्यग माध्यनमों से 105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदने का लक्ष्य रखा है। देश की पहली सरकार है माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार। जब वर्ष 2018 में 82 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी, वर्ष 2019-20 में 90 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी और इस साल

105 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी करने का लक्ष्य रखा है। आज छत्तीरसगढ़ के किसान हो, मजदूर हो, आज जनता हो, सबकी अगर चिंता करने वाली सरकार है, कांग्रेस की सरकार माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार है। आज विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी के नेता किस मुंह से घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं ? आज यही छत्ती सगढ़ की जनता है जो 15 साल डॉ. रमन सिंह जी की सरकार रहने के बाद 14 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक सिमट जाते हैं। आज ये किस मुंह से कहेंगे। आज हर मुद्दे पर हमारी सरकार, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार चर्चा करने के लिए तैयार रहती है। मगर विपक्ष के साथी किसी मुद्दे पर, इनको सिर्फ राजनीति करना है। इसीलिए आज सदन छोड़कर भाग रहे हैं। आज हमारी सरकार हर मुद्दे पर चर्चा करना चाहती है। जो मांग संख्याथ मद क्रमांक 1 से 5 में मांग संख्या जो है इसमें राज्या शासन द्वारा लिये गये बाजार ऋणों के लिए 172 करोड़ 15 लाख का इस अनुपूरक में प्रावधान अनुपूरक में किया गया है । वाहनों के इंधन के लिए 10 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है । स्वेच्छानुदान आकस्मिकता निधि की प्रतिपूर्ति के लिए 5 करोड़ का प्रावधान किया गया है । कुल 20 करोड़ रूपये का प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है ।

माननीय उपाध्यक्ष जी, राज्य में अन्य पिछड़ा वर्गों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो के संरक्षण के लिए 1 करोड़, 36 लाख, 51 हजार का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है । मांग संख्या-3 में बलौदाबाजार, गरियाबंद, धमतरी, बालोद, बेमेतरा, मुंगेली, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, कांकेर, सूरजपुर, दंतेवाड़ा, कोण्डागांव, नारायणपुर, सुकमा, बीजापुर, बलरामपुर, कोरिया एवं जशपुर के लिए डॉयल 102 योजना के विस्तार हेतु 1 करोड़ का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है । मांग संख्या-4 मद क्रमांक 1 शासकीय आवासों में लघु निर्माण के लिए भी 3 करोड़, 69 लाख का प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है । मांग संख्या-7, मद क्रमांक 1 में न्यायिक स्टाम्पों की लागत, स्टाम्प प्रिंटिंग चार्जेस हेतु 3 करोड़ का प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है । मैं माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आम जनता को राहत कैसे मिले, उसके लिए नये जिलों का गठन किया है जैसे मोहला-मानपुर, बिलाईगढ़, सारंगढ़, मनेन्द्रगढ़-चिरमिरी, भरतपुर एवं सक्ती के लिए भी इस अनुपूरक बजट में प्रावधान किया गया है । हमारी सरकार लगातार काम कर रही है । मांग संख्या-16 प्रधानमंत्री मत्स्य योजनांतर्गत समूह बीमा एवं दुर्घटना बीमा योजना के लिए भी 29 लाख, 35 हजार का प्रावधान इस अनुपूरक बजट में किया गया है । मांग संख्या-17 नाबार्ड सहायता से 579 गोदाम निर्माण हेतु अनुमानित लागत 150 करोड़ में राज्यांश रूपये 112 करोड़ रूपये में इस प्रयोजन हेतु 3 करोड़, 91 लाख, 50 हजार रूपये का प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है । केन्द्र प्रवर्तित योजना राष्ट्रीय सहकारी स्वास्थ्य मिशन के लिए 50 लाख रूपये का प्रावधान किया गया है, जिसमें 32 पदों का सृजन किया जाना है । मांग संख्या-20 जल जीवन मिशन के लिए भी 40 करोड़, 84 लाख रूपये का प्रावधान इस अनुपूरक में किया गया है । मांग संख्या-21 छत्तीसगढ़ भू संपदा अपीलीय अधिग्रहण हेतु

आकस्मिकता निधि के लिए भी 1 करोड़ का प्रावधान किया गया है । मांग संख्या-23, मद संख्या 1 के लिए भी आई.सी.डी.सी. में कार्यरत् सेवा निवृत्त कर्मचारियों के लिए भी 3 करोड़, 11 लाख, 23 हजार रूपये का प्रावधान किया गया है । हमारी सरकार द्वारा अनुपूरक बजट की मांग सदन से की गई है । मैं सभी अनुदान मांगों का समर्थन करते हुए अपनी बातों को विराम देता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

डॉ. (श्रीमती) लक्ष्मी ध्रुव (सिहावा) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 2021-22 का द्वितीय अनुपूरक अनुमान दो हजार एक सौ आठ करोड़, बासठ लाख, चौरासी हजार, तीन सौ नवासी रूपये रखा गया है, मैं इसका समर्थन करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य पिछले 2 साल से कोरोना महामारी की चपेट में था। साथ ही साथ प्राकृति आपदा, अल्पवृष्टि भी हुई और अंत में अतिवृष्टि भी हुई, जिसके कारण किसानों की फसलें भी चौपट हो गई, उद्योग-धन्धे भी चौपट हो गए। साथ ही केन्द्र की नीति के कारण महंगाई बढ़ी है, जीवन-यापन की सामग्री, पेट्रोल-डीजल की महंगाई, गैस की महंगाई बढ़ी है, कमरतोड़ महंगाई थी, इसके बावजूद भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने छत्तीसगढ़ के विकास का सपना देखा है, गांव के लोगों के विकास जो सपना देखा है, जन-जन के विकास का जो सपना देखा है, उसको पूरा करने में अपना ध्यान केन्द्रित किया है। चाहे वह कृषि हो, चाहे वह वन हो, चाहे वह उद्योग हो, चाहे वह व्यापार हो, चाहे जल जीवन मिशन हो, चाहे नये तहसील का निर्माण हो, चाहे जिले का निर्माण हो, चाहे मध्यान्ह भोजन की बात हो, चाहे पोषक शक्ति की बात हो, न्यायालय से संबंधित बात हो, परिवहन से संबंधित बात हो, उन्होंने सभी ओर अच्छा ध्यान केन्द्रित किया है। छत्तीसगढ़ के चहुंमुखी विकास का जो सपना है, उसके लिए इस बजट में राशि दिया है, जिसके कारण हम 3 साल पूरा किये हैं। उन्होंने इन 3 सालों में बहुत अच्छा काम किया है, पूरे विश्व का ध्यान हमारे छत्तीसगढ़ की ओर है, पूरे विश्व का ध्यान छत्तीसगढ़ की तरफ है। छत्तीसगढ़ को 67 पुरस्कार मिले हैं। 67 पुरस्कार ऐसे नहीं मिले हैं। क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्येय गांव और किसानों का विकास , पिछड़े और दलित लोगों का विकास करना था। इसीलिए उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में विकास किया है। वाहनों का ईंधन में बढ़ोत्तरी हुई है। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि केन्द्र सरकार ने इतनी ज्यादा महंगाई बढ़ा दी है कि लोगों को वाहन चलाना भी मुश्किल हो गया था। अब शासकीय वाहन कैसे चलेंगे ? इसके लिए अतिरिक्त बजट देना आवश्यक था। इसलिए बजट दिया गया है। सभी विधायकों को स्वेच्छा अनुदान देना होता है। सभी लोगों की मांगों को पूर्ण करना होता है, इसलिए दिया है। हम लोग नई दिल्ली स्थित छत्तीसगढ़ भवन में रूकते हैं, वहां वाहन की भी आवश्यकता होती है। नये दृष्टिकोण के अनुसार चलना पड़ता है, उसके लिए बजट दिया है, मैं उसका भी समर्थन करती हूं। खासकर इसका भी समर्थन करती हूं कि पिछड़े वर्गों की आर्थिक स्थिति कैसी है, उनके सर्वेक्षण के लिए भी बजट दिया गया है। क्योंकि

महंगाई के कारण कहिये या महामारी के कारण कहिये, उनकी बहुत ज्यादा आर्थिक स्थिति खराब थी और यह सर्वेक्षण एक लोक कल्याणकारी अवधारणा को पूर्ण करता है। मैं सिहावा विधानसभा क्षेत्र की हूं, वहां इंटरनेट की बहुत ज्यादा समस्या रहती है तो डायल-112 के लिए जो बजट दिया गया है, वह भी सराहनीय है, मैं इसका भी समर्थन करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, नवीन प्रस्तावित जिलों में कार्यालय स्थापना हेतु भी बजट दिया गया है। क्योंकि प्रशासनिक व्यवस्था चुस्त-दुरूस्त हो, इसके लिए छोटे-छोटे जिले बनेंगे तो निश्चित तौर पर कार्य में सुधार होगा, इसके लिए भी बजट दिया गया है। उसी तरह से तहसील के लिए भी बजट दिया गया है। पर्यावरण में सुधार के लिए वन रोपण हेतु भी बजट दिया गया है, यह भी सराहनीय है। क्योंकि पर्यावरण दिनोंदिन खराब हो रही है। हम सबकी जागरूकता यही है कि हम पर्यावरण में सुधार करें। साथ ही साथ कृषि के क्षेत्र में, मत्स्य के क्षेत्र में कहूं तो जो छोटे-छोटे भूमिहीन किसान हैं, उनके लिए भी बजट दिया गया है। जो मत्स्य पालक है, उनके दुर्घटना बीमा हेतु भी बजट दिया गया है। नाबार्ड सहायता के तहत गोदाम निर्माण हेतु भी बजट दिया गया है। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन आयुष्मान योजना के लिए भी बजट है। क्योंकि बहुत जरूरी है। क्योंकि आजकल स्वास्थ्य की देखभाल करना बहुत खर्चीला हो गया है और यह हर आदमी के बस की बात नहीं है। इस ओर भी माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान गया है, मैं इसका भी समर्थन करती हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उसी तरह से वायरोलॉजी लैब, हम लोग कोरोना काल में वायरोलॉजी लैब की अत्यन्त आवश्यकता थी । जगह-जगह, हर हॉस्पीटल में स्थापित करने की बात थी, ऑक्सीजन प्लाण्ट स्थापित करने की बात थी, क्योंकि कोरोनाकाल में सब लोगों ने सफर किया था । इस चीज को दिल की गहराईयों से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने समझा और इसके लिए बजट दिया है । इसके लिए मैं समर्थन करती हूँ । साथ ही साथ जल जीवन मिशन के तहत मेरे यहां भी 833 लाख का भी जल जीवन मिशन के तहत काम हो रहा है । आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद ।

उपाध्यक्ष महोदय :- रामकुमार यादव जी ।

श्री रामकुमार यादव (चंद्रपुर) :- बहुत-बहुत धन्यवाद उपाध्यक्ष जी । माननीय भूपेश बघेल जी के सरकार हा जो द्वितीय अनुपूरक बजट लाये हे, ओखर समर्थन में मैं खड़ा होये हंव । मोर छत्तीसगढ़ के सरकार ला आज मैं धन्यवाद देवथ हंव । आज से तीन साल पहली जो भावना ला लेके छत्तीसगढ़ के आम जनता के बीच में हमर सरकार हा गे रिहिसे, वइसने वोट छत्तीसगढ़ के जनता हा उन ला देईस । उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज आपके माध्यम से ये कहना चाहथंव कि टी.वी. के समाचार म सरकार के कामकाज ला जो दिखावंथ हे, वोखर से जनता हा समझही कि हमर भूपेश सरकार हा का काम करथे । वोट देके पहली जनता ये सोचथे, जब मोर आंखी नहीं दिखही, त मोर बेटा तो खड़ा होबेच करही । अऊ

समय में सरकार हा मोर बेटा बनके खड़ा होही । किसान जब वोट देथे, वोट देके पहली वह यही सोचथे, जब हमर सरकार हा मोर धान के कीमत ला बढ़िया कीमत मा लेही, त मोर दूसर बेटा बनके ओहा खड़े होही । यही भावना ले लेके, आम मतदाता हा, सरकाल ला वोट देथे । मैं आज मोर मुख्यमंत्री जी ला धन्यवाद देवथंव, मोर छत्तीसगढ़ के सरकार ला धन्यवाद देवथंव, आज वही भावना के अनुसार ये बजट हा आय हे । हमन गांव के रहइया अन, हमर सियान मन के खिसा में कम पैसा रइथे, 5 सौ अऊ 1000 रूपया लेके बाजार आ जाथे, बाजार में कैसे मैनेजमेंट करना रइथे, कतका के पताल बिसाय बर हे, कतका के लईका मन बर बिसाना है, देख संभलके वोहा पैसा ला खर्चा करथे तव वो घर में पैसा के कमी नहीं होवय । वइसने आज मोर भूपेश बघेल जी के सरकार हा, भयंकर महामारी कोरोना के बाद भी, अऊ नाना प्रकार के अडंगा, छत्तीसगढ़ी में कहावथ हे, छत्तीसगढ़ के खर्चा, अऊ ऐमन सोचथे हमर दिल्ली के चर्चा । दिल्ली में पहली भी सरकार चलथ रहिसे । उँहा ले इंदिरा आवास के पैसा ला भेजय, हमन थोकन मिलावन तहां ले इंदिरा आवास हा मिलय । आजकल काय कहाथे, तैं पैसा ला दे, अऊ नाम मोर ला लिख । तभो ले आज धन्य हे अइसना मुख्यमंत्री, आज ऐसे मैनेजमेंट कर दे हे, किसी प्रकार के कोई ला कमी नइ होवथे । उपाध्यक्ष महोदय जी, आपके माध्यम से आज मैं इंहा यही कहूं कि हमर प्रदेश में अनुसूचित जाति हो, अनुसूचित जनजाति हो, हमर अल्पसंख्यक हो, हमर सामान्य वर्ग हो, प्रदेश में रहने वाला 53 परशेंट पिछड़ा वर्ग हो, आज हर आदमी के जुबान म रइथे, आज ऐसे मुख्यमंत्री मिले हे, श्रीरामचन्द्र जी हा, जैसे शबरीन दाई ला खोजत रहिसे, वइसने सरकार बने के बाद आज भूपेश बघेल जी ला पाये हन । उपाध्यक्ष जी, मैं हा पांच मिनट के तुंहर अऊ संरक्षण चाहंव । आज मैं ये कहना चाहथंव विपक्ष मन गोठियाथे, हमन सुनत रहिथन, हमन निहारथ रहिथन । विपक्ष हा आरोप लगाथे कि अइसे सरकार ए, वइसे सरकार ए, मैं वोमन ला बताना चाहथंव, कोनो मेर दुबक के सुनथ होही त सुन ले । एमन तो भागने वाला ए । अइसने एक नंबर के मुख्यमंत्री हमर भारत में नइ बने हे । बड़का-बड़का प्रदेश के मुख्यमंत्री घलो हावय, बड़का-बड़का सींग वाला हे । आज किसान के बेटा एक नंबर बने हे, अइसने नई बने हे, काम करके बने हे, गरीब किसान के ऑसू ला पोंछ के बने हावय । एहा पहला सरकार ए, मंडल कमीशन बर घोषणा करे हे । एमन नाना प्रकार के अडंगा डालथे । हमर सरकार हा सबो के विकास चाहथे । एमन वही सरकार ए जहां अनुसूचित जाति होथे, वोखर आरक्षण ला काटे रहिसे, हमर सरकार आरक्षण ला बढ़ाने वाला सरकार ए । आदिवासी समाज ...।

उपाध्यक्ष महोदय :- यादव जी, जल्दी समाप्त करिये ।

श्री रामकुमार यादव :- दो मिनट साहब । ये वही सरकार है, जो जंगल में रहने वाले आदिवासी समाज के आज वो सही मूल्य करके ओ मन के जेब में पैसा देत हवै। मैं पुन: एक बार ऐसने सरकार ला मोर भूपेश बघेल जी के जतका भी मंत्रिमंडल हे, इसी प्रकार के आप मन किसान मजदूर मन के लिये बजट बनात रहव और जुग-जुग ला ये छत्तीसगढ़ के जनता आप ला आशीर्वाद देत रही। पुन: आप मोला

बोले के मौका देत रहव। मोर दल के मोर डहरिया जी, आदणीय हमर चौबे जी मोला बोले के मौका दिस हे, ओला बहुत-बहुत धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- प्रकाश शक्राजीत नायक।

श्री प्रकाश शक्राजीत नायक (रायगढ़) :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज माननीय हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के मांग संख्या, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 39, 41, 42, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 65, 69, 79, 80, 81, के कुल दो हजार एक सौ आठ करोड़, बासठ लाख, चौरासी हजार, तीन सौ नवासी रूपये के बजट के समर्थन में खड़ा हूं। छत्तीसगढ़ प्रदेश एक कृषि प्रधान प्रदेश है और यहां की मुख्य फसल धान है और आज छत्तीसगढ़ के हजारों किसान, लाखों किसान बहुत खुश है कि उनके धान की कीमत आज 2540 रूपये मिल रही है और यह पूरे भारत देश में अगर कहीं संभव है तो एक अकेला राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य, वहीं संभव है। हम देख रहे हैं हमारे आस-पास के राज्यों में धान की कीमत बहुत कम है वहां किसान परेशान है लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य एक ऐसा राज्य है जहां के किसान आज खुशहाल है कोई किसी को कोई बड़ा दुख दर्द नहीं है । आज बारदाना की बात कर रहे थे, आज छत्तीसगढ़ में किसान लोग स्वयं बारदाना ला रहे हैं। 25 रूपये कीमत उनको प्रति बोरा मिल रहा है। बारदाना की कोई कमी नहीं है , हालांकि लाखों कई बार केंद्र सरकार ने कितना अड़ंगा डाला है । हमने उनसे 5 लाख गठान की मांग किया, उन्होंने 1 लाख गठान बारदाना हमें दिया है। उसके बावजूद आज, आज तक धान खरीदी निर्बाध रूप से चल रही है और बस ये कहना चाहूंगा कि यह छत्तसगढ में पहली सरकार है जिसने छत्तीसगढ़ियां स्वाभीमान है और छत्तीसगढ़ के जो किसान है, छत्तीसगढ़ की जो आज जनता है उसको सब प्रकार से अद्यतन करने की हमारी छत्तीसगढ़ सरकार है। आज मैं यह कहना चाहूंगा कि अगर पूरे भारतवर्ष में, जहां किसान खुश है गरीब खुश है, हर वर्ग खुश है तो वह अकेला राज्य है छत्तीसगढ़ राज्य। छत्तीसगढ़ ने पिछले 3 साल में कितने किर्तीमान स्थापित किये हैं, केंद्र सरकार से कई पुरस्कार मिले हैं। लेकिन एक तरफ केंद्र सरकार छत्तीसगढ़ राज्य को पुरस्कार देती है, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ का 20 हजार करोड़ से ऊपर की राशि रोक कर रखी है। मैं, माननीय कवासी लखमा जी के, माननीय टी.एस. सिंहदेव जी के, माननीय उमेश पटेल जी के, माननीय प्रेमसाय टेकाम जी के विधेयक का भी आज समर्थन करता हूं और हमें गर्व है कि हमारे पास एक ऐसी सरकार है जो बगैर किसी पक्षपात के छत्तीसगढ़ राज्य के हर वर्ग को ध्यान रखकर काम कर रही है। ठीक है महोदय, धन्यवाद।

उपाध्यक्ष महोदय :- माननीय मुख्यमंत्री जी।

श्री भूपेश बघेल :- माननीय उपाध्यक्ष महोदय, द्वितीय अनुपूरक अनुदान की मांगों की चर्चा पर भाग लेने वाले आदरणीय केशव प्रसाद चंद्रा जो आज ओपनिंग बैट्समेन के रूप में आज अपना भाषण दिया मैं उन्हें बधाई देता हूं।

समय :

2:34 बजे **(अध्यक्ष महोदय (डॉ. चरणदास महंत) पीठासीन हुये)**

श्री केशव प्रसाद चंद्रा :- मुख्यमंत्री महोदय, नॉटआउट भी है। (हंसी)

श्री भूपेश बघेल :- आदरणीय, मोहन मरकाम जी, आदरणीया लक्ष्मी ध्रुव जी, माननीय रामकुमार यादव जी और प्रकाश नायक जी, सबको मैं धन्यवाद देता हूं कि द्वितीय अनुपूरक की चर्चा में आपने भाग लिया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अभी दिसंबर का महीना है और तीन दिन बाद गुरू घासीदास जी की जयंती है और पूरे प्रदेश में एक वातावरण रहेगा, पूरे 15 दिन तक के गुरू घासीदास जी की वाणी पूरे प्रदेश में और प्रदेश के बाहर भी जहां-जहां हमारे सतनामी भाई हैं, वहां गुरू घासीदास की जयकारा, सतनाम की जयकारा की गूंज सुनाई देगी और जिन्होंने संदेश दिया था, "मनखे-मनखे एक समान" समानता की बात। वहीं इस धरती में कबीर जी की वाणी भी हमको सब जगह सुनाई देती है जिसमें उन्होंने कहा था-

"निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय।
बिन पानी, साबुन बिना, निर्मल करे सुभाय"।।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में असहमति का स्थान होता है। लोकतंत्र में आलोचनाएं होती है और रचनात्मक सुझाव आते हैं, उसे सरकार स्वीकार भी करती है लेकिन 2018 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार 15 सीट में सिमट गयी, अब तो 14 रह गये हैं। भारतीय जनता पार्टी के सामने बड़ी दुविधा है, क्या करें, क्या न करें। एक तरफ उनकी प्रभारी यहां आती हैं और कहती हैं कि छत्तीसगढ़ में यहां की जो सरकार है, यहां के जो मुख्यमंत्री हैं वे किसान हैं, ओ.बी.सी. वर्ग से आते हैं, यह सबसे बड़ी चुनौती है। उनका सामना हम कैसे करें, यह हमारे लिए चुनौती है। अध्यक्ष महोदय, अब ये लोग सदन से भाग गये तो मैदान में क्या खड़े हो पाएंगे ? ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि इनके नेता आदरणीय धरमलाल कौशिक जी हैं कि अजय चंद्राकर जी हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी हैं कि शिवरतन शर्मा जी हैं। यह समझ नहीं आया। अभी तक 3 साल बीतने जा रहा है लेकिन वे तय नहीं कर पा रहे हैं और यही आज इस सदन में दिखाई दिया। वे तो किसी और विषय में चर्चा कराना चाहते थे लेकिन उसकी भी तैयारी उनके पास नहीं थी। कैसे करके वे बचना चाहते थे लेकिन आज अजय जी ने कह दिया कि रेडी टू ईट में हम चर्चा कराना चाहते हैं, आज ही चर्चा कराना चाहते हैं। हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि बिल्कुल हम तैयार हैं। अब चर्चा में भाग लेते तो मुश्किल, नहीं लेते तो मुश्किल, उसकी प्राथमिकता क्या है, वे तय नहीं कर पा रहे हैं। वे कवर्धा के मामले को पहले स्थान पर रखें कि रेडी टू ईट के मामले को पहले रखें। वह तय नहीं कर पाए इसलिए पूरे सदन से उन्होंने बहिर्गमन कर दिया। अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था आसंदी का है। सत्ता पक्ष से हमने कहा कि हम सहर्ष

तैयार हैं। वे जिस विषय में चर्चा कराना चाहे हम उस विषय में तैयार हैं लेकिन यह सदन पवित्र सदन आसंदी के निर्देशों पर चलता है, परंपराओं पर चलता है। हमारे जो नियम है उसके अनुसार चलता है। अध्यक्ष महोदय, आसंदी ने व्यवस्था दी कि इसको 3 बजे शुरू करना है और मैं देख रहा हूं कि वे यहीं घूम रहे हैं, कहीं गये नहीं हैं। (हंसी) सब बाहर-बाहर घूम रहे हैं, जाएं तो जाएं कहां ? यह स्थिति इनकी है। इनकी स्थिति बेहद दयनीय हो गयी है। वे नेतृत्व तय नहीं कर पा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, यदि वे चर्चा करते तो निश्चित रूप से उनके अनुभव का हम लोग लाभ लेते। अब बृजमोहन जी कह रहे थे कि 3 कांग्रेस है, एक का नेतृत्व सोनिया जी कर रही हैं, दूसरे का नेतृत्व राहुल जी कर रहे हैं, तीसरे का नेतृत्व प्रियंका जी कर रही हैं। हमारी नेता सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, प्रियंका जी हमारी राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उन सबका नेतृत्व हम सबको स्वीकार है। अध्यक्ष महोदय लेकिन भारत का जो संविधान है, उसके अनुच्छेद-1 में कहा गया है- राज्यों के संघ की सरकार होगी, भारत की सरकार। जो संघवाद की बात करते हैं। भारत के संघों की सरकार होगी, भारत सरकार। अध्यक्ष महोदय लेकिन वर्तमान में स्थिति क्या है कि संघियों की सरकार बना दिये हैं (शेम-शेम की आवाज) संघ की सरकार नहीं है, संघियों की सरकार है । (मेजों की थपथपाहट) और उसके कारण राज्यों के हितों का लगातार वे अतिक्रमण कर रहे हैं और उसे रोकने का प्रयास कर रहे हैं, उनके हक को गिरवी रख लिया गया है और इसीलिये राज्यों में वित्तीय संकट है और जिसका दुष्प्रभाव हमारे छत्तीसगढ़ को भी पड़ा । हम लोग बार-बार कहते हैं कि भारत को डॉ. अम्बेडकर के द्वारा बनाये गये संविधान के हिसाब से चलने दो तो कोई समस्या नहीं आयेगी । माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ उदाहरण के साथ अपनी बात रखना चाहता हूं । ये लगातार हमारे सेंट्रल एक्साईज में कटौती कर रहे हैं, जो हमारा हक है । ये कहते हैं कि 32 परसेंट सेंट्रल एक्साईज से बढ़ाकर 42 परसेंट कर दिये हैं लेकिन पैसा देना बंद कर दिया है, आप वर्ष 2014 से देखेंगे तो इन लोगों ने बीसों हजार करोड़ रूपया देना बंद कर दिया है । 4 हजार करोड़ रूपया तो आपका अकेले जो कोल कंपनसेशन है, उसकी इन्होंने कटौती कर दी है । यदि यही राशि ये लोग दे देते तो भी हमारे छत्तीसगढ़ में सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी प्रोग्राम हैं उसको संचालित करने में हमको कोई तकलीफ नहीं होती । एक-तरफ तो हमारा जो हक है उसको दे नहीं रहे हैं और दूसरी तरफ वर्ष 2014 में क्या स्थिति थी ?

माननीय अध्यक्ष महोदय, कृषि उद्यानिकी विभाग और योजना है राष्ट्रीय बागवानी मिशन । पहले 85-15 का रेशियो रहता था और यह वर्ष 2014 तक जब आप केंद्र में मंत्री थे तब यह स्थिति थी 85-15 का और अब कितना हो गया 60-40 उसी प्रकार से प्रधानमंत्री सड़क योजना पहले शत्-प्रतिशत था अब उसको घटाकर 60-40 कर दिया गया है । दूसरी तरफ मनरेगा 90-10 का रेशियो था, उसे घटाकर अब 75-25 कर दिये हैं । इंदिरा आवास योजना पहले 75-25 था अब उसे आपने घटाकर 60-40 कर दिया । नगरीय विकास विभाग में आप देखेंगे, राजीव आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना

उसमें 70-30 का था अब उसे घटाकर 60-40 कर दिया । उसी प्रकार से स्कूल शिक्षा विभाग में मध्याह्न भोजन पहले 70-30 का रेशियो था अब 60-40 हो गया, सर्वशिक्षा अभियान 65-35 था उसको घटाकर 60-40 कर दिया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा मिशन 75-25 था उसे घटाकर 60-40 कर दिया । वहीं महिला बाल विकास विभाग एकीकृत बाल विकास योजना 85-15 था उसको 60-40 कर दिया ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल जीवन मिशन 75-25 था उसे घटाकर आपने 50-50 कर दिया तो एक-तरफ जो हमारा हक है उसे आप नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ जो राष्ट्रीय कार्यक्रम है उसमें भी जो रेशियो है उसको भी आपने घटाकर राज्य के ऊपर बोझ लाद दिया है और आप हमें साधन भी नहीं दे रहे हैं, धन भी नहीं दे रहे हैं और दूसरी तरफ आरोप लगाते हैं कि आप काम नहीं कर रहे हैं जिसके बारे में कल जो प्रश्न था और आदरणीय महाराज साहब ने करीब 50 मिनट तक उनको जवाब दिया, मैं उन बातों को दोहराना नहीं चाहता । केंद्रांश क्यों नहीं दे रहे हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय आपने आसंदी से पूछ लिया कि केंद्रांश पहले मिलता है कि राज्यांश पहले मिलता है तो अजय जी क्या बोलते हैं कि कोरोना काल के बाद बदला है तो कोरोना केवल भारत सरकार के लिये आया है, छत्तीसगढ़ सरकार के लिये नहीं आया है तो कोरोना तो सबके लिये आया है तो फिर केंद्रांश दें, हम राज्यांश देंगे । हमारा जो पैसा है उसको दे दें । हम तो उससे बढ़ती योजना संचालित करेंगे, आप 1 रूपया भी कहीं बोनस देंगे तो आपका चावल नहीं खरीदेंगे यह कहने वाले लोग, यह बारदाना उपलब्ध कराने वाले लोग नहीं हैं । ये कहते हैं बारदाना नहीं, ये छत्तीसगढ़ से उसना चावल नहीं लेंगे, यह कहने वाले लोग । छत्तीसगढ़ से उसना चावल नहीं लेंगे से कहां से लेंगे ? अब इस साल यह भी शुरू कर दिये कि आपका उसना चावल नहीं लेंगे तो हर कदम-कदम पर कैसे अडंगा लगाना है यह कोशिश । भाई चंद्रा जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जहां जिस चीज में भी आप हारे हैं वहां भी तो आपको वोट मिला है, वहां भी तो आपके मतदाता हैं । क्यों विकास नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत हूं। तो भारतीय जनता पार्टी को यहां भी विधान सभा में वोट मिला है। लोकसभा में तो आपको 9 सीट मिली है, फिर छत्तीसगढ़ के साथ भेदभाव क्यों किया जा रहा है ? अध्यक्ष महोदय, अब उप-चुनाव हुआ। रोज पेट्रोल का रेट बढ़ रहा था। रोज रेट 30 पैसा, 35 पैसा, 1 रूपया, डेढ़ रूपया रोज बढ़े जा रहा था। जिस दिन पेट्रोल डीजल का भाव नहीं बढ़ता था तो टेलीविजन में पट्टी चलती था कि आज पेट्रोल और डीजल के भाव नहीं बढ़े। खैर मनाओ और आरोप क्या लगाते थे कि वो तो यू.पी.ए. सरकार के समय व्यवस्था कर दी थी। इस कारण से हम कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मैं धन्यवाद दूंगा उप-चुनाव में मतदाताओं को, जिन्होंने इन्हें आइना दिखाने का काम किया और हुआ क्या, हुआ यह कि हिमाचल में एक लोकसभा और 3 विधान सभा हारे। कर्नाटक हारे। हरियाणा हारे। जिनकी आंखे खुल गयी और दूसरे दिन 5 रूपया पेट्रोल में और 10 रूपये डीजल में कम कर दिया। लेकिन अध्यक्ष महोदय, ये तो आपने सेन्ट्रल एक्साइज में कमी की। करना था तो सेस में करते। आपने सेस भी लगा दिया।

आपने सेस में कमी नहीं की। भारत सरकार को नुकसान नहीं होगा। वह तो छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार ने 25 प्रतिशत वेट और 2 प्रतिशत सेस लगाया हुआ है। हमने आज तक उसमें वृद्धि नहीं की। लेकिन उन्होंने जो रेट कम किया, उससे छत्तीसगढ़ सरकार को 800 करोड़ का नुकसान होगा। तो हमारे दम पर वे श्रेय लेना चाहते हैं कि हमने कम किया। नुकसान तो राज्यों को हो रहा है। सेस में कमी कर देते तो समझ आता कि भारत सरकार ने कम किया है, लेकिन हमारा हिस्सा काटकर आप अपना श्रेय लेना चाह रहे हैं। फिर भी हमने कहा कि हमारे पड़ोसी राज्यों से हमारे यहां पेट्रोल और डीजल का रेट कम होगा और हमने करके दिखाया है। चाहे वह हमारे उड़ीसा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे मध्यप्रदेश हो, चाहे झारखंड हो, चाहे तेलंगाना हो। उससे हमारे पेट्रोल और डीजल के रेट कम हैं। अध्यक्ष महोदय, हमने कम करके दिखाया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कम करना था। यू.पी.ए. सरकार में जितना एक्साइज था, उतना कर देते तो आज पेट्रोल और डीजल 60 रूपये में मिलता। 50 रूपये में मिलता। आपने 50 रूपये बढ़ा लिया और 5 रूपये कम किया तो आपने क्या कम किया? आपने तो केवल आम जनता को लूटने का काम किया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये किसान के हितैषी हो ही नहीं सकते। ये तो किसान को कीड़े-मकौड़े समझते हैं और इसी कारण से लखीमपुर में उनके मंत्री के बेटे ने किसानों को रौंद दिया और किसानों को क्या-क्या नहीं कहा। कभी आतंकवादी, कभी ठलहा तो कभी पाकिस्तानी समर्थक, कभी चीनी समर्थक तो कभी आंदोलनजीवी। किन-किन विशेषणों से आपने विभूषित नहीं किया। अपमानित करने की कोशिश नहीं की और पूरे उसके मंत्री, विधायक, सांसद सब लोग उन 3 कानूनों का 14 महीनों तक बड़ा प्रचार करते रहे, लेकिन अब क्या हुआ ? देखा कि 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और जो सर्वे की रिपोर्ट आयी है, वह बहुत खराब है। तो तुरंत 3 काले कानून माफी सहित वापस ले लिये। ये माफीजीवी हैं। (मेजों की थपथपाहट) ये माफीजीवी हैं। अध्यक्ष महोदय, सावरकर जी माफी मांगे थे तो ये लोग भी उसी श्रेणी के हैं। पहले तो ये डिवाइड एण्ड रूल पर चलते हैं। नहीं होता तो माफी मांग लेते हैं। अध्यक्ष महोदय, आज जिस चीज के बारे में ये लोग बात कर रहे हैं-रेडी-टू-ईट। इन्हें चर्चा करनी थी। हमारे मंत्री जी ने जवाब दिया। हम सब तैयारी में थे। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत शोरगुल कर रहे हैं। वर्ष 2009 में रेडी-टू-ईट का निर्माण और प्रदाय करने का काम महिला स्व सहायता समूहों को दिया गया और इसमें करीब 1627 समूहों को काम दिया गया । ये कह रहे हैं कि हजारों, 20 हजार, 10 हजार समूहों को दिया, जबकि केवल 1627 समूहों को काम दिया गया । पांच साल के लिए अनुबंध होता है, जिसमें से 943 समूहों का अनुबंध समाप्त हो गया है, अब केवल 678 समूह बच गए हैं और इस कार्यक्रम की शुरूआत इसलिए हुए थी कि गुणवत्तापूर्ण हो ताकि बच्चों में कुपोषण को दूर किया जा सके । 1900 नमूने लिए गए जिसमें से 1400 नमूनों के मापदंड सही नहीं पाए गए । यह सोचनीय विषय है। यूनीसेफ ने देखा, यह यूनीसेफ की रिपोर्ट है, यूनीसेफ ने कहा कि जिनसे अनुबंध किया गया, वह समूह तो केवल व्यक्ति चला रहा है, समूह के लोग तो केवल मजदूरी कर रहे हैं और चला कोई और

रहा है । यह छत्तीसगढ़ सरकार की रिपोर्ट नहीं है, यह रिपोर्ट यूनीसेफ की है । उसमें यह भी कहना चाहूंगा कि 2017 में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में कुपोषण की दर 26 प्रतिशत थी, इसका बहुत बड़ा कारण बच्चों को सही पोषण आहार नहीं मिलना है । अध्यक्ष महोदय, हमने मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान चलाया । उसका लाभ यह मिला कि उसमें अब यह दर 19 प्रतिशत के आसपास रह गई है । पिछली सरकार ने गुणवत्ता पर, हाईजीन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया । लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, बच्चों को खिलाया जाने वाला भोजन स्वचालित मशीनों से बनाया जाए । लेकिन डॉक्टर रमन सिंह ने इस पर कभी अमल नहीं किया । क्योंकि उनका कमीशन मारा जाता । अभी चन्द्रा जी कमीशनखोरी की बात कह रहे थे, एक साल कमीशन लेना बंद कर दो । चूंकि कमीशन मारा जाता है इसलिए उन्होंने बंद कर दिया । 1400 नमूने जांच में अमानक पाए गए । फिर जिस पंजरी संयंत्र की मशीन के बारे में कह रहे हैं, जब मध्यप्रदेश के समय से मिला हुआ है और 2005-06 में जब रमन सिंह जी की सरकार थी और इसका कार्य छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड को दिया गया, इनकी सरकार ने दिया । उसी समय जो निविदा आमंत्रित थी, उसे गुड़गांव के पी.बी.एस. फूड प्रायवेट लिमिटेड कंपनी को चयनित किया गया और फिर एक ज्वाइंट वेंचर कंपनी के रूप में छत्तीसगढ़ एग्रो फूड कार्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया । पंजरी में आधुनिक संयंत्र लगे हुए हैं, इसमें सारे मापदंड और गुणवत्ता को पूरा किया जाने वाला है, जिसके बारे में माननीय मंत्री जी ने लिखित उत्तर में बताया है । उसमें सारे माइक्रो न्युट्रिएंट भी होने चाहिए, हाइजेनिक भी होना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए, सारी बातों का उल्लेख उन्होंने किया । अध्यक्ष महोदय, रमन सिंह जी ने क्यों चालू नहीं किया ? दूसरी बात यह है कि आज यह यहां घड़ियाली आंसू बता रहे हैं । यही काम गुजरात में हो रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों है ? मध्यप्रदेश में हो रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी मौन क्यों है ? उत्तर प्रदेश की सरकार ने इसी प्रकार की व्यवस्था की है तब वहां चुप क्यों हैं ? तेलंगाना और आंध्रप्रदेश में हो रहा है तो ये लोग वहां क्यों विरोध नहीं कर रहे हैं ? छत्तीसगढ़ में क्यों विरोध कर रहे हैं ? अपने प्रदेश में करें, गुजरात में, मध्यप्रदेश में, उत्तर प्रदेश में विरोध करें । हम लोग समझ रहे हैं कि ये इनके राजनीतिक घड़ियाली आंसू के अलावा कुछ नहीं है । इनका उद्देश कभी छत्तीसगढ़ की गरीब जनता के स्वास्थ्य, शिक्षा, रोज़गार पर कभी नहीं रहा । इनका उद्देश्य केवल कमीशनखोरी रहा, 15 साल तक इन लोगों ने छत्तीसगढ़ को लूटने-खसोटने के अलावा कुछ नहीं किया । अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत सारी बात कहना चाहता हूं लेकिन ये यहां हैं ही नहीं, रहते तो उनके सामने कहने में मुझे ज्यादा अच्छा लगता । अध्यक्ष महोदय, अब इनके पास कुछ रहा नहीं । रहते तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता उसके सामने कहने में। अब इनके पास कुछ रहा नहीं अध्यक्ष महोदय। किसान इनके हाथ से निकल गए। हम लोग आदिवासियों के लिए जल-जंगल-जमीन और उसको सक्षम बनाने के लिए जितना काम, जितनी योजनाएं हमारी सरकार में की गई है वह सबके सामने हैं। ये उनके पास फटक नहीं सकते,

मजदूरों के पास जा नहीं सकते, अब इनके पास धर्मांतरण और सांप्रदायिकता। मैं इनको चुनौती दूना चाहता हूं इस सदन में कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपने आर.एस.एस. के ही लोगों को, बजरंग दल के लोगों को, विश्व हिंदू परिषद के लोगों को ही सर्वे कराने का काम दे दें तो 15 साल मे साल में छत्तीसगढ़ में जितना चर्च बना है उतना उसके पहले नहीं बना था न उसके बाद बना है। बनवाने का काम इन्होंने किया, कानून बनाने का काम भी इन्होंने किया तो कानून क्यों बनाया गया, उसमें कार्यवाही आपने क्या की। अब हम यह कार्रवाई कर रहे हैं। हमारे पास शिकायत आई, हमने कार्रवाई की। 15 शिकायतें आईं, जिनमें 6 सही पाया गया हम 6 शिकायतों में कार्रवाई कर दिए। रमन सिंह जी बताए कि कभी कोई कार्रवाई किए क्या□? क्यों नहीं कार्रवाई किए? क्योंकि आपको सुविधाजनक लगता था। आप केवल धर्म के आधार पर राजनीति करना चाहते हैं। हमारी कांग्रेस की पार्टी सभी धर्मों को समान रूप से सम्मान करती है, समभाव से देखती है और सभी का आदर करती है यह हमारी सोच है और इनका तो एक जाति से दूसरे जाति, एक धर्म से दूसरे धर्म, एक संप्रदाय से दूसरे संप्रदाय को लड़ाने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। यही इनको आता है और कवर्धा में घटना घटी छोटी सी, जिसमें कार्रवाई हो गयी, लेकिन उन लोग खींचे जा रहे हैं। आज भी यदि स्थगन ला रहे थे तो चर्चा क्या करते। कार्रवाई सब हो गई है। लेकिन प्रदेश की कवर्धा की जनता, कवर्धा के व्यापारी सब लोग समझ रहे हैं कि केवल भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है वे अपनी खोई हुई जमीन प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन उनकी मंशा कभी राज्य के हित में नहीं रहा। वे अपने हित और स्वार्थ के लिए समाज और जाति को लड़ाने का काम छत्तीसगढ़ के शांति प्रिंय प्रदेशों से अशांत करने का षडयंत्र हैं इसको समझ गए हैं। लेकिन इसके बहकावे में केाई आने वाला नहीं है और मैं यह कह सकता हूं अध्यक्ष महोदय कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधियों को हमारी सरकार बिल्कुल बरदाश्त नहीं करेगी और उसमें जो भी सख्त कदम उठाने होंगे, हम पूरी ताकत के साथ उठाएंगे अध्यक्ष महोदय। (मेजों की थपथपाहट)

माननीय अध्यक्ष महोदय, अब मैं मुख्य रूप से बजट पर आ जाता हूं थोड़ा सा समय बचा है। 2 हजार 901 करोड़ रूपये के मांग हमने की है अध्यक्ष महोदय। यह राशि बढ़ सकती थी लेकिन केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण से यह हमारा Supplementary Budget कुछ संकुचित हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम तो एथेनॉल यदि बनाने देते, हमारे अरवा खरीद लेते तो हमारी स्थिति और भी अच्छी होती अध्यक्ष महोदय। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस साल कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए राज्य को पूरी तैयारी करने का निर्देश के साथ-साथ इसमें इतिरिक्त सुविधा के लिए 599 करोड़ की राशि द्वितीय अनुपूरक में प्रावधानित की गई है अध्यक्ष महोदय। नगरीय निकायों की प्रगतिरत आवर्धन योजना को पूर्ण करने के लिए 150 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। 42 नगरीय निकाय क्षेत्र में रहवासीय को स्वच्छ पेयजल सुविधा का लाभ मिलेगा अध्यक्ष महोदय। उसी

प्रकार से जल जीवन मिशन के प्रत्येक परिवार को नल कनेक्शन के माध्यम से पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 100 करोड़ और अध्यक्ष महोदय, प्रधानमंत्री शहरी आवास (शहरी) के लिए 304 करोड़ और नवीन समिति निर्माण के लिए भी पांच 05 करोड़ प्रावधान और गुरू घासीदास जी के नवा रायपुर में निर्माण के लिए 05 करोड़ का प्रावधान किया गया है अध्यक्ष महोदय। नवीन 4 जिलों और 16 तहसीलों के निर्माण की स्वीकृति के प्रावधान की भी व्यवस्था की है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे चाहता हूं कि पूरे सदन से आग्रह करना चाहता हूं कि द्वितीय अनुपूरक को आप पारित करें। आपने समय दिया अध्यक्ष महोदय, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष में अनुदान संख्या - 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 26, 27, 29, 30, 31, 36, 39, 41, 42, 51, 54, 55, 56, 64, 65, 69, 79, 80, एवं 81 के लिये राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदया को कुल मिलाकर दो हजार एक सौ आठ करोड़, बासठ लाख, चौरासी हजार, तीन सो नवासी रूपये की अनुपूरक राशि दी जाये।

अनुपूरक अनुदान की मांगों पर प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

<u>छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक 4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021)</u>

श्री भूपेश बघेल, (मुख्यमंत्री) - अध्यक्ष महोदय, मैं, छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) का पुर:स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- उस पर कुछ भाषण, कुछ विचार।

श्री भूपेश बघेल, मुख्यमंत्री - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक -4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2, 3 व अनुसूची इस विधेयक का अंग बने।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

श्री भूपेश बघेल, (मुख्यमंत्री) - अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तसीगढ़ विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2021 (क्रमांक 15 सन् 2021) पारित किया जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

विधेयक पारित हुआ।

(मेजों की थपथपाहट)

अध्यक्ष महोदय :- स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा हेतु आसंदी द्वारा 03 बजे का समय निर्धारित किया गया था, किंतु स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत करने वाले सदस्य सदन में उपस्थित नहीं हैं। अत: मैं कार्यसूची का अगला विषय लेता हूं। माननीय मोहम्मद अकबर जी।

(2) सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021)

वन मंत्री (श्री मोहम्म्द अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये।

अनुमति प्रदान की गई।

अध्यक्ष महोदय :- मोहम्मद अकबर जी।

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 क्रमांक 11 सन् 2021) का पुर:स्थापन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद, टी.एस.सिंहदेव जी।

(3) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021)

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई ।

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री टी. एस. सिंहदेव) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) का पुर:स्थापन करता हूं ।

(4) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) का पुर:स्थापन करता हूं ।

अध्यक्षीय व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय :- मैंने छत्तीसगढ़ विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 65 के उप नियम (1) तथा अध्यक्ष के स्थायी आदेश क्रमांक 24 को शिथिल कर छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) की महत्ता तथा उपादेयता को दृष्टिगत रखते हुए इसे आज पुर:स्थापन की अनुमति प्रदान करने हेतु चर्चा, विचार एवं पारण हेतु 15 मिनट का समय निर्धारित करता हूं । मैं समझता हूं कि सदन इससे सहमत होगा ।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई.

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

समय :

3:07 बजे

शासकीय विधि विषयक कार्य (क्रमश:)

(5) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021)

आदिमजाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति चाहता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) के पुर:स्थापन की अनुमति दी जाये ।

अनुमति प्रदान की गई.

आदिमजाति विकास मंत्री (डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) का पुर:स्थापन करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय :- धन्यवाद ।

(6) सिगरेट और अन्य तंबाखू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन)

वन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि- सिगरेट और अन्य तंबाखू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) पर विचार किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- थोड़ा बताईए कि क्यों विचार किया जाये ? (हंसी) एकाध लाईन बोलिए न ।

श्री मोहम्मद अकबर :- माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए पारित किया जाये कि अभी जो युवा वर्ग है, वह हुक्का बार से बहुत ज्यादा प्रभावित होकर तंबाखू उत्पाद का प्रयोग लगातार कर रहे हैं और उसमें प्रभावी ढंग से उसके नियंत्रण के लिए यह लाना बहुत ज्यादा आवश्यक है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इसको पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सिगरेट और अन्य तंबाखू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ.

संसदीय कार्यमंत्री (श्री रविन्द्र चौबे) :- अध्यक्ष जी, आपने प्रश्न किया तो गुड़ाखू से संबंधित था क्या ?

अध्यक्ष महोदय :- गुड़ाखू छोड़कर । (हंसी)

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 7 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियम सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

परिवहन मंत्री (श्री मोहम्मद अकबर) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं किस- सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन, प्रदाय और वितरण का विनियमन) (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 11 सन् 2021) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(7) छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021)

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) पर विचार किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- आपको कुछ कहना है ?

श्री टी.एस. सिंहदेव :- माननीय अध्यक्ष महोदय, जी.एस.टी. का कानून देश में 1 जुलाई, 2017 से लागू हुआ है। मेरी राय में यह जल्दबाजी में लागू हुआ। उसमें अनेकों विसंगतियां रह गई थीं। इस

सन्दर्भ में लगातार परेशानियों के चलते प्रस्ताव आ रहे थे कि इनमें संशोधन किया जाये। इस बाबत छत्तीसगढ़ शासन की ओर से, विभाग की ओर से, हम लोगों ने भी जी.एस.टी. कौंसिल में बातों को रखा कि जो प्रावधान, व्यवहारिक नहीं है, उचित नहीं है, जिनसे व्यसायियों को परेशानी हो रही है, उनको संशोधित किया जाये। मैं शासन की ओर से कहूंगा कि हमको संतोष है और इस बात की खुशी है अनेकों ऐसे प्रस्तावों को जी.एस.टी. कौंसिल ने स्वीकार किया। उन प्रस्तावों को जो स्वीकार किए गए हैं, जिनके संशोधन पेश होने हैं, वह धारा 7 की उपधारा (1) में एक नया क्लॉज, धारा 16 की उपधारा (2) में एक नया खण्ड जोड़ा जाना है। धारा 35 एवं 44 में संशोधन, धारा 50 में संशोधन, धारा 74 में संशोधन, धारा 75, 107, 129, 130, 152 में संशोधन है, उनको प्रस्तुत किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है और मैं यह प्रस्ताव रखता हूं कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) को पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) पर विचार किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 15 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 15 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

वाणिज्यिक कर (जी.एस.टी.) मंत्री (श्री टी.एस. सिंहदेव) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि - छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) पारित किया जाय।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 12 सन् 2021) पारित किया जाय।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

(8) इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021 (क्रमांक 13 सन 2021)

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) पर विचार किया जाये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, एक ही लाईन का संशोधन है, सभी विश्वविद्यालय को एकरूप करने के लिए जो इस विश्वविद्यालय में वी.सी. के उम्र में दूसरे विश्वविद्यालयों से अलग था । उसको एकरूप करने के लिए यह विधेयक लाया गया है । एक लाईन का छोटा सा संशोधन है ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि- इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 2 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने ।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना ।

अध्यक्ष महोदय **:-** प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने ।

उच्च शिक्षा मंत्री (श्री उमेश पटेल) :- अध्यक्ष महोदय, मैं, प्रस्ताव करता हूँ कि- इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) पारित किया जाये ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

असंशोधित/प्रकाशन के लिए नहीं

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि-इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2021 (क्रमांक 13 सन् 2021) पारित किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक पारित हुआ ।

(9) छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021)

आदिम जाति विकास मंत्री (डॉ.प्रेमसाय सिंह) :- अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पर विचार किया जाये ।

माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में पिछड़ा वर्ग की संख्या लगभग 52 परशेंट करीब है । जनसंख्या लगभग 1 करोड़ 33 लाख के आसपास है । इतना बड़ा जो आयोग है, उसमें उपाध्यक्ष का पद नहीं है । केवल 7 मेंबर है, जो उसको बनाया गया है । बाकी जितने आयोग बने हैं, चाहे अनुसूचित जनजाति आयोग हो, अनुसूचित जाति आयोग हो, मानिटरी आयोग, सभी में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद स्वीकृत किया गया है । उपाध्यक्ष के पद की कई दिनों से आवश्यकता महसूस की जा रही है, इसलिए छोटा सा प्रस्ताव इसमें लाये हैं । इसमें जहां-जहां अध्यक्ष है, अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का पद इसमें बनाया जाये ।

अध्यक्ष महोदय:- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय:- प्रश्न यह है कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पर विचार किया जाये ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

अध्यक्ष महोदय :- अब विधेयक के खण्डों पर विचार होगा।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 2 से 6 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बने।

खण्ड 1 इस विधेयक का अंग बना।

अध्यक्ष महोदय :- प्रश्न यह है कि पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

पूर्ण नाम तथा अधिनियमन सूत्र इस विधेयक का अंग बने।

डॉ. प्रेमसाय सिंह टेकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संसोधन विधेयक 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पारित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ - छत्तीसगढ़ राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021 (क्रमांक 14 सन् 2021) पारित किया जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

विधेयक पारित हुआ।

अध्यक्ष महोदय :- प्रतिवेदन की प्रस्तुत करने में वृद्धि हेतु प्रस्ताव, मोहन मरकाम जी।

<u>प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने का प्रस्ताव</u>

श्री मोहन मरकाम :- माननीय अध्यक्ष महोदय, विशेषाधिकार समिति को जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरणों पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र के अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जायें।

अध्यक्ष महोदय :- इसमें धनेन्द्र साहू जी है। कौन पढ़ेंगे ?

श्री मोहन मरकाम :- अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के वित्तीय कार्यसंचालन नियमावली के नियम 228 के उप नियम 01 में परन्तु की अपेक्षानुसार माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के विरूद्ध समिति के संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019 एवं माननीय श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा श्री कुंबन दास आड़िया एवं अमरीश आड़िया के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 10.11.2020 पर जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

अध्यक्ष महोदय :- प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ, प्रश्न है कि माननीय श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा प्रबंध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड रायपुर के विरूद्ध समिति को संदर्भित विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 28.11.2019, माननीय श्री धनेन्द्र साहू, सदस्य छत्तीसगढ़ विधानसभा द्वारा श्री कुंबन दास आड़िया एवं अमरीश आड़िया के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन की सूचना 10.11.2020 को विशेषाधिकार समिति को अनुसंधान जांच एवं प्रतिवेदन हेतु संदर्भित प्रकरण पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अवधि में आगामी सत्र की अंतिम दिवस तक की वृद्धि की जाये।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

नियम 239 के अधीन विशेषाधिकार भंग की सूचना

अध्यक्ष महोदय :-

(1) माननीय सदस्य, श्री अजय चंद्राकर एवं बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री अमरजीत भगत, खाद्य मंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं माननीय श्री रविन्द्र चौबे, कृषि मंत्री छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 19/2020 दिनांक 19.08.2020

(2) माननीय सदस्य श्री अजय चंद्राकर एवं बृजमोहन अग्रवाल द्वारा माननीय श्री ताम्रध्वज साहू, लोक निर्माण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन के विरूद्ध विशेषाधिकार भंग की सूचना क्रमांक 23/20 दिनांक 23.10.2020

मेरे समक्ष विचाराधीन है।

सदन को सूचना

अध्यक्ष महोदय :- आज सायं 6.30 बजे से डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी सभागृह में आयोजित कार्यक्रम निरस्त कर दिया गया है। धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय :- अब राष्ट्रगान होगा। माननीय सदस्यगण राष्ट्रगान हेतु अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

समय :
3:25 बजे

राष्ट्रगान

''जन-गण-मन''

(राष्ट्रगान "जन-गण-मन" का गायन किया गया)

अध्यक्ष महोदय :- विधान सभा की कार्यवाही अनिश्चितकाल तक के लिये स्थगित।

(अपराह्न 3.26 बजे विधानसभा अनिश्चित काल के लिये स्थगित हुई।)

चन्द्र शेखर गंगराड़े
प्रमुख सचिव
छत्तीसगढ़ विधान सभा

रायपुर (छत्तीसगढ़)
दिनांक : 15 दिसंबर, 2021

अशोधित/प्रकाशन के लिये नहीं